खण्ड-320, अंक-9
गुरूवार, 12 चैत्र, शक संवत् 1898
(1 अप्रैल, 1976 ई0)

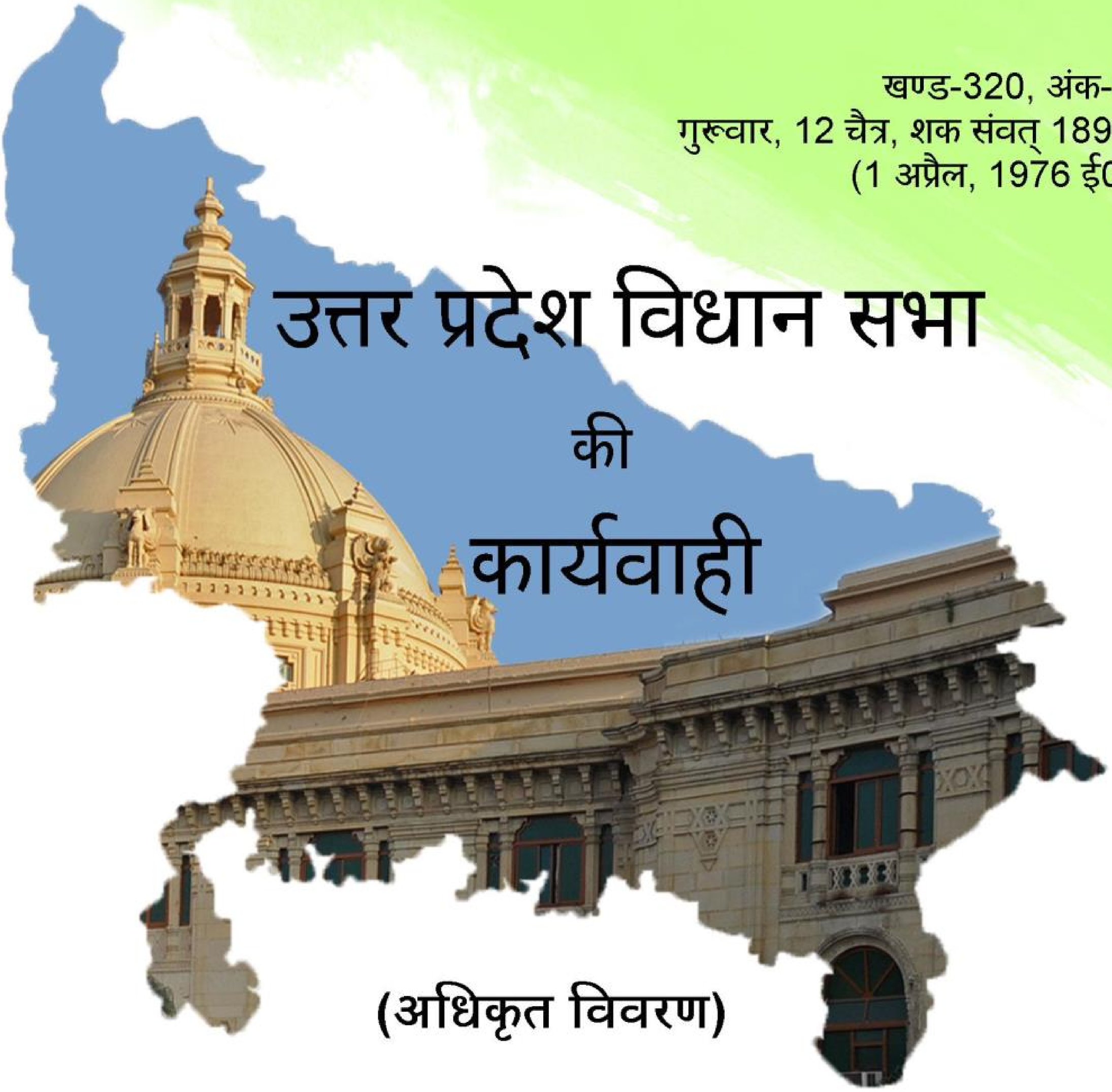

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 320 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1976

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	791–794
प्रश्नोत्तर	794–813
उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने केलिए बाध्य करना) विधेयक, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया)	813
उत्तर प्रदेश मादक पान (आपत्तिजनक विज्ञापन) विधेयक, 1976 (सदन के पटल पर रखा गया)	814
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1976 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	814
प्रश्नों के सम्बन्ध में शिकायत	814
उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) (पुनः अधिनियमन और वैधीकरण) विधेयक, 1976 (पुरःस्थापित किया गया)	814
उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1976 (पुरःस्थापित किया गया) ..	815
उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्था (प्रबंध हाथ में लेना) विधेयक, 1976 (पुरःस्थापित किया गया)	815
उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1976 (पारित)	815–841
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास विधेयक, 1976 (पारित)	841–851
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) (निरसन) विधेयक, 1976 (पारित)	851–881
नत्थियां	882–912

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, 1 अप्रैल, 1976

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन में 11 बजकर 5 मिनट पर अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—285

अंगने लाल, श्री
अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार जमील, श्री (एडवोकेट) उर्फ जिमी मियां
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
अवधेश कुमार, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
इन्द्रमोहनी, श्रीमती
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
ऊदल, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश गुप्त, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
काशी नाथ मेहरोत्रा, श्री
काशी प्रसाद, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण दत्त, श्री (उर्फ बालराज)
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रान्ति कुमार, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
खूब चन्द, श्री
ख्यालीराम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा सिंह, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (ऐडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरण सिंह, डाक्टर

चेत राम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जंग बहादुर वर्मा, श्री
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नरायन त्रिपाटी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जफर आजमी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराज गौतम, श्री
जागेश्वर, श्री
झिलमिट, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
त्रिवेनी, श्री
दया किशन पाण्डेय, श्री
दया राम भास्कर, श्री
दलसिंह यादव, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीपनारायण पाण्डेय, श्री
दीपनारायण बन महन्थ, श्री
दुर्योधन, श्री
दुलारा देवी, श्रीमती
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवी सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्म सिंह, श्री
ध्रुव नारायण सिंह, श्री
नजु राम, श्री
नत्थू सिंह यादव, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हे लाल, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
नियाज हसन खां, श्री
निर्भय नरायन सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
पुरुषोत्तम दास, चौधरी
पूरन चन्द, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्यारे लाल वर्मा, श्री
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रेम दत्त, श्री
प्रेम सुन्दर नरायण सिंह, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फरजन्द अली बेग, श्री
बंशीधर, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बल्देव, श्री
बांके लाल, श्री
बाबूलाल तिवारी, श्री
बाल कृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
बैजनाथ यादव, श्री
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीषम, श्री
भूपसिंह केन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंगरे सिंह, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मनीराम, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर

मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेश सिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मानबहादुर सिंह, श्री
मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मूल चन्द्र राजपूत, श्री
मेघ नाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असलम, हाफिज
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रघुराज सिंह, श्री (जिला देवरिया)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह " जूदेव', श्री
रणधीर सिंह श्री
रफीउल्ला, श्री
रमापन्त, कुमारी
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र शाह, श्री
राम औतार सिंह भदौरिया, श्री
रामगरीब, कैप्टेन
रामचन्द्र बक्श सिंह, श्री
रामजी सिंह, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव, श्री
रामदेव यादव, श्री
राम नारायण पाठक, श्री
राम निहोर, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपूजन पटेल, श्री
राम प्यारे तिवारी, श्री
राम बचन, श्री
राममूर्ति, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति बिन्दु, श्री एडवोकेट
रामरती देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री (जिल इटावा)
राम लखन, श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
रामसमुझ तिवारी, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रामायण राय, श्री
राव मुश्ताक, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उप नाम मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मी नरायण पांडेय, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
विजय कुमार, श्री
बिजयपाल सिंह,श्री
विमल प्रसाद तिवारी, श्री
विश्राम, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीर सिंह सेंगर, श्री
वीरेन्द्र कुमार चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शान्ति देवी यादव, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिव कैलाश, श्री
शिव चरन लाल, श्री

शिव प्रसाद गुप्त, श्री
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी, श्रीमती
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीपाल सिंह, कुंवर
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नब्बन)
सीताराम निषाद, श्री
सुक्खन सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल कुरील, श्री
सुरेन्द्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री
सुल्तान सिंह यादव, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिराम, श्री
हरीश कुमार गंगवार, श्री
हिम्मत सिंह, श्री

नोट:—राज्य विद्युत् मंत्री, श्री रमेन्द्र वर्मा तथा राज्य स्वायत्त शासन मंत्री, श्री श्रीकृष्ण गोयल भी सदन में उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 1 अप्रैल, 1976

श्री ऊदल—
मान्यवर, 4 मिनट लेट।

श्री अध्यक्ष—
कोरम नहीं था।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

पीलीभीत जिले में रामनगर कालोनी के विस्थापित परिवारों की भूमि का शारदा नदी से कटाव

*1—श्री हरीश चन्द्र खन्डेलवाल (जिला पीलीभीत) (अनुपस्थित)—
क्या सरकार को जानकारी है कि पीलीभीत जनपद की पूरनपुर तहसील के रामनगर कालोनी में बसे विस्थापित परिवारों की बस्ती की भूमि तथा कृषि-भूमि शारदा नदी के बाढ़ से कट चुकी है तथा इन परिवारों के पास कोई भूमि नहीं रही है? यदि हां, तो सरकार उन्हें अन्यत्र बसाए जाने का क्या प्रबन्ध कर रही है?

श्रम मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—
जी हां। सन् 1969 तथा सन् 1972 में शारदा नदी की बाढ़ के कारण 170 विस्थापित परिवारों में से 140 परिवारों की भूमि नष्ट हो गई। 140 परिवारों में से 70 परिवारों को ग्राम चन्दोइया की वन विभाग से प्राप्त भूमि पर पुनर्वासित किये जाने का प्रबंध किया गया था परन्तु उक्त परिवार वहां जाने को तैयार नहीं हुये। उक्त परिवारों को अन्यत्र पुनर्वासित करने का प्रयास जारी है।

[बृहस्पतिवार, 1 अप्रैल, 1976 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1—श्री दीप नारायण पाण्डेय—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

*2—श्री दीप नारायण पाण्डेय—

[1ले गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 3 पर उत्तरित ।]

*3—श्री ऊदल—

[10वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 5 पर स्थानान्तरित ।]

*4—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

[2रे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 15 पर उत्तरित ।]

*5—श्री राम सुन्दर पांडेय—

[8वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 3 पर स्थानान्तरित ।]

*6—श्री ऊदल—

[3रे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 14 पर स्थानान्तरित ।]

*7—श्री राम सुन्दर पान्डेय—

[3रे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 23 पर स्थानान्तरित ।]

*8—श्री बाबू लाल वर्मा—

[10वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 6 पर स्थानान्तरित ।]

कानपुर जिले के विकास खंड डेरापुर के अन्तर्गत तार विहीन बिजली के खम्भे

*9—चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—

विधान सभा के 13-3-75 तारांकित प्रश्न संख्या 32 के उत्तर के संदर्भ में क्या विद्युत् मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले के विकास खंड, डेरापुर के अन्तर्गत कुछ बिजली लाइनो में खंभे गाड़ दिये गये हैं परन्तु तार नहीं लगाये गये, जिससे लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है और उनसे पैसा नहीं जमा कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों और इन लाइनों के खम्भों में तार कब तक लगा दिये जायेंगे ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

यह सही है कि विकास खंड डेरापुर के अन्तर्गत कुछ बिजली की लाइनों में खम्भे गाड़ दिये गये थे परन्तु कनेक्शन की मांग न होने के कारण तथा चोरी के डर से तार नहीं लगाये गये ।

सम्बन्धित लाइनों से कनेक्शन प्राप्त करने हेतु केवल तीन प्रार्थना-पत्र नलकूपों के विद्युतीकरण हेतु अभी तक प्राप्त हो सके है । इन तीनों के अनुबन्ध करने हेतु लिखा जा चुका है लेकिन इन्होंने न तो अनुबन्ध ही किया और न ही कनेक्शन लेने की धनराशि जमा की ।

इस प्रकार अभी तक सम्बन्धित लाइनों पर कोई कनेक्शन नहीं आ सका और खम्भों पर तार फलाने की आवश्यकता नहीं हुई । जैसे ही कनेक्शन हेतु लोग अनुबन्ध कर लेंगे व पैसा जमाकर देंगे वैसे ही इन लाइनों पर तार आवश्यक दूरी तक खींच दिये जायेंगे, प्रकाश व पंखे हेतु कुछ प्रार्थना-पत्र ग्राम परोख व खल्ला से प्राप्त हुये हैं पर इतने कनेक्शनों पर उन ग्रामों का विद्युतीकरण करना सम्भव नहीं है ।

*10—श्री बाबू लाल वर्मा—

[8वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 2 पर स्थानान्तरित ।]

*11—श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री बाबू लाल वर्मा—

[8वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 1 पर स्थानान्तरित ।]

*12—श्री श्रीनारायण—

[3रे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 20 पर स्थानान्तरित।]

*13—श्री श्रीनारायण—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

*14—श्री दयाराम भास्कर—

[1ले शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 37 पर उत्तरित।]

*15—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

[1ले शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 37 पर उत्तरित।]

नगरपालिका, फर्रुखाबाद द्वारा कचहरी रोड फतेहगढ़ की अनधिकृत दुकानों व झोपड़ियों का हटाया जाना

*16—श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि नगरपालिका, फर्रुखाबाद ने दिनांक 2-5-75 को कचेहरी रोड फतेहगढ़ पर 'अतिक्रमण हटाओ' अभियान के अन्तर्गत अनेक गरीब दुकानदारों की झोपड़ियां व दुकानें बिना किसी नोटिस के जबरदस्ती हटा दीं, जब कि वे नगरपालिका के वैध किरायेदार थे ? यदि हां, तो इनके हटाने का आधार क्या था और इस सम्बन्ध में अब क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (श्रीमती इन्द्र मोहनी)—

जिनकी झोपड़ियां व दुकानें अतिक्रमण अभियान के अन्तर्गत हटाई गई थीं, वे नगर पालिका के किरायेदार नहीं थे। यू0पी0 म्यू0 ऐक्ट की धारा 265 के अन्तर्गत इस प्रकार के अतिक्रमण को हटाने के लिए नोटिस देना आवश्यक नहीं है।

उक्त अतिक्रमण हटाने का आधार यातायात में बाधा पड़ना तथा लड़कों एवं लड़कियों के पाठ्यक्रम पर विपरीत प्रभाव पड़ता था। क्योंकि ये अतिक्रमण जिला उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के निकट किये गये थे। विस्थापितों के लिये निकट स्थान पर भूमि का प्रबन्ध किया गया था परन्तु विस्थापितों ने हटाए गए स्थान पर अनधिकृत रूप से पुनः अपनी झोंपड़ियां रख ली हैं। जिन्हें पुनः हटाये जाने के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जहां तक अनधिकृत रूप से कब्जा किये हुए थे, उनको हटाने में किसी को कोई शिकायत नहीं है। लेकिन इसमें अनेक लोग ऐसे थे जो नगर पालिका के वैध किरायेदार थे, जिनके पास किराये की रसीदें मौजूद थीं। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीया मंत्री जी जिलाधिकारी को लिखकर जांच करा लेंगी ?

श्रीमती इन्द्र मोहनी—

इनमें कुल 12 झोपड़ियां और दुकानें थीं। इनमें कोई दुकानदार म्युनिसिपल किरायेदार नहीं था।

बहराइच जिले के नोटीफाइड एरिया भिनगा के उपाध्यक्ष पद का अवैध रूप से चुनाव

*17—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि बहराइच जनपद के नोटीफाइड एरिया भिनगा के उपाध्यक्ष का पद 28-1-74 से अब तक रिक्त है और चुनाव न होकर किसी डिप्टी कलेक्टर को नियुक्त कर दिया गया है जो अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के अधिकारियों एवं कर्त्तव्यों को करता है ? यदि हां, तो क्यों और पूर्ण विवरण क्या है ? क्या इस बीच नोटीफाइड एरिया कमेटी द्वारा उपाध्यक्ष का चुनाव किया गया था ?

श्रीमती इन्द्र मोहनी--

बहराइच जिले को नोटीफाइड एरिया, भिनगा के उपाध्यक्ष का पद 28 जनवरी, 1974 से रिक्त नहीं है।

28 जनवरी, 1974 को उपाध्यक्ष के पद हेतु नियमानुसार चुनाव हुआ था। चुने गये उपाध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष बाद अर्थात् 28 जनवरी, 1975 को समाप्त होना था। उक्त नोटीफाइड एरिया द्वारा 25 जनवरी, 1975 को पुनः पुराने उपाध्यक्ष का चुनाव किया गया था किन्तु यह चुनाव विधिवत नहीं था, अतः उसे वैध नहीं माना गया। तत्पश्चात् चूंकि विधिवत चुनाव नहीं हुआ अतः निर्धारित प्राविधानों के अनुसार परगनाधिकारी बहराइच को उस समय के लिये जब तक विधिवत चुना गया अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उपलब्ध न हो जाये, इस नोटीफाइड एरिया का काम सौंप दिया गया है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

क्या माननीया मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगी कि निर्धारित प्राविधानों के अनुसार परगनाधिकारी, बहराइच को नोटीफाइड एरिया का चार्ज नहीं दिया जा सकता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि किस धारा के अनुसार उनको नोटीफाइड एरिया का चार्ज दिया गया है?

श्रीमती इन्द्र मोहनी--

उसका टर्म 28 जनवरी को खतम हो रहा था और 25 जनवरी को नियमों के विरुद्ध 3 दिन पहले चुनाव करा लिया। तो अधिकारियों ने देखा कि यह नियमों के विरुद्ध है; लिहाजा उस चुनाव को रद्द कर दिया गया और एस0डी0 एम0 को वहां का चार्ज दे दिया गया।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट के अनुसार उसकी धारा 54 में है कि डिप्टी कलेक्टर को चार्ज नहीं दिया जा सकता है। नोटीफाइड एरिया मैनुअल की धारा 54 (क) के अनुसार उसका चार्ज सुपरिन्टेन्डेन्ट को दिया जाना चाहिये?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

यह तो सरकार देखती है कि किस अधिकारी को चार्ज दिलाया जा रहा है। यह देखा गया कि वह कार्य काल समाप्त हो गया है। तो अब यह देखना हमारा काम है कि किस अधिकारी को चार्ज दिया जाये, जिससे कि कार्य का संचालन ठीक प्रकार से कराया जाये।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

जब एक नियम बना है और इस बात का प्राविधान भी है तो उसके मुताबिक काम क्यों नहीं किया गया? जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद रिक्त है तो सुपरिन्टेन्डेन्ट को चार्ज दिया जाना चाहिये था।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

यह आवश्यक नहीं है कि सुपरिन्टेन्डेन्ट को ही चार्ज दिलाया जाय। यदि कोई और अधिकारी हो जो अच्छा काम कर सके, शासन उसके द्वारा करा सकता है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

28 जनवरी, 1974 के बजाय उपाध्यक्ष ने 3 दिन पूर्व ही अनियमित रूप से चुनाव करा लिया। इस समय वर्ष 1976 चल रहा है, एक साल से अधिक समय हो गया है तो अब तक नोटिफाइड एरिया में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के सम्बन्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्रीमती इन्द्रमोहनी--

उपाध्यक्ष ने एक रिट पैटिशन दायर कर रखी है और जब तक उसका निर्णय नहीं हो जाता है, तब तक कुछ नहीं हो सकता है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

जो रिट पेटीशन हुआ है, उसमें कोई स्थगन आदेश नहीं हुआ है। उसके साथ ही साथ नोटिफाइड एरिया, भिनगा के 11 सदस्यों में से श्री जगन्नाथ प्रसाद मर गये और श्री खुरशैद अहमद साहब ने इस्तीफा दे दिया है। तो जो शेष 9 सदस्य रह गये हैं, उन्होंने जिलाधिकारी, बहराइच को एक प्रार्थना पत्र दिया था कि चुनाव करा दिए जाये। तो फिर किन कारणों से वहां पर चुनाव नहीं कराया गया ?

श्रीमती इन्द्र मोहनी--

जैसा मैंने अभी निवेदन किया जब तक हाई कोर्ट का कोई फैसला न हो जाय, तब तक कैसे चुनाव हो सकता है ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

बावजूद इसके कि कोई स्थगन आदेश नहीं हुआ है, उपाध्यक्ष का इसलिय चुनाव नहीं हो रहा है, तो अध्यक्ष का ही चुनाव कराने में कौनसी कठिनाई हो रही है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

लगभग 2 महीने में वहां पर नगरपालिका और नोटिफाइड एरिया का कार्यकाल ही समाप्त हो जायगा।

श्री ऊदल--

मान्यवर, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उस पर मैं आपत्ति करता हूं। इनका उत्तर बहुत आपत्तिजनक है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

अभी तो कोई प्रश्न नहीं उठता है क्योंकि इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है, सब जगहों पर। पहले से क्यों नहीं हुए, इसकी जानकारी करा ली जायगी।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

जब 9 सदस्यों ने 23-12-1975 को जिलाधिकारी को लिख कर दिया तो फिर उपाध्यक्ष के पद पर चुनाव क्यों नहीं कराया गया ?

श्री अध्यक्ष--

जब तक हाई कोर्ट में रिट है, तब तक एक हजार सदस्य भी यदि कहें, तो कैसे हो सकता है ?

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

वह रिट उपाध्यक्ष पद के लिये नहीं है, अध्यक्ष पद के लिए है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

श्री मोहम्मद अमीन ने, जब उनके उपाध्यक्ष पद के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया तो 31 मार्च का हाई कोर्ट में रिट दायर कर दिया और वह उनके और मैजिस्ट्रेट के बीच में है। इसलिये मेम्बरों के कहने से या लिखने से चुनाव की कार्यवाही नहीं कराई जा सकती है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि 2 महीने बाद म्युनिसिपल बोर्ड और नोटिफाइड एरियाज का कार्यकाल ही समाप्त होने जा रहा है, लिहाजा चुनाव कराने का प्रश्न नहीं उठता। तो क्या वे सदन को इस बात का आश्वासन देगी कि 2 महीने बाद इनकी अवधि नहीं बढ़ायी जायगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

यह आवश्यक नहीं है कि अवधि बढ़ा ही दी जाय। यह सब परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

मेमोरियल अस्पताल, फर्रुखाबाद को पुनः चालू किये जाने की मांग

*18—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि कुछ माह पूर्व मेमोरियल अस्पताल, फर्रुखाबाद को उसके प्रबन्धकों ने तालाबन्दी करके बन्द घोषित कर दिया जिससे लगभग 100 कर्मचारी बेकार हो गये तथा फर्रूखाबाद जनपद की जनता को उत्तम चिकित्सा सुविधा मिलने में कठिनाई उत्पन्न हो गई है? यदि हां, तो क्या इस अस्पताल को पुनः खुलवाने के विषय में प्रशासन को जनता की तरफ से हाल ही में ज्ञापन भी प्राप्त हुये हैं और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

चिकित्सा राज्य मंत्री (श्री रामायण राय)—

मेमोरियल अस्पताल बढ़पुर, फर्रूखाबाद के प्रबन्धकों ने उक्त अस्पताल को दिनांक 8 अगस्त, 1 76 को अ थिक कठिनाई के कारण बन्द कर दिया था।

इस चिकित्सालय को सरकार द्वारा लेने हेतु अध्यक्ष, जिला परिषद् फर्रूखाबाद से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इस मामले की जांच से ज्ञात हुआ कि उपयुक्त अस्पताल एक गैर सरकारी अस्पताल है और उसके प्रबन्धक अस्पताल को सरकार को सौंपने को तैयार नहीं हैं। वे उसे पुनः खोलने हेतु धन एकत्र कर रहे हैं।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

यह अस्पताल फर्रूखाबाद जनपद का ही नहीं बल्कि आस-पास के कई जनपदों का सब से अधिक उपयोगी अस्पताल था और इसके प्रबन्धकों ने अकारण इसको 8 अगस्त, 1975 को बन्द कर दिया, जिसके फलस्वरूप लगभग एक सौ लोग बेरोजगार भी हो गये। तो क्या ऐसी स्थिति में सिर्फ इतना कह देना काफी है कि यह गैर सरकारी अस्पताल है और उसके प्रबन्धक तैयार नहीं हैं और क्या सरकार अपना दबाव उन प्रबन्धकों पर डालेगी कि वह इसको शीघ्रातिशीघ्र निश्चित अवधि के अन्दर चालू कर दें?

श्री रामायण राय—

सरकार निरन्तर उन पर अपने प्रभाव का उपयोग कर रही है, लिख रही है कि अगर आप नहीं चला सकते हैं तो आप सरकार को दे दें और अप्रत्यक्ष रूप से दबाव डालने के लिये सरकार इनकी आर्थिक सहायता करती रही है, उसको भी किन्ही गड़बड़ियों के कारण बन्द कर दिया। इससे बड़ा दबाव और क्या हो सकता है?

इलाहाबाद जिलें में हंडिया को टाउन एरिया बनाने का निर्णय

*19—श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई प्रार्थना पत्र, इलाहाबाद जनपद में हंडिया को टाउन एरिया घोषित करने के सम्बन्ध में दिनांक 2–3–75 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो सरकार इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्रीमती इन्द्र मोहनी—

जी हां।

किन्तु यह पत्र दिनांक 20–3–1975 का है।

हंडिया में टाउन एरिया बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। विज्ञप्ति जारी करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री अठई राम—

क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि यह विज्ञप्ति कब तक जारी हो जायेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

माननीय सदस्य की रिक्वेस्ट पर टाउन एरिया बनाने का निर्णय लिया जा चुका है और विधिवत् जैसे कार्यवाही होती है, समय लेकर वह जल्दी से जल्दी जारी कर दी जायगी ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हंडिया, जिला इलाहाबाद में डाक्टर की लापरवाही के फलस्वरूप एक प्रसूता की मृत्यु

*20—श्री अठई राम—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हंडिया, इलाहाबाद में दिनांक 27–2–75 को ग्राम जमुआ सोंधा हंडिया के एक प्रसूता की मृत्यु लापरवाही के कारण हो गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में जांच करा कर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करेगी ?

श्री रामायण राय—

जी हां ।

इस संबंध में जांच करा ली गई है और दोषी पाये गये चिकित्सा अधिकारी को दंडित किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

श्री अठई राम—

मान्यवर, इसमें उस प्रसूता की डाक्टर की लापरवाही के कारण मृत्यु हो गई । उसकी परवरिश के लिये सरकार कुछ सहायता की व्यवस्था करेगी ?

श्री रामायण राय—

मान्यवर, केवल ऐसे ही मामलों में नहीं, जहां कहीं नागरिकों को कोई कष्ट होता है तो नियमानुसार उनकी सहायता शासन द्वारा की जाती है और उन्हीं नियमों के अन्तर्गत इनकी भी सहायता की जा सकती है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

माननीय मत्री जी ने स्वीकार किया है कि डाक्टर ने लापरवाही की । तो आखिर वह लापरवाही क्या थी, क्या गलत इन्जेक्शन दे दिया या लापरवाही की ?

श्री रामायण राय—

एक प्रसूता महिला अस्पताल में जाती है । वहां उसकी जितनी केयर करनी चाहिये थी, वह शायद नहीं की गयी, यही उसकी लापरवाही थी । इस सम्बन्ध में जांच करायी गयी है । जांच रिपोर्ट शासन को मिल गई है और दोषी व्यक्ति को दंडित करने के लिये शासन विचार कर रहा है ।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

मान्यवर, 1 साल के करीब हो गया और अभी डाक्टर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, अभी कितनी देर और लगेगी, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री रामायण राय—

शासन ने तत्काल कार्यवाही यह की कि डाक्टर और उसकी पत्नी को वहां से हटा दिया । सरकार की तरफ से तनिक भी विलम्ब नहीं हुआ है ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—

उस प्रसूता के मरने के बाद जांच कब करायी गयी और जांच रिपोर्ट क्या थी ?

श्री रामायण राय—

डिप्टी सी0 एम0 ओ0, फैमिली प्लानिंग ने 12–9–75 को जांच की ।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--
जांच की रिपोर्ट क्या है ?

श्री रामायण राय--
मैंने रिपोर्ट का जिस्ट तो बता दिया कि डाक्टर की लापरवाही पायी गयी।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--
क्या इससे मैं यह समझूं की जांच रिपोर्ट आपके पास नहीं है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री प्रभुनारायण)--
रिपोर्ट है। उसमें यह है कि ग्राम जमुआ सोंधा में एक प्रसूता प्रसव केन्द्र पर आयी। प्रसव के बाद डाक्टर कम्पाउन्डर से यह कह कर चले गये कि यदि प्लेसेन्टा बाहर न निकले तो प्रसूता को मैथारजीन का इन्जेक्शन लगा देना। उक्त महिला के प्लेसेन्टा अन्दर ही रह गया। जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गयी। इस मामले में डाक्टर की लापरवाही पायी गयी। इन्जेक्शन आदि लगाने के कार्य को उसे अपने सामने कराना चाहिये था। यही रिपोर्ट में है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--
ऐसे डाक्टर को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया ?

श्री प्रभुनारायण--
इस संबंध में जांच की कार्यवाही अब पूर्ण हो गयी है, उसको सस्पेंड करने के आदेश भी आज दे दिये हैं, अन्य कार्यवाही भी की जायेगी।

श्री रुद्र प्रसाद (जिला मिर्जापुर)--
इस लापरवाही के लिये क्या सरकार भारतीय दंड विधान की धारा 304(1) के अन्तर्गत कार्यवाही करेगी, उस डाक्टर के खिलाफ ?

श्री प्रभुनारायण--
जो कुछ कानून के अनुसार आवश्यक होगा, अवश्य किया जायेगा।

*21--श्री अनवार जमील--
[3रे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 16 पर स्थानान्तरित।]

छिबरामऊ, जिला फर्रुखाबाद के लिये आवास योजना

*22--श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)--
क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छिबरामऊ जिला फर्रुखाबाद में आवास योजना 1974 में मंजूर होने के बावजूद अभी तक लागू नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती इन्द्र मोहनी--
शासन द्वारा छिबरामऊ जिला फर्रुखाबाद में 1974 में कोई आवास योजना नहीं मंजूर की गई।

श्री अनवार जमील--
क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि छिबरामऊ नगरपालिका के अध्यक्ष से और शासन के बीच कोई पत्र-व्यवहार हुआ है, इस संबंध में ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--
छिबरामऊ की तरफ से यह मांग आती रही है कि हाउसिंग बोर्ड ऐक्ट वहां भी लागू किया जाय और इस सिलसिले में परिषद् में विचार भी हुआ है। अभी वह लागू नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश की सारी ही नोटीफाइटड एरिया इससे कवर नहीं होती हैं। समय-समय पर नोटीफाइ करते हैं। इस पर भी निर्णय लिया जायेगा, अभी विचाराधीन है।

राज्यविद्युत् परिषद् में विवाद के निपटारे हेतु गठित स्थायी समिति की बैठक न होना

*23—श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)—

क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में औद्योगिक विवाद के निपटारे की स्थायी समिति नियुक्त की गयी थी? यदि हां, तो स्थायी समिति की बैठक राज्य विद्युत् परिषद् ने गत कितने समय से और किन कारणों से नहीं बुलाई?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां।

स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28-8-1973 के बाद से निम्न कारणों से नहीं बुलायी गयी :—

दिनांक 25-8-73 को स्थायी समिति की मीटिंग में श्रमिक प्रतिनिधियों ने यह सूचित किया था कि यदि परिषद् वेतन मानों में तुरन्त संशोधन करने को तैयार है तो आगे वार्ता हो सकती है अन्यथा वार्ता की कोई सम्भावना नहीं है। तदुपरान्त श्रमिक सदस्य समिति की बैठक को छोड़कर चले गये।

दिनांक 28-8-73 की बैठक में परिषद् द्वारा सदस्यों को सूचित किया गया कि वेतनमान निर्धारण करने का विषय बहुत गम्भीर है तथा इसका निस्तारण न्यायाधिकरण के निर्णय से ही हो सकता है, जिसके समक्ष विवाद पूर्व से ही विचाराधीन था। श्रमिक सदस्यों ने कहा कि यह मांग न स्वीकार होने पर वे संघर्ष का रास्ता अपनायेंगे। इसके उपरान्त वे बैठक छोड़कर चले गये। ऐसी स्थिति में समिति की कोई अन्य बैठक बुलाना उचित नहीं समझा गया।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, क्या मंत्री जी यह आश्वासन देने की कृपा करेंगी कि श्रमिकों की जो मांग है, उसपर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

मान्यवर, श्रमिकों की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया और उसके बाद दो रिपोर्टें आयीं विद्युत् बोर्ड की। एक पर अमल किया गया और दूसरी पर कुछ एनामलीज हैं, उस पर भी विचार किया जा रहा है। वह एनामलीज अप्रैल महीने में दूर करके उस पर भी विचार किया जायेगा।

श्री ऊदल—

यह जो श्रमिक प्रतिनिधि गुस्से में आकर चले गये तो क्या आप अपने स्तर पर इन प्रतिनिधियों को बुलाकर कुछ रास्ता निकालेंगे, ताकि इस कमेटी की बैठक नियमित तरीके से हमेशा हो सके और जो छोटे-मोटे विवाद हैं, उनको निपटाया जा सके।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

अध्यक्ष जी, अब तो मैंने निर्णय लिया कि इस कमेटी को ही समाप्त कर दिया जाय। यह इसलिये भी किया है कि अब बोर्ड और समिति के बीच में कोई विवाद भी नहीं है। अब एक नई क्लाईमेट में हमारे श्रमिक काम कर रहे है। जिस वातावरण में यह कमेटी बनायी गयी थी, तो आज उस रूप में उसकी आवश्यकता नहीं है। वर्कर्स पार्टीसिपेशन स्कीम के अन्तर्गत इनको जो कठिनाइयां होंगी, उनको हम सुनेंगे।

नोट:—तारांकित प्रश्न संख्या 23 श्री गोविन्द सिंह नेगी द्वारा पूछा गया।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित । अभी माननीय ऊदल ने जो प्रश्न किया, तो ऐसा लगा कि विद्युत् परिषद् कोई अलग संस्था है और उसके इम्प्लाई सरकारी इम्प्लाई नहीं हैं। विद्युत् परिषद् के इम्प्लाइज सरकारी इम्प्लाइज हैं और वह एसेन्शियल सर्विसेज हैं। यहां पर रात दिन तार कटी होती है और ट्रान्सफार्मर्स की चोरी होती है। यह काम छोटे कर्मचारी करते हैं और माननीय ऊदल जी जैसे लोग उनको सह देते हैं। तो क्या मंत्री जी ऐसा ऐक्ट बनाने जा रही हैं कि किसी भी तरह के ट्रेड यूनियनिज्म को प्रश्रय न दिय जाए ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

यह तो बड़ा मौलिक प्रश्न काशीनाथ जी ने उठा दिया है। जहां तक श्रमिकों को अपनी तकलीफों को रखने का हक है, मैं उसके पक्ष में हूं।

श्री ऊदल--

काशीनाथ जी संविधान के विपरीत बोलते हैं और आपको भी परेशानी में डालते हैं।

श्री अध्यक्ष--

मैं परेशान नहीं होता। वे अपने को ही परेशान करते हैं।

श्री ऊदल--

मंत्री जी ने कहा कि उस कमेटी को भंग करेंगी। तो क्या जो एपेक्स बाडी बनी हुई है, उसके सामने सारे मसले आयेंगे और वहां वह तय होंगे ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

यह जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन स्कीम है, उसमें ही आ जायेंगे। अगर कुछ बातें रह जाती हैं, तो ट्रेड यूनियन के नेताओं से मिलकर बात हो जायगी। अगर फिर भी कुछ रह जाता है, तो उस पर विचार हो सकता है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

वर्कर्स पार्टिसिपेशन वाली स्कीम राज्य विद्युत् परिषद् में कब से लागू हो जायगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

लागू तो हो गयी लेकिन एक यूनियन कोर्ट में चली गई इस वजह से स्टे हो गया। हमारी तरफ से तो लागू है ही।

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा नगर को खूबसूरत बनाने की योजना

*24--श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव (अनुपस्थित)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन ने लखनऊ डेवलपमेंट अथारिटी को कोई ऐसे निर्देश दिये हैं कि लखनऊ शहर को खूबसूरत बनाने का कार्य केवल हजरतगंज, लखनऊ क्षेत्र में ही किया जाय ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

जी नहीं। उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1975 और उसके अधीन बनी उपविधियों के अन्तर्गत लखनऊ विकास प्राधिकरण ने नगर की मुख्य सड़कों के भवनों को खूबसूरत बनाने की योजना बनायी है। प्रथम चरण में नेशनल हेराल्ड प्रेस से बसन्त सिनेमा तक, हजरतगंज क्षेत्र तथा कैसरबाग सरकस क्षेत्र में कार्य किया गया है। अमीनाबाद क्षेत्र में कार्य शीघ्र प्रारम्भ होगा अन्य भागों को भी शनैः शनैः लिया जायेगा।

बहराइच जिले में लक्ष्मनपुर, इकधरवा, दुर्गापुर व जोखवा की विद्युतीकरण योजना

*25—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि बहराइच जनपद में इकोना से लक्ष्मनपुर बाजार होते हुए सिरसिया को जाने वाली सड़क के किनारे पिछले चार वर्षों से लाखों रुपये के बिजली के खम्भे बेकार पड़े हैं ? यदि हां, तो लक्ष्मनपुर बाजार, जोखवा व सिरसिया तक बिजली के खम्भे लगा कर बिजली कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी नहीं। लक्ष्मनपुर बाजार से इकधरवा तथा दुर्गापुर तक की विद्युत् लाइन बना दी गई है। लक्ष्मनपुर बाजार तथा जोखवा का विद्युतीकरण, इच्छुक उपभोक्ताओं से आवेदन पत्र प्राप्त होने एवं वांछित रिटर्न के आने पर कर दिया जायेगा दुर्गापुर से सिरसिया तक लाइन बनाना इस समय सम्भव नहीं है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

यह खम्भे कब लगाये गये ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

तारीख तो इस समय नहीं है। लेकिन वहां 11 के0 बी0 की लाइन बनाने हेतु काम जारी है। विद्युत् बोर्ड यह देखता है कि जो भी खर्च आये उसका 15 प्रतिशत का रिटर्न आये। तो हमारी योजना तो चालू है, अब माननीय सदस्य, इसमें हमारी मदद करें कि आवेदन-पत्र इतने आ जायं कि विद्युत् बोर्ड तैयार हो जाय।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

चार वर्ष पहले ही वहां खम्बे गाड़ दिये गये और लक्ष्मनपुर बाजार और जोखवा बाजार के कई लोगों के प्रार्थना पत्र बिजली लगवाने के लिये बहुत पहले से पड़े हुये हैं, लेकिन उन पर विचार नहीं हुआ। बिजली उन्हें नहीं दी जा रही है। तो जिन लोगों ने प्रार्थना-पत्र दिये हैं, क्या उनको एक माह के अन्दर बिजली मिल जायेगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

अगर 25 तक प्रार्थना-पत्र मिल जाते हैं, तो कनेक्शन दे दिया जायेगा।'

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

दुर्गापुर से सिरसिया तक लाइन बनाना क्यों सम्भव नहीं है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जो योजना बनायी गयी थी, उसमें यह लाइन नहीं थी। लेकिन यह क्रम तो बराबर जारी रहता है, कोई रुकावट नहीं है।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगी कि जब लोगों ने रुपया जमा नहीं किया था और योजना पूरी तरह से बनायी नहीं गयी थी, तो इतने फालतू खम्भे वहां क्यों पहुंचाये गये जो ऐसे ही पड़े रहे ? आखिर इस फालतू खंभों को दूसरी जगह पहुंचाने में भी तो विद्युत् परिषद् का कुछ खर्चा हुआ होगा, तो फिर वहां ज्यादा क्यों पहुंचाये गये ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

ज्यादा नहीं पहुंचाये गये, योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है और आवश्यकतानुसार योजना को लागू भी किया गया है।

नोटीफाइड एरिया नौगावां सादात, जिला मुरादाबाद में अस्पताल की स्थापना हेतु दी गयी धनराशि एवं भूमि

*26—हाजी मोहम्मद हयात (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोटीफाइड एरिया नौगावां सादात, तहसील अमरोहा, जिला मुरादाबाद की एक महिला द्वारा वर्ष 1966 में 25 हजार रुपये का दान अस्पताल बनवाने हेतु दिया गया था तथा बाद में 1/7 एकड़ भूमि का दान पत्र भी उक्त महिला की ओर से अस्पताल की बिल्डिंग के लिये दिया गया था ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुयी ?

श्री प्रभु नारायण—

जी हां। प्राप्त दान पत्र का परीक्षण किया गया और उसे संशोधित करके निष्पादित करने हेतु दान कर्त्ता को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुरादाबाद के मार्फत भेजा गया है ताकि उसकी रजिस्ट्री कराई जा सके।

*27–28—श्री अब्दुल रऊफ लारी—

[4थे गुरुवार के लिये स्थगित।]

एस० डी० ओ० एवं लाइन इन्सपेक्टर, विद्युत् जिला एटा के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*29—श्री राम प्रकाश यादव (जिला मथुरा) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हे कोई शिकायती–पत्र दिनांक 20 जनवरी, 1975 का कुछ विधायकों के हस्ताक्षर से प्राप्त हुआ जिसमें एस0 डी0 ओ0 एवं लाइन इन्सपेक्टर बिजली विभाग, सर्किल बिलराम, जिला एटा द्वारा की जा रही मनमानी अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में विवरण अंकित है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जी हां। एक शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था जिसकी जांच अधिशासी अभियन्ता, एटा द्वारा कराई गई और जांच से निम्न तथ्य मालूम हुए :—

उपभोक्ता, श्री रामचन्द्र सिंह यादव ग्राम बिलराम का ट्रान्सफारमर अक्टूबर, 1974 को चोरी हो गया था। इसके पहले दिसम्बर, 70 में भी इनका ट्रान्सफारमर चोरी हो गया था। ट्रांसफारमर को आबादी के पास लगा कर उपभोक्ता के ट्यूबवेल की बिजली मार्च, 1975 में चालू कर दी गई। इस विषय में रिश्वत मांगने तथा भ्रष्टाचार की बात निराधार पाई गई जैसा कि उपभोक्ता श्री राम चन्द्र सिंह ने स्वयं लिख कर दिया है, जिसकी प्रतिलिपि साथ में संलग्न है

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ. 88 पर।)

टाउन एरिया सादाबाद, जिला मथुरा के अध्यक्ष के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*30—श्री राम प्रकाश यादव (अनुपस्थित)—

दिनांक 1 अप्रैल, 1975 की कार्यसूची के तारांकित प्रश्न संख्या 13 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार कृपया बताएगी कि प्राप्त दो शिकायती पत्रों में मुख्य–मुख्य शिकायतें क्या हैं, दोनों शिकायत–पत्र किस–किस तारीख के हैं और उन्हें जिलाधिकारी ने कब भेजा ? क्या शासन ने इस सम्बन्ध में कोई प्राथमिक रिपोर्ट जिलाधिकारी से मांगी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

जैसा कि पहले सूचित किया गया है प्रश्नगत दोनों पत्र जिलाधिकारी, मथुरा को जांच के लिये मूलरूप मे भेजे गये हैं। इन पत्रों मे सामान्यता टाउन एरिया कमेटी, सादाबाद एवं उसके अध्यक्ष के विरुद्ध कतिपय अनियमितताओं की शिकायत की गयी है।

इन दोनों पत्रों में से एक पत्र 30 मार्च, 1974 का तथा दूसरा पत्र दिनांक रहित है। ये पत्र जिलाधिकारी ने नहीं भेजा है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

देवरिया जिले के पडरौना नगर में नसबन्दी शिविर सम्बन्धी घोटाले की जांच

*31—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जनपद के पडरौना नगर में वर्ष 1972–73 में आयोजित नसबन्दी शिविर में लाखों रुपए के घोटाले की छानबीन तथा फर्जी नसबन्दी की जांच हेतु अतिरिक्त निदेशक परिवार नियोजन (श्री एम० पी० चतुर्वेदी) अक्तूबर, 1975 में पडरौना गए थे ? यदि हां, तो क्या उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत की है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा उक्त रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री प्रभु नारायण—

जी हां, जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है । जांच रिपोर्ट के अनुसार कुछ मामलों में अनियमिततायें पाई गई हैं जिनसे संबंधित डाक्टरों एवं प्रेरकों के विरुद्ध कार्यवाही करने का मामला विचाराधीन है ।

शहरी भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम के कार्यान्वयन संबंधी केन्द्रीय सरकार से प्राप्त "गाइड लाइन्स"

*32—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहरी सम्पत्ति के सीमाबन्दी के उद्देश्य को पूरा करने के लिये निर्मित भवनों के सम्बन्ध में राज्य सरकार को केन्द्र से हाल में कोई निर्देश प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती इन्द्र मोहनी—

जी नहीं, ऐसे कोई विधिक निर्देश प्राप्त नहीं हुये हैं परन्तु शहरी भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 के उद्देश्यों को पूरा करने हेतु केन्द्र सरकार ने कुछ "गाइड लाइन्स" भेजे हैं। निर्मित भवनों के सम्बन्ध में निम्नलिखित गाइड लाइन्स हैं :—

(1) भवन के साथ भूमि पर शहरी–भूमि कर लगाना जहां भूमि निर्धारित सीमा से अधिक है ।

(2) निर्धारित सीमा से अधिक निर्मित कुर्सी क्षेत्रफल पर टैक्स ।

भारत सरकार ने एक केन्द्रीय समन्वय समिति का गठन कर दिया है जो इन 'गाइड लाइन्स' का भी परीक्षण करेगी तथा यथा सम्भव एक आदर्श विधान बनायेगी । इस कमेटी की प्रथम बैठक नयी दिल्ली में दिनांक 31–3–76 को आयोजित की गयी है । केन्द्र सरकार का निर्णय प्रतीक्षित है।

भवन निर्माण से सम्बन्धित नियम, विनियम एवं उपविधियों में इस अधिनियम के प्राविधानों को दृष्टि में रखते हुये संशोधन करने के प्रश्न पर विचार करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की संस्तुति प्राप्त होने पर नियमों आदि के संशोधन की कार्यवाही की जायेगी ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगी कि जो गाइड लाइन सेन्टर ने निर्धारित किया था और जिसके आधार पर दिनांक 31 मार्च, 1976 को मीटिंग हुई होगी, उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपना क्या सुझाव दिया है ?

श्रीमती इन्द्र मोहनी—

जो कल मीटिंग हुई है, उसका तो अब मालूम होगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मेरा कहना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस मीटिंग के सामने अपने क्या सुझाव दिए हैं ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस गाइड लाइन को मानते हुए कुछ अपने सुझाव दिए हैं, जो इस प्रकार हैं—एक तो यह कि हमारे उत्तर प्रदेश के अन्य नगर जो एक लाख से ज्यादा पोपुलेशन के हो रहे हैं, उनमें भी यह लागू किया जाय। दूसरा यह कि एक जगह जहां कि बिल्ड अप एरिया है, उसके बाद जो ओपेन लैन्ड है 500 स्क्वायर मीटर, उसके साथ छोड़ा जाता है तथा उसके साथ और भी 500 स्क्वायर मीटर छोड़ने की बात है, ताकि आगे के लिए अगर कोई व्यक्ति बनाना चाहे तो उसे 500 स्क्वायर मीटर प्लिथ एरिया मिल जाय। तो क्यों नहीं हम अभी से ऐसी रोक लगा दें, जिससे यह डिस्क्रीमिनेशन न हो और, प्रत्येक व्यक्ति को फ्यूचर प्लानिंग में घर बनाने के लिए इतनी जमीन रहनी चाहिये, तो उसकी शुरुआत अभी से क्यों न की जाय ? क्योंकि अभी जो ऐक्ट है, उसका यह क्लेरिफिकेशन होना जरूरी है कि बिल्ड अप एरिया के अलावा उसके पास ओपेन लैन्ड 1500 स्क्वायर मीटर रहेगा प्लस 500 स्क्वायर मीटर रहेगा—प्लस 500 स्क्वायर मीटर रहेगा, इस तरह से करीब 2500 स्क्वायर मीटर एक व्यक्ति के पास जाता है हम दूसरे लोगों को यह कहते हैं कि 500 स्क्वायर मीटर प्लिन्थ एरिया होगी। तो इन दोनों में फर्क आ रहा है। अभी अगर इतनी जमीन लोगों को लेने को परमीशन दे दिया तो जमीन अभी से लोग दबा लेंगे और जो अरबन सीलिंग ऐक्ट का मुख्य उद्देश्य है, जमीन निकालने का उस पर इफेक्ट आ सकता है। यह उत्तर प्रदेश सरकार ने खास तौर से अपने सुझाव केन्द्रीय सरकार के पास भेजे हैं। इसका क्लेरीफिकेशन हम स्पष्ट रूप से चाहते हैं। फिलहाल आज और कल इसकी मीटिंग हो रही है, समन्वय समिति की उसमें इनको देखा जायगा। दूसरे जैसे किसी व्यक्ति के पास मान लिया कि 18 सौ स्क्वायर मीटर का अपना मकान है। इसके अलावा उसके पास 3-4 होते हैं। एक हाते में मिट्टी का घर बना है। 1 2 एकड़ जमीन पड़ी हुयी है तो हम उसको इतनी जमीन एलाऊ करें या नहीं। इसका भी क्लेरिफिकेशन होना चाहिए। साथ ही साथ एक आदमी कई जगहों पर कई नगरों में जमीन रखता है। उत्तर प्रदेश में केवल 12 नगरों में ही लैन्ड सीलिंग लागू हैं। तो दूसरी जगह पर किसी ने जमीन जमा कर रखी है और जहां पर ऐक्ट लागू नहीं होता है तो दोनों जगहों की जमीन मिलाकर करना है या नहीं करना है, कुछ इस तरह के बड़े मौलिक सवाल हैं, जो हमने सुझाव के रूप में रखे हैं। हम चाहते हैं कि अभी से यह बातें लागू हों और उसमें जो कुछ भी कमी जान पड़ती है वह पूरी हो सके केन्द्रीय सरकार ने भी हमारी उस मीटिंग की बहस के दौरान में इन चीजों का अनुभव किया कि इसमें कुछ गुन्जाइश है सुधार की। और इसीलिए एक उच्चस्तरीय समिति बनायी। हमारे सेक्रेटरी भी उसके सदस्य हैं और वह भी गए हुए हैं। हमें आशा है कि आपस की बातचीत के बाद जो कठिनाइयां हैं, वह दूर हो सकेंगी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं इन सुझावों के लिए मन्त्री जी को बधाई देता हूं।

श्री ऊदल—

मान्यवर, मन्त्री जी ने अभी बताया कि एक कमेटी बनायी गयी है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुछ सुझाव भी भेजे हैं। मान्यवर, अगर वह कमेटी, जो हमारे सुझाव हैं, उनको न माने तो क्या मन्त्री जी इस प्रश्न के ऊपर विचार करेंगी कि उत्तर प्रदेश हमेशा से इन मामलों में चाहें जमींदारी उन्मूलन हो या आदिवासी या सीरदारी कानून हों, इन

चीजों के बारे में उत्तर प्रदेश ने अगुवाई की है। तो इस पृष्ठभूमि में जल्दी से जल्दी कोई इस तरह का कानून बनाकर इस सदन में पास करेंगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मान्यवर, माननीय सदस्य बहुत पुराने सदस्य हैं और जानते हैं कि हमने इसी सदन में प्रस्ताव किया है कि अरबन सीलिंग ऐक्ट, जो केन्द्रीय सरकार पास करेगी तो वह हमारे ऊपर लागू होगा। अब अगर कोई संशोधन की बात है, केन्द्रीय सरकार द्वारा ही हम करेंगे। मैं माननीय सदन और माननीय सदस्यों की जो भावनायें हैं और जो जैसे मैंने बताया केन्द्रीय सरकार के सामने समय-समय पर हम अपनी बात रखेंगे और उसमें हमें केन्द्रीय सरकार यह इजाजत देगी कि उत्तर प्रदेश सरकार भी कुछ लागू कर सकती है, तो हम करेंगे। अगर वह हमें इजाजत देगी तो छोटे-मोटे परिवर्तन उनसे अनुमति लेकर, उसका एप्रूवल लेकर इन चीजों को हम करते रहेंगे। इसीलिए हमने शुरू में ही इन चीजों को उठा दिया।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, माननीया मन्त्री जी ने जो सुझाव भेजे हैं उनका यह सदन स्वागत करेगा ही लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा मन्त्री जी से कि जो अतिरिक्त भूमि निकलेगी, इस सीलिंग से उसके आबंटन में क्या-क्या प्राथमिकतायें होगी और उस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार की क्या नीति है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

इसके आबंटन के लिए प्राथमिकता के सम्बन्ध में भी ब्योरा, हमारे ऐक्ट के अन्दर है। और माननीय सदस्यों को इसकी प्रतिलिपि भेजी भी जाएगी। मैं समझती हूं कि कम से कम पार्टी के लीडर्स के आफिस में हम इसको भेजेंगे। जैसा कि आप देखेंगे कि यह बहुत इम्पारटेंट ऐक्ट है। प्राथमिकता में पहला तो यह है कि पब्लिक इन्टरेस्ट में, जो भी जमीन निकलेगी, सरकार पहले लेना चाहती है, वह लेंगे। उसके बाद जैसे हाऊसिंग कोआपरेटिव, हाऊसिंग बोर्ड, विकास प्राथमिकता इन सब के लिए हैं। इसी तरह बिल्डिंग के सिलसिले में है। ऐक्ट में 26-27 धारा यह है बिल्डिंग बेचना चाहे, जहां सीलिंग ऐक्ट लागू है, उसको पहिले कम्पीटेन्ट एथारिटी से परमीशन लेना पड़ेगा। उसको हम भी ले सकते हैं। इस तरह यह काफी सक्षम ऐक्ट बनाया गया है।

श्री कमला प्रसाद वर्मा--

मान्यवर, जो शहरी सम्पत्ति से जमीन बचेगी, कहा गया है कि उसका आबंटन किया जाएगा। तो आप क्या यह निर्णय लेंगी कि जाति के आधार पर न रखकर भवनहीन किसी भी जाति का हों, उसको वह आबंटित करेंगे ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

मान्यवर, यहां कोई जाति की बात नहीं है। विकास प्राधिकरण, हाऊसिंग बोर्ड तथा वीकर सेक्शन के लोगों के कल्याण के लिए तरह-तरह की योजनायें हैं, उनमें वह जमीन लगायी जाएगी।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

मान्यवर, मन्त्री जी ने आखिरी पद में कमेटी के बारे में जिक्र किया है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि यह कमेटी कौन सी है, कैबिनेट स्तर की है या केन्द्र की है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी--

दिल्ली में मुख्य मन्त्रियों की हाऊसिंग मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई थी उसमें यह कमेटी बनायी गयी है। जिन प्रदेशों में यह ऐक्ट लाग हुआ है, उन प्रदेशों के प्रतिनिधि और दिल्ली के प्रतिनिधियों ने मिल कर कमेटी बनायी है। हम लोगों ने तरह-तरह के प्रश्न उठाए थे एनामलीज को दूर करने के लिए और इसीलिए यह कमेटी बनायी गयी है।

*33—श्री मुहम्मद असरार अहमद—

[4थे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 12 पर स्थानान्तरित।]

*34—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[4थे गुरुवार के लिए स्थगित।]

अतारांकित प्रश्न

1—श्री श्रीनारायण—

[6वें सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 1 पर स्थानान्तरित।]

बनारस इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी द्वारा पम्पिंग सेट हेतु दिये गये विद्युत् कनेक्शन

2—श्री ऊदल—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के वाराणसी एलेक्ट्रिक सप्लाई अन्डर टेकिंग, वाराणसी का राष्ट्रीयकरण होने के बाद से कितने किसानों को पम्पिंग सेट हेतु कनेक्शन दिया गया और एग्रीमेन्ट होने के बाद कितनों को नहीं मिल पाया ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

बनारस इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी के राष्ट्रीयकरण होने के बाद विद्युत् परिषद् द्वारा कुल 157 किसानों को पम्पिंग सेट हेतु कनेक्शन दिया गया तथा 135 मामलों में जिनमें अधिकांशत: एग्रीमेन्ट व बी0 एन्ड एल0 फार्म हाल ही में प्राप्त हुए हैं, कनेक्शन नहीं मिल पाया है।

जल विद्युत् विभाग, वाराणसी द्वारा पम्पिंग सेट हेतु दिये गये विद्युत् कनेक्शन

3—श्री ऊदल—

क्या विद्युत् मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जल विद्युत् विभाग, वाराणसी ने सन् 1974 तथा 25 अक्तूबर, 1975 तक कितने कनेक्शन पम्पिंग सेटों हेतु दिया है और कितने एग्रीमेन्ट होने के बाद भी आज तक नहीं दिए गए हैं ? जिले के प्रत्येक ब्लाकवार कितनी संख्या है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

सन् 1974 से 25 अक्तूबर, 1975 तक 493 कनेक्शन पम्पिंग सेटों हेतु दिए गए हैं। 309 मामलों में एग्रीमेन्ट होने के बाद कनेक्शन नहीं हो सके हैं। ब्लाकवार स्थिति निम्न प्रकार हैं—

ब्लाक	कनेक्शन दिए गए	कनेक्शन नहीं दिए गए
1	2	3
1—आराजी लाइन	16	25
2—सेवापुरी	32	2
3—ज्ञानपुर	56	30
4—भदोही	46	10
5—सुरियावां	48	20
6—औराई	23	1

1			2	3
7—डीथ	..	..	26	10
8—काशीविद्यापीठ	..	..	45	40
9—बड़ा गांव	..	..	11	5
10—पिन्डरा	..	..	12	6
11—हरदुआ	..	..	26	43
12—चकिया	..	..	11	4
13—नियामताबाद	..	..	4	4
14—सहाबगंज	..	..	4	4
15—चन्दोली	..	..	32	10
16—बरहनी	..	.	24	51
17—सकलडीहा	..	..	20	12
18—चहनिया	..	..	11	..
19—थानापुर	..	..	25	32
20—चिरइगांव	..	..	16	..
21—चौलापुर	..	..	5	..
	योग	..	493	309

प्रतापगढ़ के विकास खंड सांगीपुर के ग्रामों का विद्युतीकरण

4—श्री दीनानाथ सेवक (जिला राय बरेली)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद प्रतापगढ़ के विकास खंड, सांगीपुर के कितने गांवों में बिजली अब तक पहुंच गयी है और सम्पूर्ण ग्राम सभा उक्त विकास खंड के कब तक बिजली से लाभान्वित हो जाने की सम्भावना है ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

प्रतापगढ़ जनपद के सांगीपुर विकास खंड में अब तक 21 ग्रामों में विद्युत पहुंचाई जा चुकी है।

सांगीपुर विकास खण्ड में कुल 122 ग्राम हैं। सम्पूर्ण ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य वहां के निवासियों पर निर्भर है। जैसे ही वहां के निवासी विद्युत् कनेक्शन लेने के लिए आवश्यक आवेदन-पत्र 25 रुपए अग्रिम धनराशि के साथ जमा कर देंगे वैसे ही आवश्यक प्रतिलिपि प्राप्त होने पर ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा सकेगा।

5—श्री दीनानाथ सेवक—

[5वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 11 पर स्थानान्तरित।]

भिनगा नगर, बहराइच में स्थित उप विद्युत गृह से विद्युत की आपूर्ति

6—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि बहराइच जिले के भिनगा नगर मे पिछले कई वर्ष से उप विद्युत् गृह का निर्माण हो रहा है जो अभी तक अधूरा है ? यदि हां, तो कब तक पूर्ण हो जाएगा और भिनगा नगर को पूर्णकालिक बिजली कब से उपलब्ध करा दी जाएगी ?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

बहराइच जिले के भिनगा नगर में उप विद्युत् गृह के निर्माण का कार्य मार्च, 1975 में पूर्ण हो चुका ह तथा वह इनरजाइज्ड भी हो चुका है।

भिनगा नगर को पूर्णकालिक बिजली 11-9-75 से उपलब्ध हो रही है।

7—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 6 पर स्थानान्तरित।]

8—श्री लक्ष्मी नारायन पांडेय—

[4थे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 11 पर स्थानान्तरित।]

9—श्री दीनानाथ सेवक—

[4थे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 16 पर स्थानान्तरित।]

10—श्री मोहम्मद रफी खां—

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 7 पर स्थानान्तरित।]

हिन्दुस्तान कामर्शियल बैंक (लीडबैंक) की विद्युतीकरण स्कीम के अन्तर्गत गांवों का विद्युतीकरण

11—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या विद्युत् मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले की डेरापुर तहसील में हिन्दुस्तान कामर्शियल बैंक (लीड बैंक) की विद्युतीकरण की स्कीम पर कार्य हो रहा है? यदि हां, तो इसके अन्तर्गत कौन-कौन कहां से कहां तक लाइनें बनाई जानी है और कौन-कौन लाइन अब तक बन गई हैं तथा इसमें कुल कितने कौन-कौन गांवों का विद्युतीकरण किया जाएगा और अब तक कौन-कौन गांवों का विद्युतीकरण हो गया है तथा यह सम्पूर्ण स्कीम की रूप-रेखा क्या है?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—]

जी हां।]

सूचना संलग्न है।

(देखिए नंत्थी "ख" आगे पृष्ठ 883 पर।)

12—श्री दया राम भास्कर—

[3रे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 8 पर स्थानान्तरित।]

राज्य श्रम त्रिदलीय सम्मेलन (चीनी उद्योग) में वैकुअम पान चीनी कारखानों तथा श्रमिकों के बीच आनुतोषिक संबंधी समझौता

13—श्री बाबू लाल वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 29 अक्तूबर, 1975 को प्रदेश की चीनी मिलों के कार्यरत कर्मचारियों को ग्रेच्युटी में विशेष सुविधा देने का सरकार ने निर्णय लिया है। यदि हां, तो उसकी पूरी-पूरी रूप-रेखा क्या होगी?

श्रम राज्य मंत्री (श्री रमेन्द्र वर्मा)—

दिनांक 28 अक्तूबर, 1975 को राज्य श्रम त्रिदलीय सम्मेलन (चीनी उद्योग) में वैकुअम पान चीनी कारखानों तथा श्रमिक प्रतिनिधियों के बीच आनुतोषिक के प्रश्न पर हुए समझौते को संलग्न अधिसूचना दिनांक 20 दिसम्बर, 1975 द्वारा लागू कर दिया गया है।

(देखिए नत्थी "ग" आगे पृष्ठ 884-885 पर।)

नसबन्दी के मामले न देने पर परिवार नियोजन कर्मचारियों की सेवा समाप्ति संबंधी कथित आदेश

14—श्री अठई राम—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में परिवार नियोजन में कार्यरत समस्त कार्यकर्ताओं की प्रति माह 2 नसबन्दी अनिवार्य रूप से न कराने पर उनकी नौकरी समाप्त कर दिए जाने के कोई आदेश हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री प्रभु नारायण—

जी नहीं।

सिविल अस्पताल, फर्रुखाबाद में रोगियों की संख्या

15—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि सिविल अस्पताल, फर्रुखाबाद में 1 जनवरी, 1975 से 30 अप्रैल, 1975 तक प्रतिमाह इन्डोर तथा आउट डोर रोगियों की कितनी संख्या रही तथा इनकी परिचर्या के लिए कितने चिकित्सकों की सेवायें उपलब्ध थीं ?

श्री प्रभुनारायण—

इसका ब्योरा निम्नलिखित है :—

महीनों के नाम	इन्डोर रोगियों की संख्या	आउटडोर रोगियों की संख्या
1	2	3
जनवरी, 1975	43	1,188
फरवरी, 1975 ..	43	793
मार्च, 1975	39	946
अप्रैल, 1975	39	1,135

इन रोगियों के लिए केवल एक चिकित्सक की सेवा उपलब्ध थी।

श्री राम प्रताप सिंह, सेनेटरी इन्सपेक्टर तथा श्री विन्ध्याचल, वी० एच० डब्लू०, गोरखपुर का स्थानान्तरण

16—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन, उत्तर प्रदेश के कार्यालय के पत्र संख्या 9-एफ-एस0 आई0—4806, दिनांक 18 मार्च, 1975 एवं कार्यालय उप मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, गोरखपुर के पत्र संख्या शिकायत-75/20016, दिनांक 10 मई, 1975 के अनुसार लगी जांच की तारीख दिनांक 7 जून, 1975 के बयानानुसार अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री प्रभु नारायण—

जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री राम प्रताप सिंह, सेनेटरी इन्सपेक्टर तथा श्री विन्ध्याचल, वी0 एच0 डब्ल्यू0 को जिला गोरखपुर से स्थानान्तरित करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

17—श्री विमल प्रसाद तिवारी—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

कानपुर के ग्रामीण अंचलों में पेयजल योजना हेतु आबंटित धनराशि

18—चौधरी रामपाल सिंह यादव—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि कानपुर जिले के ग्रामीण अंचल में शुद्ध पेयजल की कोई योजना स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो किन-किन कस्बों में तथा उनके पास में कौन-कौन गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है और इसके लिए कुल कितना धन स्वीकार किया गया है तथा कब से कार्य प्रारम्भ किया जाएगा और अलग-अलग कस्बों में कब-तक पेयजल की व्यवस्था कर दी जाएगी?

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

(1) जी हां।

(2) कानपुर जिले की ग्रामीण अंचल की स्वीकृत आठ योजनाओं तथा उनके अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की सूची संलग्न है। इन योजनाओं के कार्यान्वियन हेतु अब तक 21,90,950 रुपया स्वीकृत किया जा चुका है।

(3) प्रत्येक योजना पर कार्य प्रारम्भ किए जाने का समय सूची में अंकित है।

(4) सूची में बतायी गयी 8 योजनाओं में से रूरा एवं झींझक की योजनाओं को छोड़कर शेष योजनाओं से जल की आपूर्ति की जाती है।

रूरा एवं झींझक का कार्य अगस्त, 1976 तक पूर्ण हो जाने और पेयजल उपलब्ध किए जाने की सम्भावना है।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 886 पर।)

सर्वश्री जी० टी० पेपर मिल, बदायूं को आवंटित कोयला

19—श्री बृजपाल सिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बदायूं की जी0 टी0 पेपर मिल, नौशेरा को वर्ष 1972-73, 1973-74 व 1974-75 में कितना कोयला दिया गया और मिल ने कितना पेपर बोर्ड या कागज का निर्माण किया?

लघु उद्योग मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवाई)—

प्राप्त सूचना के आधार पर सर्वश्री जी0 टी0 पेपर मिल, नौशेरा बदायूं को 1972-73, 1973-74 और 1974-75 में क्रमशः 18,215.30 कुन्टल, 12,205 कुन्टल और 17,456.75 कुन्टल कोयला डायरेक्टर जनरल आफ टेक्निकल डेवलपमेन्ट द्वारा दिया गया और उक्त मिल ने क्रमानुसार 9,77,335 किलोग्राम, 10,92,618 किलोग्राम और 9,03,175 किलोग्राम स्ट्रा बोर्ड, मिल बोर्ड और रैपिंग एवं पैकिंग पेपर का निर्माण किया।

उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिये बाध्य करना) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 161 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना) विधेयक, 1976, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 887–891 पर।)

उत्तर प्रदेश मादक पान (आपत्तिजनक विज्ञापन) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 161 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिए प्राप्त उत्तर प्रदेश मादक पान (आपत्तिजनक विज्ञापन) विधेयक, 1976 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन के पटल पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 892-895 पर।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1976

सचिव, विधान सभा--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से सदन को सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1976, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 30 मार्च, 1976 को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 31 मार्च, 1976 को वापस प्राप्त हो गया है।

प्रश्नों के सम्बन्ध में शिकायत

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, मैं आपका ध्यान बिजली विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर दिलाना चाहता हूं। यह प्रश्न संख्या 27, 28 में है। बरेली और गोरखपुर में केमिकल्स पड़े हैं...

श्री अध्यक्ष--

आप इसकी लिखित सूचना दें।

श्री अब्दुल रऊफ लारी--

माननीय मन्त्री जी, यह एक मौलिक सवाल है और इसमें आपके सिर्फ वकालत करने का सवाल नहीं है। इसमें करोड़ों रुपयों का घपला है और सिर्फ सवालों से यह हल नहीं होगा। मैंने सवाल इसलिए उठाया है कि वह इस तरफ से आंख बन्द किए पड़े हैं गोरखपुर में 50 लाख का केमिकल इस वक्त भी बेकार पड़ा है। अब इसको स्थगित कर दिया गया है। स्थगित करवाने से कोई हल नहीं निकलेगा।

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न को लिखकर दें, तब कोई कार्यवाही होगी।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) (पुनः अधिनियमन और वैधीकरण) विधेयक, 1976

राजस्व तथा आबकारी राज्य मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) (पुनः अधिनियमन और वैधीकरण) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) (पुन : अधिनियमन और वैधीकरण) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) (पुन : अधिनियमन और वैधीकरण) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 896-898 पर।)

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1976

राजस्व तथा आबकारी राज्य मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा एलकोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा मे उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 899–900 पर।)

उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्था (प्रबंध हाथ में लेना) विधेयक, 1976

शिक्षा मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्था (प्रबन्ध हाथ में लेना) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्था (प्रबन्ध हाथ में लेना) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्मार रिजवी—

मैं उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्था (प्रबन्ध हाथ में लेना) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिए नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 901–912 पर।)

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1976†

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय। पिछले दो वर्षों में इस विधेयक के कार्यान्वयन में कतिपय कठिनाइयों को अनुभव किया गया जिनको दूर करना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने भी इच्छा व्यक्त की है कि इस अधिनियम में संशोधन किया जाय। मान्यवर, यह देखा गया कि विधेयक की जो इच्छा है उसकी पूर्ति नहीं हो रही है और तरह-तरह की अड़चनें पैदा हो रही हैं तो उसके समाधान के लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया। एक संशोधन तो यह किया गया है कि जिन बागात को अमरूद के बागों के रूप में माना जा रहा था अब उसको साधारण जमीन के रूप में माना जायगा। दूसरे अपील की कार्यवाही के दौरान अगर कोई ट्रान्सफर होता है तो उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। तीसरे 8 जून, 1973 के बाद जिनकी जमीन सीलिंग से निकल रही है तब भी किसी तरह का लिटिगेशन करके वे लोग उस जमीन पर कब्जा किए हुए हैं और उस जमीन को जोत रहे हैं तो उसके लिए उनको

†26 मार्च, 1976 की कार्यवाही में छपा है।

[श्री वीर बहादुर सिंह]

क्षतिपूर्ति देनी होगी। इसके अलावा जो जमीन सरकारी कब्जे में आ जाती है लेकिन उस जमीन को लोग नहीं छोड़ते हैं तो उसके लिए तीन वर्ष तक कारावास का दन्ड दिए जाने का प्राविधान किया गया है। जिन लोगों से किसी तरह की सूचना अथवा दस्तावेज देने को कहा जायगा लेकिन वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके लिए दो वर्ष सजा का प्राविजन है। इन संशोधनों से मुझे आशा है कि लोगों को काफी सुविधा मिलेगी।

*श्री रेवती रमण सिंह (जिला इलाहाबाद)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1976 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय जो अपना प्रतिवेदन 15 दिन में सदन में प्रस्तुत करे। मान्यवर, इस बिल में जो 6, 7 बातें रखी गयी हैं वे नाकाफी हैं। जैसे केवल अमरूद के बागात को सीलिंग ला के अन्तर्गत लिया गया है, मेरा कहना है कि और भी बागात इसमें शामिल कर लिये जायं जैसे आम और कटहल के बाग क्योंकि अगर हिसाब लगाया जायगा तो ज्ञात होगा कि अमरूद के बाग प्रदेश में बहुत ज्यादा नहीं हैं और केवल उनको लेने से ज्यादा जमीन उपलब्ध नहीं हो सकेगी। अगर हमको ज्यादा जमीन हासिल करना है तो उसमें जितने बागात हैं उन सब को लेना चाहिए तभी ज्यादा जमीन हमें मिल सकेगी। केवल अमरूद के बाग लेने से ज्यादा जमीन हासिल नहीं होगी।

दूसरा मेरा कहना यह है कि इस बिल में यह तो दिया हुआ है कि 1971 के बाद से जो ट्रान्सफर हुई हैं उन पर यह लागू होगा। यह बिल पहले 1959 में पारित हुआ उसके बाद भी कितनी ही ट्रान्सफर हुई और उस समय 30 एकड़ की लिमिट रखी गई थी और फिर धीरे-धीरे 18 एकड़ और 12 एकड़ लिमिट रखी गई। तो इस तरह से बहुत से ट्रान्सफर लोगों ने कर लिए। 1971 में आप इसे क्यों करते हैं? 1959 से इसे लागू माना जाय और इस बीच में जो तमाम ट्रान्सफर हुए हैं वह सब इसके अन्तर्गत आयें। आप देखेंगे कि इन 15 वर्षों के बीच में कई लाख एकड़ भूमि ट्रान्सफर हुई है। मूल बिल जो था वह 1959 में आया था और आज उसमें आप संशोधन ला रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि जो जमीन 1959 से ट्रान्सफर हुई हैं उनमें लागू करें।

तीसरी बात यह है कि जिन लोगों ने जमीनों पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है खास कर गांव समाज की जमीनों पर या बंजर जमीनों पर उनमें बड़े-बड़े सरमाएदार हैं या फिर गांवों के प्रधान हैं जो कि प्रभुत्व रखने वाले वर्ग के लोग हैं, उनको आप निकालेंगे। उसमें भी मेरा निवेदन है कि 1959 से ही उनको बेदखल किया जाय न कि 1971 से जो कि इसमें प्राविधान रखा गया है। उसमें दो साल और चार साल की सजा रखी है वह भी कम है उसे और बढ़ा दिया जाय और ज्यादा सख्ती से उनके साथ पेश आया जाय। इस तरह से हर गांव में काफी सरप्लस लैन्ड मिल जाएगी। इस जमीन को आपको गरीबों में बांटना है। इसके लिए आपको सख्ती करनी पड़ेगी और दो साल की सजा को बढ़ा कर 5 साल कर दिया जाय और 1959 से जो लोग बंजर जमीन पर कब्जा किए हुए हैं उनको बेदखल किया जाय और उसके बाद उस जमीन को केवल हरिजनों को ही बांटी जाय न कि और वर्ग के लोगों को। आपने देखा होगा कि ऐसी जमीनों को तमाम और लोगों में बांटा गया है। इसलिए खास कर मैं चाहूंगा कि इसमें यह जोड़ दिया जाय कि इस प्रकार जो जमीन उपलब्ध होगी, वह केवल हरिजनों में ही बांटी जाएगी। कमजोर वर्ग में केवल हरिजन ही आते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस बिल को प्रवर समिति में भेज दिया जाय। धन्यवाद।

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

अध्यक्ष महोदय, अब सरकार कुछ दिनों से अच्छे काम करने लगी है जब से जनता का डन्डा इन पर पड़ा है। अब कुछ सही काम करने लगी है। मैं इस बिल का स्वागत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करता हूं, और दूसरा प्रवर समिति को भेजने के लिए इसलिए कहता हूं कि माननीय स्वामी प्रसाद सिंह जी जो प्रदेश के मालमन्त्री हैं और सदन में खड़े होकर जमीन चोरों को मारने में आगे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हैं, लेकिन उनके साथी-संघाती जो उनके अगल-बगल बैठे हैं, उनको फ्री-स्टाईल खुलकर खेलने नहीं देते। नहीं तो यह बात अपनी जगह बिलकुल ठीक है कि वह जमीन चोरों को ठीक कर दें।

शिक्षा मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

एक प्रश्न है, अगल-बगल जो आप कह रहे हैं, तो एक तरफ मैं बैठा हूं और दूसरी तरफ देव बहादुर बैठे हैं, तो आपका किससे मतलब है?

श्री त्रिवेणी सहाय—

वह आप मत समझिए। मैं हर ईमानदार आदमी की इज्जत करता हूं, चाहे वह कांग्रेसी ही क्यों न हो। लेकिन ईमानदार आदमी ज्यादा दिन तक वहां-उधर बैठ सकेगा, यह चीज मुश्किल दिखाई पड़ती है। स्वामी प्रसाद जी आप वहां ज्यादा दिन तक नहीं बैठ पायेंगे, वह आपकी धज्जी उड़ा देंगे, ज्यादा दिन नहीं रहने देंगे और आपको मजबूरन भागना होगा। पहले हमारे उदित नारायण जी राजस्व मन्त्री रहे, जब उन्होंने इन चोरों के बारे में कुछ तेजी दिखाई तो आपके ही आदमियों ने उनको गोल कर दिया। यह मामला मुख्य मन्त्री त्रिपाठी पर भी टाला गया। क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में कोई गड़बड़ी न होने पाए। समय लगाकर सब उनका किये धरे पर पानी फेर दिया गया है। कांग्रेस दल के लोगों को घंटी बजा दी गई कि सीलिंग कानून आ रहा है, होशियार हो जाओ, अपनी जमीन बचा लो, तो लोगों ने तमाम लूपहोल्स उसमें निकाल दिए। जमींदारी उन्मूलन के बाद कांग्रेस का वह नारा कि हम जमीन लेकर गरीबों में बांटेंगे, 25 साल हो गए, उस नारे को दोहराते-दोहराते, लेकिन अब तक उस पर कोई अमल नहीं किया गया। किस दिन जमीन का बंटवारा कराया जाएगा?

खैर, देर आयद दुरुस्त आयद, आज आपका दिमाग ठीक आया और आज जमीन बांटने पर लगे हैं और इस बिल के माध्यम से बांटने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो प्राविधान आपने किए हैं, वे बहुत ही रिमार्केबिल हैं, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जमीन चोरों से जमीन निकालने के लिए अभी आपको और तिकड़म करनी पड़ेगी। जितने भी चोर हैं, उनमें सबसे ज्यादा चोर जमीन चोर होता है, उस पर कड़ी नजर रखनी होगी और इसमें कोई पक्षपात नहीं चलेगा। इसे नहीं सोचना होगा कि अगल-बगल के बैठे राजा लोग आपके ऊपर दबाव डालें, तो आप उनकी जमीन न निकालें, लेकिन अन्य गरीबों की जमीन निकल जाए। मैं जानता हूं, आप कहेंगे तो उनके नाम भी बता सकता हूं, लेकिन बताऊंगा नहीं, आपके बीच मेरे जिले के दो कांग्रेसी ऐसे हैं, जिन्होंने सीलिंग कानून का खुलकर पूरा-पूरा दुरुपयोग किया है। मंगलदेव विशारद कमेटी की रिपोर्ट सबके सामने है, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। इस मामले में आपको पार्टी पालिटिक्स से ऊपर उठना होगा। गरीब जनता के हित के लिए आपको आंखे मूंदकर न्याय करना होगा, अपने पराए का कोई भेद नहीं करना होगा। आपका साथी संघाती कोई भी हो इसमें सबको बराबर देखना होगा। लेकिन मैं देखता हूं कि जो आपके दल में हैं या आपके दल में शामिल हो रहे हैं उनके लिए आप के दिल में हमदर्दी है, आप उनके लिए ऐसा उपाय करते हैं कि बीच-बचाव हो जाता है। आपने जमीन चोरों को मारा, लेकिन क्या कभी सोचा कि आपके बीच में आस्तीन के सांप लोग भी मौजूद हैं, उनको मारने के लिए कोशिश की गई? कभी नहीं की गई, यह बात सही है कि बहुत से लोगों ने सीलिंग कानून में तिकड़म करके जमीन बचा ली। जिलाधीश महोदय को अधिकार नहीं था कि कब्जा दिला सकें। इस तरह का एक और प्रस्ताव आया था, तो मैंने कहा था कि इस पर फौरन कार्यवाही होनी चाहिए। आप देखते हैं कि बड़े-बड़े लोग जमीनों पर कब्जा किये हुए हैं। अब आपने कदम उठाया है। बात सही है। यही कदम मान्यवर, इन को पहले उठाना चाहिये था, क्यों पहले नहीं उठाया? अगर पहले उठाया

[श्री त्रिवेणी सहाय]

होता तो यह दिक्कत जो आज आ रही है, यह न आती। आपकी आंखों पर परदा पड़ा हुआ है। आप अपनी कुर्सी को बचाने में लगे हुए हैं, 25 साल का समय समाप्त हो गया है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य इनकी प्रकृति पर भाषण दे रहे हैं।

श्री त्रिवेणी सहाय—

जो जिलाधीश को अधिकार दिया वह ठीक किया। मान्यवर, इसमें 7 बातें कही गयी हैं। एक तो यह है कि सीमा क्षेत्र अवधारित करने के प्रयोजनों के लिए अमरूद के बागों को अब साधारण भूमि माना गया है न कि बाग? कोई अमरूद की बाग लगाता है और कोई अन्य छोट पेड़ लगा दे तो क्या वह जमीन बच जाएगी? कोई कांग्रेसी होगा उसकी अमरूद की बाग को बचाने के लिए किया गया है। मैं नहीं जानता किसकी है। दूसरी बात यह कही गयी है कि अधिनियम के अधीन सीमा क्षेत्र सम्बन्धी कार्यवाहियां जारी रहने के दौरान भूमि का अन्तरण प्रतिसिद्ध कर दिया गया है। यह भी ठीक है। इसके माध्यम से कुछ गड़बड़ियां होंगी लेकिन बाकी चीज ठीक है। स्वामी प्रसाद जी मैं आप से कहता हूं कि बिल निकालकर चुप न बैठ जाइये। चूहे का एक बिल बन्द होता है तो दूसरा खोल लेता है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, यह चूहे हैं।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिल बदायूं)—

चुहिया।

श्री त्रिवेणी सहाय—

पता नहीं चूहा हैं या चुहिया। आपने फैसला कर दिया। जिन लोगों ने छोटे-कोर्ट में हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई ल ी और लड़ाने के बाद जीत गये और कब्जा कर लिया गया कागज में इन्ट्री हो गयी और उनका इतना खर्च हुआ लेकिन आपने प्रतिबन्ध लगा दिया कि यह सब रद्द हो गया। यह बात मेरी समझ में नहीं आती है। मान्यवर, क्या न्याय की दृष्टि से यह उचित है जिसने ऐसा किया आपने उसकी जमीन को हथिया लिया। मान्यवर, न्यायालय के निर्णय का यहां पर हमें आदर करना चाहिए क्योंकि उन्होंने इस तरह से निर्णय नहीं दिया होगा। जुडीशियरी ने किसी बेसिस पर निर्णय दिया होगा इसीलिए मैं इसको प्रवर समिति में भेजने के लिए कहता हूं। न्यायालय में जो निर्णय होता है वह एक तरह का वरडिक्ट होता है। तो मैं चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति में जरूर भेजा जाए शायद इससे भी कड़ा कानून प्रवर समिति बना दे। जमीन वाले तो ये बैठे हैं और प्रदेश में जमीन के मामले में जितनी भी गड़बड़ियां हुई हैं, इनके ही लोगों द्वारा की गई हैं। राजा साहब, मनकापुर आपके एम0पी0 हैं। वे कहते हैं कि प्रोपोज्ड इन्डस्ट्री के लिए हैं। तो जो चकबन्दी के अधिकारी हैं अगर वेव हो जाते हैं तो प्रोपोज्ड इन्डस्ट्री वाली बात नहीं चलेगी। इस बिल में अभी बहुत कमियां हैं और यह उचित ही होगा यदि इसे आप प्रवर समिति में भेज दें ताकि यह और कड़ा कानून बन जाय।

*श्री दीप नारायण पांडेय (जिला गोण्डा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1976 पर बोलने की आज्ञा दी। मान्यवर, हमारी कांग्रेस की नीतियों और प्रधान मन्त्री जी के 20-सूत्रीय कार्य-क्रमों में जमीनों का जो बंटवारे का प्रश्न है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी सरकार आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को दूर करने के लिए कटिबद्ध है और इस विधेयक में जो खास चीज लाई गई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है वह कब्जा दिलाने की बात है। इसकी धारा 6, उपधारा में दिया हुआ है उसके स्पष्टीकरण 2 में, शब्द "यदि कोई भूमि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा मूलतः धृत थी जो वास्तव में उसके कब्जे में चली आ रही है किन्तु बाद में, वार्षिक रजिस्टरों में किसी अन्य व्यक्ति का नाम" के स्थान पर शब्द "यदि 24 जनवरी, 1971 को या उसके पूर्व कोई भूमि किसी व्यक्ति के पास थी, जिसका जोत कब्जा उस पर चला आ रहा है और उक्त दिनांक के पश्चात् वार्षिक रजिस्टर में किसी अन्य व्यक्ति का नाम"। इसका मतलब यह है कि जो जमीनें ट्रान्सफर कर चुके थे, उसको भी समाप्त करने की बात इसमें कही गई है और वह भी एक निश्चित अवधि के अन्दर तो मैं इसका स्वागत करता हूं। दूसरे, जमीनों के बारे में जो समता लाने की बात कही गयी है, मैं इसका भी स्वागत करता हूं। लेकिन जब तक इस बिल का कड़ाई से पालन नहीं किया जाएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसके अतिरिक्त जो लोग जमीन चुराए हुए हैं, कब्जा नहीं दे रहे हैं उनके लिए जो प्राविधान किया गया है, वह भी बहुत स्वागत योग्य है।

प्रदेश में हमारा जिला गोन्डा आज भी राजा महराजाओं का है जहां पर उनकी जमीन नहीं बांटी गई है। मेरी माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना है कि श्री मंगलदेव विशारद ने हमारे जिले के बारे में जो रिपोर्ट दी है, उसका कड़ाई से पालन किया जाय। आज भी वहां पर अधिकारी लोग फर्जी एन्ट्रीज करके गलत बेनामी तरीके से पट्टे किए हुए हैं और जमींदारों ने अपनी-अपनी जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं। मैं जानता हूं कि आपके द्वारा इस बिल के माध्यम से पूरे प्रदेश में कानून का कड़ाई से पालन होगा लेकिन मेरी विशेष प्रार्थना है कि जिला गोन्डा में इसका विशेष रूप से कड़ाई से पालन कराया जाय। मुझे यह भी पता चला है कि शासन के पास ऐसी भी रिपोर्ट आई है कि 16-16 बैनामी खातेदार हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ये जो बेनामी खातेदार हैं, जमींदार हैं, इनके खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं जिन्होंने चुरा-चुरा कर आज भी जमीनों पर कब्जा कर रखा है ?

मान्यवर, यह प्रधान मन्त्री जी का बहुत बड़ा आर्थिक कार्यक्रम है समता लाने के लिए, भूमिहीनों को भूमि देने के लिए। आज भी जो लोग प्रधान मन्त्री जी के कामों में अड़ंगा डालना चाहते हैं, वे किसी भी राजनीतिक दल के हों, मैं माननीय राजस्व मन्त्री जी से, आपके माध्यम से अपील करूंगा कि उनके साथ कड़ाई का व्यवहार करें, उनको अदालत के कठघरे में भी खड़ा करने की कोशिश करें, ताकि प्रदेश की जनता यह देखें कि यह शासन उन बड़े लोगों को भी छोड़ने वाला नहीं है। अगर यह नहीं होगा तो आप चाहें जितने कानून बनाएं उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। हमारे राजस्व मन्त्री जी स्वामी प्रसाद सिंह जी और राज्य मन्त्री वीर बहादुर सिंह जी, दोनों ईमानदार व्यक्ति हैं, इसमें कोई शुबहा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपनी ईमानदारी का प्रदर्शन हमारे गोन्डा जिले में भी करें। मैं तो कहता हूं कि चलें गोन्डा और मैं दिखाऊंगा कि कितने लोग नाजायज तरीके से कब्जा किए हुए हैं। उनके खिलाफ कार्यवाही करें। जनता मुझसे भी पूछती है कि इन राजाओं, महाराजाओं की जमीन क्यों नहीं जा रही है, वैसे तो जिस किसान के पास 40 एक ! भी जमीन थी, उसकी चली गयी, लेकिन इनका कहीं हाई कोर्ट में मामला चला गया है, कहीं वैधानिक कठिनाई है और कहीं अधिकारी लोग कृपा किए हुए हैं, वह नहीं बांट रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर प्रधान मन्त्री के कार्यक्रम को लागू करना है तो गोंडा चल कर देखें और जिन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट आयी है शासन को, उस पर कड़ाई के साथ अमल करना चाहिए। सभी दल इस बिल का स्वागत कर रहे हैं लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका कड़ाई के साथ पालन हो ताकि हम उन गरीबों को भी रोजी-रोटी दे सकें।

श्री राम मूर्ति (जिला बरेली)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सदन में और चाहे लोक सभा में जितने भी विधेयक पेश किए जाते हैं उनका प्रभाव प्रदेश और देश के जन-जीवन पर बहुत बड़ा पड़ता है। इस बात का सरकार ख्याल रखती है कि जो भी विधेयक पेश किए जायं ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनसे फायदा हो। जब से हमारे मुल्क में आजादी आयी निरन्तर इस बात की कोशिश रही है, जो लीडरशिप रहती थी उसके जरिए से भी और जो आज है उसके जरिए से

[श्री राममूर्ति]

भी और उन लोगों के जरिए से भी जो प्रोग्रेशिव विचारों के हैं कि हमारे कानून ऐसे बनें जिनकी आधारशिला समाजवाद के नियमों पर हो। उसका भी एक विचार है कि ज्यादा से ज्यादा आदमियों को जो हमारे कानून बनाते हैं उनसे फायदा हो और यह हम सब का विचार रहा है कि प्रोग्रेसिव विचार उसे माना जायगा जब हम उस बात की कोशिश करेंगे कि देश के अन्दर प्रोडक्शन बढ़े, इन्डस्ट्रीज बढ़ें और उनकी जो उपलब्धियां हों उनका बंटवारा ठीक ढंग से हो, सिर्फ थोड़े से ही लोगों की जेब में वह फायदा सिमट कर न रह जाय।

स्वर्गीय पंडित नेहरू ने जब इन्दौर कांग्रेस में लैन्ड सीलिंग का जिक्र किया था उसके बाद से प्रदेश प्रदेश में सरकारों का ख्याल हुआ कि जमींदारी एबालिशन के बाद बहुत से ऐसे लोग थे, पुराने राजे महाराजे, जमींदार जिनके पास बहुत जमीनें थीं औ उसके अलावा जब तराई की जमीनें टूटीं, फौज के अफसर, सरकारी अफसर, जिनके पास पैसा अधिक था, उन लोगों ने इस बात की कोशिश की कि जमीनें लें और इस बात की उस वक्त जरूरत भी थी..... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, माननीय काशीनाथ जी बड़ा न्यूसेन्स करते हैं, इनको रोकिए। यह बड़े योग्य व्यक्ति हैं, विद्वान भी हैं.....

श्री काशीनाथ मिश्र (जिल बलिया)—

श्रीमन्, इन्ट्रेप्शन हमारा संसदीय अधिकार है। इसमें न्यूसेन्स क्या है? इस शब्द को वापस करवाइए। यह असंसदीय है।

श्री अध्यक्ष—

न्यूसेन्स करते हैं, यह असंसदीय कैसे हो गया? वे किसी व्यक्ति को नहीं कह रहे हैं, आप न्यूसेन्स करते हैं, आपको नहीं बल्कि आपके काम को कह रहे हैं, आपके काम का हवाला दे रहे हैं। (हंसी)

श्री राममूर्ति—

मैं यह कह रहा था कि जब जमीनों पर लोगों ने कब्जा कर लिया तब सरकार का यह विचार हुआ कि इतने बड़े-बड़े फार्म और जमीनें कुछ लोगों के कब्जे में न रहें और जब सबसे पहले सीलिंग पर प्रवर समिति बैठी तो उसने इस बात पर भी विचार किया कि बागात लगाने पर लोगों को प्रोत्साहन दिया जाय। आपको मालूम होगा कि लड़ाई के जमाने में बुरी तरह से हमारे जंगलात कटे।

(बिजली चली जाने के कारण सदन की कार्यवाही कुछ समय के लिए रुकी रही तथा बिजली आने पर माननीय सदस्य ने अपना भाषण पुन: जारी किया।)

अध्यक्ष महोदय, जब जमींदारी एबालिशन हुआ तो लोगों ने अपने बागात काटने शुरू कर दिए ताकि ज्यादा से ज्यादा रुपया मिले। मन्त्री जी ने भी अपने बिल में बागात के सम्बन्ध में एक क्लाज रखा है ताकि बागात को प्रोत्साहन मिले। जब बागात का जिक्र आता है तो आम के बाग को ही लोग बाग समझते हैं और सरकार को खास तौरपर इस पर ध्यान देना चाहिए। अमीर लोग जो कि उधर बैठे हुए हैं वे सेब, संतरा, अंगूर और अनार खाते हैं और मुझ जैसे गरीब लोग जो इधर बैठे हैं, अमरूद, केला और गन्ना खाते हैं। तो सरकार इस बात का भी जरा ख्याल रखे।

आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि फलों के अन्दर सबसे बढ़िया फल अमरूद है। अगर आदमी एक अमरूद रोज खाए तो वह कभी बीमार नहीं पड़ सकता है। स्वर्गीय पंडित मोती लाल नेहरू कहते थे कि एक अमरूद चाहे कहीं से भी मिले, मैं जरूर खाता हूं। बेर, अमरूद, केला ये ऐसे फल हैं जो गरीब आदमियों के फल हैं। चलते फिरते हर आदमी की तबियत होती है कि इसे खायें। मुझे बड़ी तकलीफ हुई इस बिल में इस बात को देख कर कि एक तरफ तो दावा यह है कि गरीबों का बड़ा भारी लिहाज रखा जाएगा हर बात में और जितने कानून बनाए जाएंगे, उनमें गरीबों के फायदे का पहले ध्यान रखा जाएगा और जब

यह बिल आया और इसमें जहां बागात का जिक्र आया तो अमरूद के बागात को बिलकुल ही साफ कर दिया गया। एक यही तो फल है जिससे हमारी तनदुरुस्ती बनती है और आपने एक ऐसा प्राविजन कर दिया है कि अमरूद के बागान ही खतम हो जायेंगे। अव्वल तो आदमी अमरूद के बागात को काटना शुरू कर देगा और आगे के लिए उसे कोई प्रोत्साहन ही नहीं मिलेगा। हमारे उपनेता सदन, बाजपेयी जी का भी ऐसा जिला है जहां खाली अमरूद को देख लिया जाय तो खाने की तबियत होती है। वहां अमरूद की शक्ल को सेब में बदल दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे रुहेलखंड डिवीजन के 7 जिलों में भी अमरूद बड़े ही शीरीं और मीठे होते हैं। अगर अभी तक मन्त्री जी वहां न गए हों तो अमरूद के जमाने में जाकर देख लें कि कितने मीठे वहां के अमरूद होते हैं। अमरूद के बागात के लिये आपने ऐसा प्राविजन कर दिया है कि आगे को कोई अमरूद की बगिया लगायेगा ही नहीं और सरकार का जो 20 सूत्री प्रोग्राम है कि गरीबों के लिए भी फल होना चाहिए, वह पूर्ण नहीं हो सकेगा। कितनी कोशिश हो रही है कि सारे पहाड़ को सेब, नाशपाती आदि फलों से ढंक दिया जाय। उसी तरह से आप कोशिश करें कि देश और प्रदेश में अमरूद और केले जो तमाम गरीबों के फल हैं उनको पैदा करने में लोगों को सरकार की ओर से प्रोत्साहन मिले। एक एकड़ खेती योग्य भूमि के लिए 21/2 एकड़ बाग की जमीन को माना गया है। अमरूद के ढाई और 3 एकड़ बाग को खेती योग्य एक एकड़ जमीन के बराबर मानना चाहिए। अगर इस तरह से लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा तो वे ज्यादा से ज्यादा अमरूद के बाग लगावेंगे।

मान्यवर, लैन्ड सीलिंग बिल की बड़ी अहमियत है। जो प्रोविजन इसमें रखा गया है इसका हजारों और लाखों लोगों पर असर पड़ेगा। अगर इसमें कोई कमी रह गयी है तो उसको ठीक कराने के लिये अवस है। जल्दी में इसे पास कराना जरूरी नहीं है। प्रवर समिति बनने दीजिए 4-5 दिन बाद ही यह पास हो तो कुछ नुकसान नहीं हो सकता है। जैसा कि इधर के लोगों की मांग है, थोड़े समय के लिये आप इस पर विचार स्थगित करें ताकि सब आपस में सलाह मशविरा करके ब्योरे के साथ आपको अपने सुझाव दे सकें। इससे सरकार को भी फायदा होगा और सारे लोगों का भी उससे फायदा होगा। ठीक तरह से इस तरफ सोचने की बात है। इसका प्रोवीजन आपको करना चाहिए। लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, उनको बल मिलेगा। बागात अमरूद के बढ़ेंगे या घटेंगे? अगर बढ़ेंगे तो इसके माने यह हुए कि एक अच्छा फल जो खासतौर से, मैं अमरूद के लिए कहूंगा, कि वह प्रदेश से जाता रहेगा।

*श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र (जिला देवरिया) --

मान्यवर, हमारे साथी श्री राममूर्ति जी के पास शायद अंगूर का बगीचा है। शायद इसीलिए इस पर उन्होंने जोर दिया है।

एक सदस्य--

अमरूद का।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र--

अमरूद का सही। तो मान्यवर, एक व्यक्ति के लिए कानून पर जोर देने की आवश्यकता नहीं। मान्यवर, जो इसको प्रवर समिति में भेजने का प्रश्न विरोध पक्ष से उठाया गया, तो एक आदत पड़ गयी है। हर कानून का समर्थन करते हैं। अच्छी चीज पेश करने के बावजूद जो इनकी अड़ंगेबाजी की नीति है वह अब भी बदस्तूर जारी है। हम चाहेंगे कि इसको आप अलग रखें। आप मानते हैं कि यह बिल अपनी जगह पर उचित है और जो कुछ कमियां हैं वह इस बिल के द्वारा दूर होगी, ऐसा मेरा निश्चित मत है। हमारे सभी साथी इस पक्ष के हैं कि जिन लोगों के पास ज्यादा जमीन है, निर्धारित सीमा जो है उसके ऊपर जमीन है, तो उसका बंटवारा निश्चित रूप से होना चाहिए। जिन लोगों ने जमीन चुरा रखी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र]

है उनके पास से जमीन निकाली जानी चाहिए। तो अब हर महीने या साल में 2 बार तरमीम आ रही है। जो दिक्कतें आ रही हैं उनके लिए तरमीम आ रही है लेकिन इस समय जो बिल लाए हैं अगर उससे खामियां दूर हो रही हैं तो उसको लागू कराइए जिससे जमीन के चोरों को पकड़ने में सहायता मिले। प्रवर समिति में भेजने से कोई फायदा नहीं होगा।

लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि कानून सन् 1975 में भी बनाया और 1976 में भी तो रोज कानून बना देने मात्र से जमीन चोर पकड़े जायेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्योंकि अब भी हम देख रहे हैं कि बड़े-बड़े फार्म जो मौके पर एक व्यक्ति के द्वारा जोते जाते हैं और उसका फल भी एक व्यक्ति पाता है आज भी मौजूद है। लेकिन कागज पर उसका बंटवारा है, वह सीलिंग कानून में नहीं आए हैं। तो वहां का रहने वाला गरीब किसान यह देखता है कि फार्म तो अभी बदस्तूर है, कानून से क्या फायदा हुआ? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। गोरखपुर का मजीठिया फार्म, हजारों एकड़ जमीन वैसे पड़ी हुयी है। काफी बड़ा फार्म है केवल मजीठिया ही उसके फल का उपयोग करता है। तो केवल भाषण देने मात्र में कानून के चंगुल में कोई नहीं आता है हम समझते हैं कि यह हमारी कमजोरी है। इसको जनता मानने वाली नहीं है। आप मौके पर जाकर देखें और जिस कानून में जो दिक्कत है उसमें आप तरमीम करें। आप कब्जा कर लीजिए और उसका बंटवारा कीजिए। मैं समझता हूं कि अगर आप इस प्रकार मौके पर एक आध को पकड़ेंगे तो जो छोटे-छोटे खेतिहर हैं जिनके पास 3-4 एकड जमीन ज्यादा है वह आपने आप जमीन छोड़ कर भाग जायेंगे। मीसा या डी0 आई0 आर0 का प्रयोग करें। तो जल्दी काम हो जाएगा। जैसे विरोधी पार्टियों का दिमाग जल्दी ठीक हो गया वैसे समझने वाले नहीं थे। इमरजेन्सी लागू हुयी और उनका दिमाग ठीक हो गया। भाई त्रिवेणी सहाय जो जल्दी-जल्दी यहां आवेंगे। इस बिल का वह 16 आने समर्थन करते हैं। यही नहीं हर काम का वह समर्थन करते हैं तो फिर वहां बैठने की जरुरत क्या है? यह बिल ऐसा है जिसको मैं समझता हूं कि हमारा हर साथी इसका समर्थन करेगा।

एक बात मैं और कह देना चाहता हूं कि चकबन्दी में कुछ प्रभावशाली लोगों ने 2-3-4 साल पहले की बात है। सन् 1971 के बाद अधिकारियों से मिलकर, 1968-67 के बैक डेटेड, कुछ मुकदमों का फैसला कराकर जमीन को अपने रिश्तेदारों के या अपने सम्बन्धियों के नाम कर दिया है। 1971 आपने समय निर्धारित कर दिया और उसके बाद सब-खातेदार बनाया है और कागज में वैध शो कर दिया गया है। इसलिए इन चीजों का मुकाबला करने के लिए ठीक से कानून बनाना होगा। दूसरे रिश्तेदारों के नाम से जमीन जो कर दी जाती है उनके पीछे मन्त्री जी आपको पड़ना होगा और कुछ सुधार करना पड़ेगा। इसके साथ ही मैं राजस्व मन्त्री जी को इसके लिए धन्यावद देता हूं और जो प्रवर समिति को भेजने की बात कही गयी उसको वह वापस लें।

श्री दयाकिशन पांडेय (जिला पिथौरागढ़)—

अध्यक्ष महोदय, यह सीलिंग ऐक्ट का ए मेन्डमेन्ट जो आया है वह हमारें ख्याल से चौथा या पांचवां है। इससे साफ जाहिर है कि हम लोग अभी तक किसी खास निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे कि किस तरीके से सीलिंग ऐक्ट में प्राविधान किए जायं, जिससे सीलिंग की योजना सफल हो। यही कारण है कि प्रतिपक्ष की ओर से यह सुझाव दिया गया है कि इसको प्रवर समिति के पास भेज दिया जाय ताकि इसके हर पहले गौर किया जा सके। इसके कई पहलू हैं। एक तो सीलिंग ऐक्ट इसलिए पास किया जा रहा है कि गरीबों को इसके माध्यम से भूमि बांट कर दी जा सके लेकिन यह सम्भव नहीं है। हर खेतिहर मजदूर को चाहे सीलिंग को घटाकर 5 एकड़ में या ढाई एकड़ में ले आयें लेकिन सारे यू0 पी0 के खेतिहर मजदूरों को जमीन उपलब्ध नहीं करा पायेंगे।

दूसरा पहलू यह है कि जैसा राम मूर्ति जी ने कहा है कि जंगल साफ हो गए हैं और आज दुनिया का कहना है, फारेस्ट आफिसरों और देहरादून इन्स्टीट्यूट का कहना है कि यदि देश और काश्तकारी को जिन्दा रखना है तो 33 प्रतिशत जमीन में जंगल उगाना पड़ेगा। आज यू0 पी0 में पहाड़ी इलाके को छोड़कर कहीं भी 10/11 प्रतिशत से ज्यादा जंगल नहीं है। अच्छा तो यह होता कि सीलिंग से जितनी जमीन निकलती उसके एक बड़े हिस्से में जंगल उगाते। दूर की सोचें तो जो आज जमीन का बंटवारा कर रहे हैं और हर एक को एक या दो एकड़ दे रहे हैं तो उसकी औलादें पैदा होगी तो वह जमीन कितने ही टुकड़ों में बंट जाएगी, उसको भी देखना है। जहां तक अमरूद है के बगीचे को एक एकड़ में परिणित करने की बात है तो यह भी देखने की बात है। अमरूद के बाग काटने से जमीन के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ेगा। आज आप आम और लीची तथा कटहल के बगीचे की बात करते हैं लेकिन यदि अमरूद कटने के बाद हर खेतिहर मजदूरों को जमीन नहीं दे पाए तो मुमकिन है कि आप यह करें कि उसके बाद एक एकड़ में आम और लीची तथा कटहल के बगीचे को भी ले आयें इस बजह से लोगों की प्रवृत्ति यह हो सकती है कि जो बचे खुचे बगीचे हैं उनको भी वे काटना शुरू कर दें और उनकी लकड़ी बेच कर पैसा बना लें क्योंकि सीलिंग पालिसी का कहीं पर कोई टिकाव नहीं मालूम पड़ता है। सन् 1960 में 80 एकड़ और 40 एकड़ का प्राविधान रखा और 1973 में 18 एकड़ और 27 एकड़ रखा। आपने बहुत से एमेन्ड-मेन्ट्स सन् 1973 में किए, 1974 में किए, 1975 में किए और अब 1976 में फिर ला रहे हैं। इससे अच्छा कि आप इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें लेकिन वह प्रवर समिति ऐसी हो जिसमें ऐसे लोग हों जिनको काश्तकारी से, फारेस्टरी से, हार्टीकल्चर से दिलचस्पी हो।

(इस समय 12 बजकर 46 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री माता प्रसाद पीठासीन हुए।)

इसके बाद यह एक आखिरी ऐक्ट बना दिया जाय। यह ऐक्ट कन्फ्यूजन से भरा हुआ है। कई लोग आते हैं वह कहते हैं कि हमने वर्षों पहले बंटवारा कर लिया था अब हमारे परिवार को रिश्तेदारों को परेशान किया जा रहा है। जमीनें कर्व कर छीनी जा रही हैं। आप तराई में चले जायं तो देखेंगे कि वहां पटवारी का राज्य है, कानूनगो का राज्य है। सीलिंग के नाम पर भ्रष्टाचार इतना हो गया है कि एक-एक पटवारी ने एक-एक लाख रुपया बना लिया है। इसलिए बड़ा जरूरी है कि यह बिल प्रवर समिति को सौंप कर इस ऐक्ट को रिवाइज किया जाय और इस तरह से रिवाइज किया जाय कि उसका सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हो सके। लोग घूस देने से बच सकें, भ्रष्टाचार से बच सकें। एक बात और है हाल में ही प्रधान मन्त्री ने कहा है कि फन्डामेन्टल राइट टु प्रापर्टी हम नहीं खत्म करना चाहते हैं। जब यह है तो उसके साथ फेयर प्राइस का सवाल आता है। जो रूल्स बने हैं और जो कीमत के बारें में ऐक्ट में प्राविधान है वह भी फन्डामेन्टल राइट को हिट करता है क्योंकि आप इनएडीकेट कंपेन्सेशन देते हैं। इसलिए इन सारी बातों को देख कर ठोंक पीट कर सीलिंग ऐक्ट बनाया जाना चाहिए।

*श्री काशीनाथ मिश्र—

अधिष्ठाता महोदय, यह जो माननीय राजस्व मन्त्री ने सदन के समक्ष विधेयक प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा और हमारे मिश्र जी ने विचार व्यक्त किये कि जब जब कोई दिक्कत महसूस होती है तो चाहे अधिकतम जोत सीमा हो या भूमि सम्बन्धी कानून हों उनमें सुधार किया जाता है। सबसे प्रमुख सवाल यह है कि जिस तरह की व्यवस्था हम सारे देश में और अपने प्रदेश में चाहते हैं क्या वह व्यवस्था इस संशोधन के जरिए हम हासिल कर सकते हैं। माननीय मन्त्री जी ने पिछले तीन चार महीनों में बड़ा प्रयास किया है जैसा कि हमने समाचार-पत्रों में पढ़ा है लेकिन इसके बावजूद क्या उत्तर प्रदेश सरकार जन-साधारण में यह आस्था पैदा कर पायी है और जो बड़े-बड़े भूमि हड़पने वाले हैं उनकी जोत में कमी आयी है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री काशी नाथ मिश्र]

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जन-साधारण की अभी भी यही भावना है कि उत्तर प्रदेश के कानून अभी कागज पर ही बन रहे हैं। यह बात तो दूसरी है कि जो दो चार हरिजनों को आपने भूमि दी है वह यह समझ रहे हैं कि उनको जमीन मिली है लेकिन असल में जो जमीन के जोतने वाले हैं, जो ठीक से खेती करना जानते हैं आज उनके पास जमीन नहीं है। मंगलदेव विशारद कमेटी ने भी यही कहा है कि कागज में तो बिल्कुल ठीक है, सीलिंग के अन्दर नहीं आती है लेकिन वास्तविकता क्या है कि गांव में अगर कोई फार्म है तो उसका मालिक सिर्फ एक ही आदमी बना हुआ है। अगर आपको यहां पर आर्थिक स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन करना है, प्रदेश को प्रगति के पथ पर चलाना है तो आपको भूमि-व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन करने होंगे और उसके लिए सख्त कानून बनाने होंगे।

उत्तर प्रदेश में ऐसे परिवार हैं जिनके पास काफी जमीन है, सरकारी गजेटेड नौकरी है और व्यापार भी है। आमदनी के सारे साधन उन्हीं के पास एकत्र हो गए हैं। ऐसी स्थिति में क्या व्यवस्था हो सकती है। मुगलकाल से कुछ परिवार के लोग उच्च पदों पर आसीन हैं, आज भी आसीन हैं, गजेटेड आफिसर हैं और लखनऊ या बाराबंकी में उनकी काफी भूमि है, फार्म हैं। वे बड़ी-बड़ी जोतों के आज भी मालिक बने हैं। आपको अपने कानून में कुछ इस तरह का परिवर्तन करना होगा, आमूल परिवर्तन करना होगा। छड़ी लेकर घूमते हुए आए और टहल कर चले गए। मालिकाना हक उनका बना है। क्या उनके पास जमीन रहेगी? न ट्रैक्टर है, न बैल हैं और न हल हैं लेकिन जमीन है, मालिक हैं। उनका भव्य भवन बना है और नौकर चाकर खेतीबारी करते हैं। आप इसकी व्यवस्था करें। जो भी कानून आप ला रहे हैं वह अच्छा है, लेकिन सख्ती के साथ उस पर अमल होना जरूरी है। जब आप एक-एक आदमी को तीन-तीन आमदनी के साधन देंगे और दूसरी ओर पढ़े लिखे नवयुवक बेकार घूमेंगे तो क्या होगा? हम बिल का समर्थन करते हैं परन्तु इन सभी बातों को आपको अवश्य देखना होगा और उसमें सुधार करना होगा।

मैं यह कहूंगा कि दिल्ली में आपकी कोई बैठक हुई थी उसमें यह तय हुआ जैसा कि इसके उद्देश्य में लिखा भी है कि प्रधान मन्त्री चाहती हैं कि सारे देश में जमीन सम्बन्धी कानून एक समान हो और उनमें ऐसे परिवर्तन किए जायं कि जो जमीन पर मेहनत करते हैं वही उसके हिस्सेदार हों। तो इस सारी मिल्कियत में मेहनत करने वाले को आप हिस्सेदार बनायें। ऐसा न हो कि जो जमीन जोतता व बोता है उसके पास जमीन न हो बल्कि बड़े-बड़े फार्म्स वालों के पास हो। राममूर्ति जी के भाषण से ऐसा आभास हुआ मानों उनके पास 50, 100 एकड़ का कोई अमरूद का फार्म हो। बागों से भी आमदनी होती है लिहाजा आप बागों को चाहे वे किसी भी चीज के बाग हों उनमें से जमीन निकालें ताकि लोगों को भरपेट रूखा सूखा भोजन मिल सके प्रदेश की 10 करोड़ जनता को। बहुत अच्छा भोजन मिल सकेगा यह बहुत दूर की बात है। बागों से केला, अमरूद, आम लोगों को मिलते हैं यह राममूर्ति जी ने कहा लेकिन वास्तविक स्थिति तो यह है कि एक वक्त भोजन भी आम खेतिहर मजदूर को नहीं मिल पाता है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

राममूर्ति जी जब योजना मन्त्री थे तो यही कहते थे कि लोगों को केला, अमरूद लेना चाहिए।

श्री काशीनाथ मिश्र—

केला अमरूद मिले लेकिन अन्न की भी व्यवस्था होनी चाहिए। जो बड़े-बड़े फार्म्स के समर्थक हैं उनका कहना है कि ऐसा न हो जाय कि अनइकोनामिक होल्डिंग्स हो जायं। वे अनइकोनामिक होल्डिंग्स की आड़ में जमीन के बंटवारे के खिलाफ हैं। मैं उनका ध्यान जापान की ओर ले जाना चाहता हूं जहां किसी के पास 5 से लेकर 13, 14 हेक्टर से अधिक जमीन नहीं है और इन्टेंसिव खेती के जरिए उन्होंने अन्न की समस्या को हल किया है।

यहां पर 1,000 एकड़ तक के फार्म्स हैं और फर्जी नामों से लोग उन फार्म्स को रखे हुए हैं। मंगलदेव विशारद कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप सरकार एक अलग से बिल लाए ताकि सहकारी फार्म्स पर मालिकाना हक खेतिहर मजदूरों का हो सके और इस तरह से जो फार्म्स लोगों के पास हैं उनका अपने आप विघटन हो जायगा। और खेती करने वाले उसके मालिक होंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

*श्री राज ब्रजराज सिंह (जिला खीरी)—

अधिष्ठाता महोदय, इस विषय पर चर्चा आये दिन होती है मेरा निवेदन है कि जो सही और सच्ची बात है, उसे स्वीकार करना चाहिए और क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना चाहिए। मान्यवर, सबसे पहले जो बातें कुछ भाइयों ने कहीं, खास कर मिश्रा जी ने कही कि विशारद रिपोर्ट इस बात का सबूत है कि जमीन कैसे लोगों के पास है और वह लोग किस तरह से उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। इसलिए इस पर ज्यादा कहना जरूरी नहीं समझता हूं। शायद सदन के अन्दर सभी जानते हैं कि हमारे भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री बहुगुणा जी, जिनसे मेरा कोई विशेष सम्पर्क नहीं रहा, जिन्होंने कुछ क्रान्तिकारी कदम उठाए थे और जिनसे हमारे कामरेड भाई सहमत थे तो उनको किस तरह से जाना पड़ा। दो साल के अन्दर उनको जाना पड़ा और आज वह यहां के सदस्य हैं और बहुत से लोगों का नेतृत्व करते हैं और उनके साथी यहां पर मौजूद हैं।

मान्यवर, यह जमीन कोई रबड़ की तरह इलास्टिक नहीं है कि जो खींचने पर खिंच जाय। तो मेरा कहना है कि आपको जो भी व्यवस्था करनी है, वह जो भी सीलिंग लगानी है, वह 20, 30 साल के लिये लगा दीजिए। इस तरह से एक अनिश्चितता की तलवार अगर लटकती रहेगी तो आप निश्चित समझिए कि लोगों की जमीन पर आस्था नहीं रह जाएगी और एक अनिश्चितता का वातावरण पैदा हो जाएगा। इसलिए इस बात को सोच कर एक सीलिंग 25-30 साल तक के लिए कर दीजिए। मैं ज्यादा इस बहस में नहीं जाऊंगा जैसा कि किसी ने कहा कि अमरूद के बगीचे इसके अन्तर्गत ले लिए जांय या न लिए जायं। जैसा कि कहा गया कि अमरूद के बगीचों को भी ले लिया जाय तो उसका नतीजा क्या हो रहा है कि जो आज से 20 साल पहले बगीचे थे उनका आज 20 प्रतिशत ही रह गया है। अगर इस प्रकार की सीलिंग लगी तो आप देखेंगे कि ये फल एक दिन समाप्त हो जायेंगे। लीची और आम हो सकता है कि अमीरों के फल हों लेकिन अमरूद जो है वह तो गरीब का फल है। इसी तरह से गुलाब के जो बगीचे हैं वह समाप्त हो जायेंगे। गुलाब जो है वह हमारे समाजवादी नेता पंडित नेहरू जी को बहुत प्रिय था और जिस वक्त हमारे बहुगुणा जी हटे थे उनको भी गुलाब का हार पहनाया गया था। तो मैं अमरूद के बारे में कह रहा था कि यह तो गरीबों का फल है, केला लीची हो सकता है कि अमीर लोग खाते हों। लेकिन कटहल और अमरूद तो गरीबों का फल है जोकि समाजवादी फल है। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे कामरेड साहब यहां पर हैं उनके नेता श्री भीखालाल जी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए कहा था हमने जब भूमि आन्दोलन चलाया था और बिड़ला और दूसरे बड़े-बड़े लोगों की जमीनों पर कब्जा करने गए थे तो उस समय श्री बहुगुणा जी यहां पर मुख्य मन्त्री थे.....

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

बहुगुणा जी नहीं थे, चौधरी साहब थे।

श्री राज ब्रजराज सिंह—

कोई भी रहे हों, चौधरी साहब रहे हों। आप कहते हैं कि हजारों आदमियों को जेल में डाल दिया गया था। तो जो न्याय प्रिय होगा, जो कानून में विश्वास रखता हो, वह ऐसा ही करेगा। आप कहते हैं कि हजारों आदमियों को जेल में ठूंस दिया गया। तो इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राज ब्रजराज सिंह]

प्रकार के कार्य को आप विद्रोह नहीं कहेंगे, क्या यह अराजकता नहीं है ? जो कानून होगा, उसका पालन तो करना ही पड़ेगा। चाहे किसी की जमीन हो इस प्रकार अराजकता से कैसे शासन चलेगा ? इसलिए मैं अपने कामरेड भाईयों से कहना चाहता हूं कि इस पर वह सोचें। जो भी आप सीलिंग करें उसे सोच समझ कर करें यह कोई दर्जी का बकरम नहीं है कि जिस वक्त चाहो जैसे चाहो कैंची चला दी जाय। तो मैं दो-चार मिनट में अपनी बात कह कर समाप्त करता हूं।

अब मैं कोआपरेटिव फारमिंग के बारे में कहना चाहूंगा। मैं कहूंगा कि सरकार का यह अच्छा कदम होगा, यदि ईमानदारी और सच्चाई के साथ हम कोआपरेटिव फार्मिंग की ओर बढ़े। यदि आपको यह करना है, तो इसे आप सबसे पहले लैन्डलेस लेबर्स और भूमिहीन किसानों, जिनको थोड़ी-थोड़ी जमीन दी गई हैं, की छोटी-छोटी कोआपरेटिव फार्म बनाए जाएं। मैं पहले भी यह सुझाव आपको और सेन्ट्रल गवर्नमेंट को दिया है। ऐसे 10-10, 5-5 किसानों की, मजदूरों के कोआपरेटिव फार्म बनाए जाएं और वे सरकार के नियन्त्रण में बनें, उनको हर तरह की सरकार की तरफ से मदद की जाए। आपके इन्स्पेक्टर्स और वी0 एल0 डब्लू0 आदि उनकी व्यवस्था देखने के लिए मौजूद रहें, यदि इस तरह की कोआपरेटिव फार्मिंग सफल रहती है, तो इस प्रक्रिया को आप आगे बढ़ाएं, व्यापक पैमाने पर लागू करें। लेकिन यदि हम इसे एकदम से पूरे देश में एक साथ लागू करना चाहें, तो यह कतई उचित नहीं होगा। किसी अन्य जगह के लिये हो सकती है किन्तु भारत के इस नक्शे के लिए कतई उचित नहीं है, कोई तानाशाह ही इसे भले कर सकता है।

मैं आखिरी बात यह कहना चाहता हूं कि जमीन की जो जोतें कम की जा रही हैं उस पर और आप इस तरह से बांटकर ऐसा कर रहे हैं कि जोत अलाभकर हो जाती है। तो क्या आप चाहते हैं कि जोत अलाभकर हो जाए ? यह आपके दिमाग में क्या कांट्राडिक्शन है ? फिर आप परिवार नियोजन को सफल बनाने की बात करते हैं, लेकिन अधिकतम जोत सीमा के अन्दर इस बात की व्यवस्था है कि जिसके बच्चे कम होंगे, उसको जमीन कम दी जाएगी और जिसके बच्चे अधिक यानी दो से अधिक होंगे उसको जमीन अधिक दी जाएगी। तो इस तरह से आप परिवार नियोजन को कैसे सफल बना सकते हैं ? अधिक जमीन पाने के लिए व्यक्ति अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित होगा। हमारे भूतपूर्व मुख्य मन्त्री कमलापति त्रिपाठी के नेतृत्व में सरकार ने पहले एक क्रान्तिकारी कदम उठाया था यानी एक विधेयक लाया गया था, जिसमें था कि जो जमीन की पैदावार बढ़ाएगा नलकूप अपने लगवाएगा, उसको मैकेनाइजड फार्म के अन्तर्गत मानकर ज्यादा जमीन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। यह आपका एक नजरिया था कि किस आधार पर जोत सीमा निर्धारित होनी चाहिए, लेकिन बाद में आपने उसमें परिवर्तन कर दिया विधेयक के द्वारा जबकि पहले यह कर दिया कि एक ट्यूब वेल पर अधिक से अधिक 5 एकड़ जमीन दी जाएगी, बाद में उसमें यह कर दिया, जब हजारों-लाखों लोगों ने बोरिंग करवा ली, कि जिसकी जमीन सिंचित होगी, उसको कम दी जाएगी। उसका नतीजा यह हुआ है कि लाखों नलकूप लोगों के निकल गए। तो आप एक तरफ निजी नलकूप लगाने की हिमायत करते हैं और दूसरी तरफ इस तरह के कानून बनाकर लोगों को हतोत्साहित करते हैं कि वे अपने नलकूप न लगवाएं, तो यह दोनों चीजें कैसे साथ साथ चल सकेंगी ? इससे काश्तकार या कृषि का स्थायी विकास नहीं होगा और न भारत में अधिक अन्न उपजाने की तरफ बढ़ता हुआ यह एक कदम होगा।

आपने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और कहा कि जो जमीन जोतेगा, उसकी जमीन होगी, अर्थात् लैन्ड विलांग्स टू दि टिलर आफ दि स्वायल ऐन्ड देयर सन्स, ऐन्ड दे हैव ए राइट टू सेल इट। तो इसमें क्या एतराज था कि जो एक बुढ्ढा आदमी है या बेवा औरत है, उसके पास 10-5 एकड़ जमीन है, वह काश्तकारी करने लायक नहीं है, तो वह बटाई सिस्टम से भूमिहीन आदमी को अपनी जमीन देकर खेती कराता है। इस नए

प्राविधान से उससे जमीन निकल जाएगी। नतीजा क्या होगा कि वह कदापि नहीं देंगे काश्तकारों को, वह स्वयं काश्त करेंगे, चाहे वह जमीन पड़ी ही रहे।

मैं पांचवीं चीज कहूंगा कि आज शहर और गांव के अन्तर फैलते जा रहे हैं। आप चाहते हों कि शहर में अच्छे लोग बस जायं। क्या आप चाहते हैं कि गांव के लोग गांव छोड़कर शहर में आ जायं? मैं आखिरी चीज यह कहना चाहता हूं कि रोज आए दिन बिल पेश हुआ करते हैं, चाहे बिल चूहे का बिल हो। तो बिलों के अन्दर जो बिल है उस पर ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि आपके बहुगुणा जी ने जो कदम उठाया है वह द्रुतगामी, प्रगतिशील कदम थे, इससे पहले चौधरी चरण सिंह जी ने उठाया था। चौधरी साहब जमींदारी एबालीशन ऐक्ट को लाने वाले थे जिन्होंने ऐसे परिवर्तन लाए। उन्होंने किताबें लिखीं। वह सबसे बड़े ज्ञाता और किसानों के हितैषी वह हैं। आप इस पर ठन्डे दिमाग से विचार करें। यह कोई राजनीति का विषय नहीं है। यह देश की उन्नति से सम्बन्ध रखता है। यह कोई दर्जी का बकरम नहीं है। यह कोई रबड़ नहीं है कि जिधर मोड़ दीजिए मुड़ जाय।

मान्यवर, मंगलदेव विशारद ने जो रिपोर्ट दी, उसी प्रकार की एक कमेटी बनाइए। उसके सदस्य चाहे माल मन्त्री हो जायं। हम लोग तो खाल वाले हैं, माल वाले तो उधर हैं। उसके अन्दर 2-4 और जमीन से सम्बन्ध रखने वाले जमीन विशेषज्ञ जैसे श्रीमन्, यादवेन्द्र जी हैं या राजा अजीत प्रताप सिंह जी हैं या लोकपति त्रिपाठी जी हैं, जो खेती करते हैं और किसानों के हालात को जानते हैं, उनको आप जमीन कमेटी में रखें। दो तीन आप कम्युनिस्ट भाइयों को रखे और दो-तीन हरिजन भाइयों को रखे, उसमे चाहे भीखालाल जी को रख दे, जोकि आज कम्युनिस्ट नेता के रूप मे सुशोभित हैं। वह भी हमारे जिले में नायब तहसीलदार रहे हैं। मैं किसी की आलोचना करना बहुत भद्दी बात समझता हूं। जब वह नायब तहसीलदार थे, स्वामी प्रसाद जी जानते हैं। वह हमारे वहां रह चुके हैं। कानूनगो थे, उस समय उनकी भाषा, तौर तरीके और थे। उस वक्त के भाव और भाषा मे अब अन्तर है। मैं कहता हूं कि आप विपक्ष का सहयोग लें। विपक्ष सरकार को सहयोग देने का एक हिस्सा है, जो अच्छी बाते हों विपक्ष की उनको सरकार को भी लेना चाहिए। चाहे वह प्रकाशित हों या न हों लेकिन आपको उन बातों को अपने दिल मे प्रकाशित रखना चाहिए। अगर आप यह समझेंगे कि जो आप कह रहे हैं वही सही है तो जनता का कल्याण नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं कि तानाशाही के नतीजे अच्छे नहीं होते हैं। आप जानते हैं कि प्रधान मन्त्री के कुछ कार्यक्रम भी हैं। यह भूल होगी कि विपक्ष को हिस्सा न दें। इस राज्य की प्रगति में अपनी भूमिका अदा करने के लिए हम लोगों को भी हिस्सा दें। मैं एक बार पुन: कहूंगा कि आप एक कमेटी बना दें औ इसको प्रवर समिति को भेज दिया जाए जो अपनी रिपोट 15 दिन के अन्दर दे।

*श्री राम चन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत विधेयक जो लाया गया है वह बहुत हद तक अच्छा है, जिसका मैं समर्थन करता हूं। माननीय काशीनाथ मिश्र ने जैसा कहा कि इस तरह के संशोधन जब सरकार को दिक्कत मालूम होती है, तो लाती है। एक पर्टीकुलर दिक्कत को रिमूव करने के लिए इस तरह के संशोधन लाये जाते हैं। यह सीलिंग ऐक्ट इसीलिए बनाया गया था कि प्रदेश के तमाम खेतिहर मजदूर जिनके पास जमीन नहीं है और अपने प्रदेश की पैदावार को बढ़ाने के लिए जमींदारी एबोलिशन ऐक्ट बनने के बाद इस बात की चर्चा होने लगी थी कि सीलिंग ऐक्ट बने। 1960 में यह ऐक्ट बनाया गया। तब से अब तक उसमें कई संशोधन आये हैं। 14 जनवरी, 1976 को माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपने एक बयान मे कहा था कि 2 लाख 42 हजार 292 एकड़ जमीन सरप्लस डिकलेयर की गयी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम चन्द्र बक्श सिंह]

है जिसमें से एक लाख 95 हजार 898 एकड़ पर सरकार ने कब्जा ले लिया है और 1 लाख 37 हजार 998 एकड़ बांटी गयी। जो 1971 के बाद जितने भी ट्रान्सफर कराये गये हैं उसके बाद के अवैध माने जायेंगे लेकिन मान्यवर, जो इसके पहले ट्रान्सफर हो गए हैं उनका क्या होगा ? छोटा किसान कानून की जानकारी नहीं रखता है लेकिन बड़े-बड़े किसान कानून को सूंघते रहते हैं, नाना प्रकार को तिकड़म करने वाले वे सभी लोग जिन्होंने 24 जनवरी, 1971 से पहले ट्रान्सफर्स किये थे, वे बच गये। मैं माननीय काशी नाथ मिश्र जी से सहमत हूं कि आम और अमरूद कितने ही अच्छे फल हों लेकिन कोई ऐसा तो कानून नहीं बना है कि लोग आम और अमरूद का पेड़ ही लगाना बंद कर दें। आम और अमरूद के बागों के नाम पर या और किसी बाग के नाम पर सैकड़ों एकड़ भूमि जो इस प्रकार से बचाई जा रही है, वह नहीं होना चाहिये। लिहाजा यह कहना कि बागों को एक्जैम्प्ट कर दिया गया, यह नहीं होना चाहिये।

तीसरे धारा 6 में कुछ चीजें एक्जेम्प्ट की गई हैं जिन पर सीलिंग एरिया एप्लाई नहीं करेगा जैसे चाय, काफी और रबर आदि। यह सही नहीं है कि जमीन के ऊपर बड़े-बड़े लोग, बड़े-बड़े पूंजीपति, जो सामन्त हैं, वे ही लोग खेती कर सकते हैं। अगर उनसे यह भूमि निकाल दी जाय तो क्या वे मजदूर लोग जो उन्हीं खेतों में मजदूरी करते हैं, वे खेती नहीं कर सकते हैं ? उन्हें चाय, काफी की खेती करने में क्या दिक्कत होगी ? मेरी प्रार्थना है कि इन सामन्तों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये ताकि इस प्रकार के अवशेष समाज में न रहें। जब कि राष्ट्रीय स्तर पर 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सारे भूमिहीनों को जमीन मिलनी है तो इस ऐक्ट को इस प्रकार से एमेंड करना चाहिये जिसके तहत भूमिहीनों को जमीन मिलनी चहिये। गोशाला के नाम पर भूमि अब भी एक्जेम्प्ट है। तो यह धारा 6 का आपने संशोधन क्यों नहीं किया है ? उनके नाम पर आज भी जो जमीनें बेकार पड़ी हुई हैं, उसका फायदा ये बड़े-बड़े लोग उठाते हैं लिहाजा धारा 6 में एक्जेप्शन डिलीट हो जाना चाहिये। धारा 5 की उपधारा 4 में यह दिया हुआ है कि अगर कोई कोआपरेटिव बनाकर फार्मिग कर रहा है तो उसमें हर व्यक्ति को एक हिस्सेदार माना जायगा। इस प्रकार तब सीलिंग लिमिट होगी। आज जिसके नाम पर प्रदेश में हजारों एकड़ भूमि चुराई गई है, इसको एमेंड होना चाहिये।

श्री मंगलदेव विशारद की रिपोर्ट से शासन के सारे सदस्य वाकिफ हैं लेकिन इसके बावजूद भी बड़े बड़े फार्म चाहे वे गोंडा में हों या मिर्जापुर में हों या कहीं हों, बड़े-बड़े लोग, जो राजनीति भी करते हैं उनके कब्जे में है और मौजूदा कानून के जरिए सरकार उसे नहीं निकाल पा रही है। इसको आपको इस तरह से अमेंड करना पड़ेगा कि ऐसे लोग जो खेती नहीं करते हैं, जो उस गांव के परमानेन्ट बाशिन्द नहीं उनका नाम अगर उस कोआपरेटिव सोसायटी में है तो वह काट दिया जायगा। ऐसा हो जायगा तो सारी चीजें सुधार जायेंगी।

दूसरे, 24 जनवरी, 1971 के बाद जितने स्थानान्तरण हुये हैं जमीन के वह शून्य माने जायेंगे, बहुत खुशी की बात है। लेकिन इसमें एक समस्या पैदा होगी कि यह कानून छोटे लोगों को पता नहीं था। ऐसे लोगों की जमीन, यह मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, कई जिलों के छोटे-छोटे आदमियों ने 4-4 हजार रुपये लेकर जमीन बेच दी। तो इससे वह भी शून्य हो जायगी। इसमें व्यवस्था यह होनी चाहिये थी कि जिन लोगों के हाथ जमीन बेची गयी वह जमीन ट्रांस्फरी ही रहेगी और ट्रांस्फरी की दूसरी जमीन उतनी काटी जाय तब तो होगा वरना उन लोगों को बहुत नुकसान होगा। अगर आप कुछ कम्पेन्सेशन देंगे तो वह बहुत नाकाफी होगा। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि इसमें संशोधन की आवश्यकता है।

*राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)—

यह संशोधन विधेयक पेश हुआ और बहुत से माननीय सदस्यों ने तरह-तरह के विचार प्रकट किये लेकिन अधिकतर विधेयक से विषयान्तर भाषण यहां हुये। सिर्फ संशोधन में यह आया है कि इसको प्रवर समिति के सिपुर्द कर दिया जाय और उसमें जब विचार हो जायगा तो वह एक ऐसी ब्रह्म लकीर हो जायगी कि उसके बाद हमको संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे बरेली के माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि जब सन् 60 वाला सीलिंग ऐक्ट शुरू हुआ था तो उसे प्रवर समिति के सिपुर्द किया गया था। अगर प्रवर समिति कोई ऐसी चीज हो कि उसके बाद कोई संशोधन की आवश्यता नहीं होती है तो संशोधन क्यों किया गया? वह तो प्रवर समिति के फसले के बाद भी जैसे-जैसे परिस्थितियां पैदा होती गयीं और हमारे न्यायालयों के फैसले होते गये उसी की लाइट में संशोधनों की आवश्यकता हुई। इस बात से भी माननीय सदन सहमत होगा कि चाहे 25 बार प्रवर समिति को आप सौंप दें लेकिन परिस्थितियों और निर्णयों के हिसाब से संशोधन लाने आवश्यक होंगे।

इस संशोधन विधेयक का कुछ विरोध भी किया गया। एक तो हमारे बरेली के जो माननीय सदस्य हैं उन्होंने कविता के रूप में और मधुर भाषण में अमरूद का वर्णन किया। पहले जब अमरूद के बाग की छूट थी तब भी हमारे विरोधी नेताओं ने उसका विरोध किया था कि अमरूद के बागों को क्यों छूट दी गयी लेकिन बरेली के माननीय सदस्य जो कहते हैं मधुर भाषा में उसकी एक अलग बात होती है, जैसे कि झुमका कहीं गिर जाय लेकिन वह रेकार्ड में नहीं आयेगा लेकिन अगर बरेली के बाजार में गिर पड़े तो दूसरी बात है। हमारी नीति तो अमरूद के बाग को एग्जेम्प्ट करने की थी लेकिन माननीय सदस्यों का जो विरोध था उसके हिसाब से उसको साधारण मान लिया गया।

मान्यवर, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी यह कहा गया कि कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये। यह जो विधेयक लाया गया है उसमें सख्त से सख्त कार्यवाही करने का प्राविधान किया गया है। पहले अगर किसी की दूसरे गांव में जमीन होती थी तो उसका पता नहीं चल पाता था और कोई कार्यवाही नहीं हो पाती थी, अब यह किया गया है कि अगर कोई अपनी किसी जमीन को छिपाता है, गलत सूचना देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी, उसको सजा दी जायेगी। अभी जो हमने आर्डिनेन्स जारी किया इस पर कार्यवाही करने में देर हुई। इस कानून को सख्त इसलिये बनाया जा रहा है ताकि जमीन निकले और गरीब लोगों में बांटी जा सके। यह विधेयक तो प्रगति की ओर ले जाने वाला है, मगर इस पर भी हमारे विरोधी सदस्यों ने इतना समय ले लिया। माननीय सदस्य को तो अपने प्रवर समिति वाले प्रस्ताव को वापस ले लेना चाहिये। हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि 30 जनवरी, 1974 के बाद वाले ट्रान्सफर्स वैलिड माने जायेंगे, अब अगर विधेयक को लाने में देर करते हैं तो न जाने कितने ट्रान्सफर्स हो जायेंगे। जमीन बच जायेगी। इसलिये इसको जितनी जल्दी हो सके, चेक किया जाय। इसलिये आप इस प्रस्ताव को वापस ले लें और यह विधेयक पास करें।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1976 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जो अपना प्रतिवेदन 15 दिन में सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खण्ड 2 से 32, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत–सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1976

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत–सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत–सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

(2) यह 10 अक्टूबर, 1975 से प्रवृत्त समझा जायगा।

घोषणा

2—एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 39 के खंड (ख) तथा (ग) में विनिर्दिष्ट तत्वों को सुनिश्चित करने के लिये राज्य की नीति को प्रभावी करने के लिये है।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1961 में शब्द "प्रतिकर अधिकारी" के स्थान पर शब्द "नियत प्राधिकारी" और शब्द "प्रतिकर निर्धारण तालिका" के स्थान पर शब्द "निर्धारण तालिका" का रखा जाना।

3—उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत–सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है :—

(क) शब्द "प्रतिकर अधिकारी" जहां कहीं आये हों, उनके स्थान पर शब्द "नियत प्राधिकारी" रखे जायेंगे, और

(ख) शब्द "प्रतिकर निर्धारण तालिका" जहां कहीं आये हों, उनके स्थान पर शब्द "निर्धारण तालिका" रखे जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1961 की धारा 2 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 2 में खंड (2) में, शब्द "उत्तराखंड मण्डल और कुमायूं मण्डल (डिवीजन)" के स्थान पर शब्द "कुमायूं तथा गढ़वाल मण्डल" रखे जायगे, और 20 दिसम्बर, 1968 से रखे गये समझे जायेंगे।

धारा 3 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 3 में—

(क) खण्ड (5) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा, अर्थात् :—

"(5) 'निगम' का तात्पर्य किसी संविधिक निगम, अर्थात् किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम या केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम से है ;"

(ख) खण्ड (8) में, शब्द "पपीता, केला या अंगूर की लतायें" के स्थान पर शब्द "अमरूद, पपीता, केला या अंगूर की लतायें" रखे जायेंगे और 8 जून, 1973 से रखे गये समझे जायेंगे।

(ग) खंड (11) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जायगा और 8 जून, 1973 से रखा गया समझा जायगा, अर्थात् :—

"(11) 'सिंचित भूमि' का तात्पर्य धारा 4—क में निर्धारित रीति से उस रूप में अवधारित भूमि से है।"

धारा 5 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 5 में,—

(क) उपधारा (1) में, उसके स्पष्टीकरण 2 में, शब्द "यदि कोई भूमि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा मूलतः धृत थी जो वास्तव में उसके कब्जे में चली आ रही है किन्तु बाद में, वार्षिक रजिस्टरों में किसी अन्य व्यक्ति का नाम" के स्थान पर शब्द "यदि 24 जनवरी, 1971 को या उसके पूर्व कोई भूमि किसी व्यक्ति के पास थी; जिसका जोत कब्जा उस पर चला आ रहा है और उक्त दिनांक के पश्चात् वार्षिक रजिस्टर में किसी अन्य व्यक्ति का नाम" रखा जायगा और 17 जनवरी, 1975 से रखा गया समझा जायगा।

(ख) उपधारा (6) में, उसके स्पष्टीकरण 1 में, वर्तमान खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जायगा, अर्थात् :—

"(क) किसी वाद या कार्यवाही में, 24 जनवरी, 1971 के पश्चात् किसी व्यक्ति को सह—खातेदार के रूप में घोषित किया जाना, भले ही ऐसा वाद या ऐसी कार्यवाही 24 जनवरी, 1971 को विचाराधीन थी अथवा उसके पश्चात् संस्थित की गयी थी।";

(ग) उपधारा (7) में, उसके प्रतिबन्धात्मक खंड का खंड (क) निकाला जायगा;

(घ) उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ायी जायगी, अर्थात्—

"(8) उपधारा (6) तथा (7) में किसी बात के होते हुए भी, कोई खातेदार अपने विषय में अतिरिक्त भूमि का अवधारण करने के लिये कार्यवाही पर्यन्त अपने खाते की किसी भूमि का अन्तरण नहीं करेगा और इस उपधारा के उल्लंघन में किया गया प्रत्येक अन्तरण शून्य होगा।

स्पष्टीकरण— इस उपधारा के प्रयोजनार्थ यह समझा जायगा कि अतिरिक्त भूमि के अवधारण की कार्यवाही धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन नोटिस के प्रकाशन के दिनांक को प्रारम्भ हुई और उस दिनांक को समाप्त हुई, जबकि ऐसे खातेदार के सम्बन्ध में धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन या धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन या, यथास्थित, धारा 13 के अधीन आदेश दिया जाय।"

धारा 6 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 6 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्याकित किया जायगा और उसे सदैव उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्याकित समझा जायगा, और—

(क) इस प्रकार पुनः संख्याकित उपधारा (1) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ाया जायगा, और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्,—

"स्पष्टीकरण:—उपधारा (1) के खंड (च) की कोई बात उक्त उपधारा के खंड (छ) में निर्दिष्ट गोशाला के सम्बन्ध में लागू न होगी।";

(ख) इस प्रकार पुनः संख्याकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्न लिखित उपधारायें बढाई जायेंगी और सदैव से बढाई गयी समझी जायेंगी, अर्थात्—

"(2) कोई व्यक्ति राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना उपधारा (1) के खंड (घ) या खंड (ङ) या खंड (च) या खंड (छ) में निर्दिष्ट किसी भूमिका अन्तरण नहीं करेगा, और ऐसी अनुज्ञा के बिना किया गया प्रत्येक अन्तरण, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुये भी, शून्य होगा :

प्रतिबन्ध यह है किस उपधारा की कोई बात धारा 5 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा या उसके पक्ष में किसी अन्तरण पर लागू न होगी।

(3) किसी भूमि का, जो किसी ऐसे अन्तरण का विषय हो, जो उपधारा (2) के आधार पर शून्य है, अतिरिक्त भूमि समझा जायगा, और वह दिनांक 10 अक्टूबर, 1975 या ऐसे तात्पर्यित अन्तरण के दिनांक से, जो भी पश्चात्-वर्ती हो, समस्त भार से मुक्त होकर राज्य सरकार को अन्तरित और उनमें निहित हो जायगी, और उस भूमि में समस्त व्यक्तियों के समस्त अधिकार, आगम तथा स्वत्व समाप्त हो जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि भार, यदि कोई हो, अतिरिक्त भूमि के स्थान पर धारा 17 के अधीन देय राशि से सम्बद्ध हो जायगा।

(4) जी हां कोई भूमि उपधारा (3) के अधीन अतिरिक्त भूमि समझी जाय—

(1) वहां धारा 14 की उपधारा (8) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे मानो वह उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित भूमि हो;

(2) धारा 17 के अधीन उसके लिये देय राशि उस व्यक्ति को दी जायेगी जिसके पक्ष में ऐसा अन्तरण करना तात्पर्यित हो।"

8—मूल अधिनियम की धारा 9 में,—

धारा 9 का संशोधन

(क) उपधारा (2) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ाया जायगा, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि 10 अक्तूबर, 1975 के पश्चात् किसी समय नियत प्राधिकारी नोटिस द्वारा किसी ऐसे खातेदार से जिसके पास उक्त दिनांक को उसके सम्बन्ध में प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो, यह अपेक्षा कर सकता है कि वह नियत प्राधिकारी को ऐसी नोटिस की तामील के दिनांक से तीस दिन के भीतर उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवरण या उससे सम्बन्धित कोई सूचना प्रस्तुत करे।";

(ख) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ायी जायगी, अर्थात्—

"(2—क) प्रत्येक खातेदार जिसके पास 24 जनवरी, 1971 को; या उसके पश्चात् किसी समय अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो और जिसने उपधारा (2) में निर्दिष्ट विवरण प्रस्तुत न किया हो और जिसके सम्बन्ध में 10 अक्तूबर, 1975 को इस अधिनियम के अधीन कोई कार्यवाही विचाराधीन न हो, उक्त दिनांक से तीस

दिन के भीतर नियत प्राधिकारी को एक विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसमें—

(क) 24 जनवरी, 1971 को उसके और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा धृत,

(ख) 24 जनवरी, 1971 और 10 अक्तूबर, 1975 के बीच उसके द्वारा या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा अर्जित या निस्तारित,

समस्त भूमि का ब्योरा दिया जायगा।"

धारा 12—क का संशोधन

9—मूल अधिनियम की धारा 12—क में, उसके प्रतिबन्धात्मक खंड में,—

(1) खंड (ग) में शब्द "किसी बैंकिंग कम्पनी" के स्थान पर शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक "उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, 1973 की धारा 2 के खंड (ग) में यथा परिभाषित किसी बैंक" रखे जायेंगे और 31 मार्च, 1975 से रखे गये समझे जायेंगे ;

(2) खंड (घ) में, उपखंड (1) में शब्द "प्रतिकर" के स्थान पर शब्द "राशि" रखा जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा।

धारा 13—क का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 13—क में, उपधारा (2) में, शब्द और अंक "और 15" के स्थान पर शब्द और अंक "15 और 16" रखे जायगे।

धारा 14 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 14 में—

(क) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जायेगी, अर्थात् :—

"(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के दिनांक के प्रारम्भ से ऐसी समस्त अतिरिक्त भूमि समस्त भार से मुक्त होकर राज्य सरकार को अन्तरित तथा उसमें निहित हो जायेगी और उस दिनांक से उस भूमि में समस्त व्यक्तियों के समस्त अधिकार, आगम तथा स्वत्व समाप्त हो जायेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि भार, यदि कोई हो, अतिरिक्त भूमि के स्थान पर धारा 17 के अधीन देय राशि से सम्बद्ध हो जायगा।"

(ख) उपधारा (3), (4), (5), (6) तथा (7) निकाल दी जायगी ;

(ग) उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जायेगी, अर्थात् :—

"(8) कलेक्टर उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् किसी समय अतिरिक्त भूमि पर और किसी असंगृहीत फसल या वृक्षों के फल पर भी, जो ऐसी फसल या फल न हो जिन पर धारा 15 की उपधार (1) लागू होती हो, खातेदार या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसके अध्यासन में वह भूमि हो, बेदखल करने के पश्चात् कब्जा कर सकता है और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो :

प्रतिबन्ध यह है कि खातेदार किसी समय कलेक्टर को अपने द्वारा धृत सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग का कब्जा स्वेच्छा से दे सकता है, जिसे इस

अधिनियम के उपबन्धों के अधीन और अनुसार अतिरिक्त भूमि घोषित किया गया हो या घोषित किये जाने की संभावना हो, और तदुपरान्त ऐसी भूमि पर उपधारा (2) के उपबन्ध वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी अतिरिक्त भूमि पर लागू होते हैं।"

धारा 15 का संशोधन

12—मूल अधिनियम की धारा 15 में, उपधारा (1) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ, पद 'असंगृहीत फसल या वृक्षों के फल' का तात्पर्य किसी ऐसी फसल या फल से है जो धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के दिनांक को विद्यमान हो और इसमें कोई अनुवर्ती फसल या वृक्षों के फल सम्मिलित नहीं हैं।"

नई धारा 16 का बढ़ाया जाना

13—मूल अधिनियम के अध्याय 2 में, धारा 15 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ाई जायगी, अर्थात् :—

अतिरिक्त भूमि के उपयोग तथा अध्यासन के लिये क्षति-पूर्ति

"16—यदि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारम्भ होने के दिनांक पर या उसके पश्चात् किसी खातेदार के पास उस पर प्रयोज्य अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि हो तो वह खातेदार जुलाई, 1973 के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली अवधि से धारा 14 की उपधारा (8) के अधीन कलेक्टर द्वारा उक्त अतिरिक्त भूमि का कब्जा लिये जाने के दिनांक तक, या उस दिनांक तक जब खातेदार उक्त उपधारा के प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन कलेक्टर को स्वेच्छा से कब्जा दे, जो भी पहले हो, उसके उपयोग और अध्यासन के लिये राज्य सरकार को उस प्रतिकर का देनदार होगा, जो नियत किया जाय।"

धारा 17 का संशोधन

14—मूल अधिनियम की धारा 17 में—

(क) अध्याय 3 के शीर्षक सहित पार्श्व शीर्षक में, शब्द "प्रतिकर" के स्थान पर शब्द "राशि" रखा जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा ;

(ख) उपधारा (1) में, शब्द "प्रतिकर" के स्थान पर शब्द "राशि" रखा जायगा और सदैव से रखा समझा जायगा ;

(ग) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जायगी और सदैव से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात् :—

"(2) खातेदार का शिकमी काश्तकार या असामी, जो उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० की धारा 11 में उल्लिखित असामी न हो, खातेदार को देयराशि में से एक भाग पाने का हकदार होगा और उसे वह दिया जायगा। शिकमी काश्तकार या असामी को देय राशि का भाग उसके अधीनवर्ती स्वत्व की व्यतीत अवधि के लिये मौरूसी दरों पर आकलित मालगुजारी की पूरी राशि के बराबर होगी, परन्तु शिकमी काश्तकार या असामी किसी भी दशा में, खातेदार को देय राशि के एक चौथाई भाग से अधिक पाने का हकदार न होगा। वह राशि खातेदार तथा शिकमी काश्तकार या असामी के बीच नियत प्राधिकारी द्वारा विभाजन की जायगी।" ;

(घ) उपधारा (3) में शब्द "प्रतिकर" जहां कहीं भी आया हो, उसके स्थान पर शब्द "राशि" रखा जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा ।

धारा 17–क का संशोधन

15—मूल अधिनियम की धारा 17–क में—

(क) उसके पार्श्व शीर्षक सहित खंड (1) और (2) में शब्द "प्रतिकर" जहां कहीं आया हों, उसके स्थान पर शब्द "राशि" रखा जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा ;

(ख) खंड (3) में, शब्द "प्रतिकर धारा 17 के अनुसार दिया जायगा", के स्थान पर शब्द "राशि धारा 17 के अनुसार दी जायगी" रखे जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ।

धारा 17–ख का संशोधन

16—मूल अधिनियम की धारा 17–ख में—

(क) पार्श्व शीर्षक में शब्द "कतिपय मामलों में प्रतिकर लौटाया जाना" के स्थान पर शब्द "कतिपय मामलों में राशि का लौटाया जाना" रखे जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ;

(ख) उपधारा (1) में शब्द "दिये गये प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि या जैसी भी दशा हों, आनुपातिक धनराशि" के स्थान पर शब्द "उसको दी गयी सम्पूर्ण राशि या, जैसी भी दशा हो, उसका आनुपातिक भाग" रखे जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ।

धारा 18 का संशोधन

17—मूल अधिनियम की धारा 18 में शब्द और अंक "धारा 17 के अधीन देय प्रतिकर" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 17 के अधीन देय राशि" रखे जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ।

धारा 19 का संशोधन

18—मूल अधिनियम की धारा 19 में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक "धारा 17 के अधीन प्रतिकर" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 17 के अधीन देय राशि" रखे जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ।

धारा 22 का संशोधन

19—मूल अधिनियम की धारा 22 में—

(क) पार्श्व शीर्षक में, शब्द 'प्रतिकर" के स्थान पर शब्द "राशि" रखा जायगा और सदैव से रखा समझा जायगा ;

(ख) उपधारा (1) में, शब्द 'प्रतिकर की धनराशि" के स्थान पर शब्द "राशि" रखा जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा ;

(ग) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जायगी और सदैव से रखो गयी समझी जायगी, अर्थात् :—

"(2) राशि उस दिनांक से देय होंगी, जिस दिनांक को धारा 14 की उपधारा (8) के अधीन भूमि पर कब्जा किया जाय, और जब राशि पाने के हकदार व्यक्ति की विभिन्न भूमि पर कब्जा विभिन्न दिनांकों पर किया जाय तो ऐसे दिनांकों में अंतिम दिनांक से देय होगी, और वह उस राशि के अवधारण के दिनांक से देय होगी ।" ;

(घ) उपधारा (3) में—

(1) शब्द इ : "अधिनियम के अधीन अवधारित प्रतिकर की धनराशि" के स्थान पर शब्द और अंक "धारा 17 के अधीन अवधारित राशि" रखे जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ;

(2) शब्द "प्रतिकर दातव्य होने के दिनांक से" के स्थान पर शब्द "ऐसी राशि देय होनेके दिनांक से" रख जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ;

(ङ) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जायगी और सदैव से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात् :—

"(4) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उक्त राशि का भुगतान राज्य सरकार को अतिरिक्त भूमि के संबंध में सम्पूर्ण दायित्व से पूर्णतः उन्मुक्त करेगा, किन्तु उस व्यक्ति के प्रति जिसे इस प्रकार भुगतान किया जाय, उक्त राशि के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।"

धारा 23 का संशोधन

20—मूल अधिनियम की धारा 23 में—

(क) पार्श्व शीर्षक में, शब्द "प्रतिकर की धनराशि" के स्थान पर शब्द "राशि" रखा जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा ;

(ख) शब्द "प्रतिकर" के स्थान पर शब्द "राशि" रखा जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा।

धारा 27 का संशोधन

21—मूल अधिनियम की धारा 27 में—

(1) उपधारा (3) में, शब्द, अंक तथा कोष्ठक "उपधारा (1) और (2)" के स्थान पर शब्द, अंक तथा कोष्ठक "उपधारा (1) तथा (3)" रखे जायेंगे ;

(2) उपधारा (6) में—

(क) शब्द "ऐसे प्रारम्भ के दिनांक के एक वर्ष के भीतर" के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अंक "उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1975 के प्रारम्भ से पांच वर्ष के भीतर" रखे जायेंगे ;

(ख) शब्द "दो वर्ष" के स्थान पर शब्द "पांच वर्ष" रखे जायेंगे ;

(3) उपधारा (7) में शब्द "गजट में अधिसूचना द्वारा" के स्थान पर शब्द "विहित रीति से प्रकाशित किये जाने वाले सामान्य या विशेष आदेश द्वारा" रखे जायेंगे।

धारा 29 का संशोधन

22—मूल अधिनियम की धारा 29 में, शब्द "और तदनुसार इस प्रकार पुनः अवधारित अधिकतम क्षेत्र से अधिक भूमि उसके द्वारा धृत होगी, अतिरिक्त भूमि के रूप में व्यवहरित की जाने योग्य होगी" के स्थान पर निम्नलिखित शब्द तथा अंक रखे जायेंगे, अर्थात्:—

"और तदनुसार इस अधिनियम के उपबन्ध, धारा 16 को छोड़कर आवश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे।"

धारा 35 का प्रतिस्थापन

23—मूल अधिनियम की धारा 35 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

"35-(1) कोई भी जो—

(क) धारा 9 की उपधारा (2) या उपधारा (2-क), या धारा 30 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार विवरण या धारा 38-क की उपधारा (1) के अधीन शपथ-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है, या

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट विवरण देता है या प्रस्तुत करता है क्या दस्तावेज में कोई सूचना देता है जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने के बारे में विश्वास करने का कारण उसके पास है, या

(ग) इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी आदेश का अन्यथा उल्लंघन करता है, या

(घ) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किसी भूमि का कब्जा लेने में किसी व्यक्ति को रुकावट पहुंचाता है, या

(ङ) धारा 5 की उपधारा (8) या धारा 6 की उपधारा (2) के उल्लंघनपूर्वक किसी भूमि का अन्तरण करता है,

तो वह कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकता है या अर्थ-दंड से या दोनों से दंडनीय होगा।

(2) जहां कलेक्टर ने धारा 14 की उपधारा (8) के अधीन किसी अतिरिक्त भूमि पर कब्जा किया है और कोई व्यक्ति तत्पश्चात् किसी विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ऐसी भूमि या उसकेकिसी भाग पर अध्यासन करता है वहां वह व्यक्ति कारावास से ऐसी अवधि के लिये, जो तीन वर्ष तक की हो सकती है, या अर्थ-दंड से या दोनों से दंडनीय होगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति को सिद्ध-दोष ठहराने वाला कोई न्यायालय उस व्यक्ति को सरसरी तौर पर ऐसी भूमि से बेदखल करने के आदेश दे सकता है, और ऐसा व्यक्ति किसी ऐसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसके विरुद्ध की जा सकती है, बेदखल कर दिया जायगा।

(4) उपधारा (2) और (3) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी भूमि का पुनः कब्जा ले सकता है और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो किसी व्यक्ति को जिसका उस पर अध्यासन पाया जाय, बेदखल करने केलिये आवश्यक हो।"

नयी धारा 35-क का बढ़ाया जाना

24—मूल अधिनियम की धारा 35 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ायी जायगी, अर्थात् :—

"35-क—कोई न्यायालय, राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।"

अपराध का संज्ञान

धारा 38 का संशोधन

25—मूल अधिनियम की धारा 38 में, उपधारा (2) में, शब्द "किसी व्यवहार न्यायाधीश (सिविल जज)" के स्थान पर शब्द "किसी अपर जिला न्यायाधीश, व्यवहार न्यायाधीश या अपर व्यवहार न्यायाधीश" रखे जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे।

नई धारा 38-क और 38-ख का बढ़ाया जाना

26—मूल अधिनियम की धारा 38 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ाई जायेगी, अर्थात् :—

"38 क-(1) जहां नियत प्राधिकारी या अपील न्यायालय इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रवर्तन के लिये आवश्यक समझे, वहां वह इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही में किसी प्रक्रम, पर किसी खातेदार से अपेक्षा कर सकता है कि वह अपने या अपने परिवार के सदस्यों द्वारा धृत भूमि के सम्बन्ध में ऐसा विवरण, जैसा नियत किया जाय, शपथ-पत्र द्वारा प्रस्तुत करे।

खातेदार से भूमि का विवरण मांगने की शक्ति।

(2) खातेदार की अतिरिक्त भूमि के अवधारणार्थ उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत भूमि के विवरण पर विचार किया जा सकता है।

38-ख—इस अधिनियम द्वारा नियंत्रित किसी विषय के सम्बन्ध में किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकारी द्वारा किसी कार्यवाही में या किसी वादपद पर (जिसके अन्तर्गत कोई आदेश, डिक्री या निर्णय भी है) इस धारा के प्रारम्भ के पूर्व दिये गये किसी निष्कर्ष या विनिश्चय से इस अधिनियम के अधीन ऐसी कार्यवाही या वादपद पर समय-समय पर यथासंशोधित इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार पुनः विचारण में कोई रुकावट न होगी।"

पूर्वन्याय का वर्जन

धारा 40 का संशोधन

27—मूल अधिनियम की धारा 40 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जायगी, अर्थात्:—

"40—यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार को कोई धनराशि देय हो तो उसे वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्याय 3 के अधीन ऐसे व्यक्ति को देय राशि से, यदि कोई हो, काट कर या मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूल किया जा सकता है।"

धारा 41 का संशोधन

28—मूल अधिनियम की धारा 41 में, शब्द "प्रतिकर की धनराशि" के स्थान पर शब्द "राशि" रख जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा।

धारा 44 का संशोधन

29—मूल अधिनियम की धारा 44 में—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जायगी, अर्थात् :—

"(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।";

(ख) उपधारा (2) में, खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ाया जायगा, अर्थात् :—

"(खख) शर्तें जो धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन भूमि का अन्तरण करने की अनुज्ञा देने से संबंधित हो;";

(ग) उपधारा (3) निकाल दी जायगी।

30—मूल अधिनियम की अनुसूची में— अनुसूची का संशोधन

(क) भाग 1 में, द्वितीय स्तम्भ में—

(i) मद (क) के सामने शब्द "अथवा देय मालगुजारी का अस्सी गुना, इसमें जो भी अधिक हो," निकाल दिये जायेंगे और सदैव से निकाले गये समझे जायेंगे ;

(ii) मद (ख) के सामने, शब्द "प्रतिकर की धनराशि", जहां कहीं भी आये हों, उनके स्थान पर शब्द "राशि" रखा जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा ;

(iii) मद (घ) में, शब्द "गांव समाज" के स्थान पर शब्द "गांव सभा" रखा जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा ;

(iv) मद (ङ) के सामने, शब्द "प्रतिकर की धनराशि", जहां कहीं भी आये हों, उनके स्थान पर शब्द "राशि" रखा जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा,

(ख) भाग 3 में—

(i) मद (क) में, शब्द "प्रतिकर" जहां कहीं भी आया हो, उसके स्थान पर शब्द "राशि" रखा जायगा ; "

(ii) मद (ख) के स्थान पर निम्नलिखित मद रखी जायगी और सदैव से रखी गयी समझी जायगी अर्थात् :—

"(ख) धारा 3 के खंड (9) में उल्लिखित सरकारी पट्टेदार के शिकमी पट्टेदार को देय राशि उस राशि का 7/8 भाग होगी, जिसकी गणना ऊपर दी हुई मद (क) के अनुसार की गई हो, और शेष राशि संबद्ध सरकारी पट्टेदार को दी जायगी ; ";

(ग) भाग 4 में—

(i) मद (क) के नीचे टिप्पणी के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पणी रखी जायगी और सदैव से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात् :—

"टिप्पणी—इमारत की राशि के अन्तर्गत उस भूमि की राशि भी होगी जिस पर इमारत स्थित हो । " ;

(ii) मद (ग) में—

(1) उपमद (1) के नीचे की टिप्पणी निकाल दी जायगी और सदैव से निकाली गयी समझी जायगी ;

(2) उपमद (3) के सामने द्वितीय स्तम्भ की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायगी और सदैव से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात् :—

"ऐसे वृक्षों के वार्षिक उचित औसत मूल्य का आठ गुना" ;

(3) उपमद (3) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ाया जायगा और सदैव से बढ़ाया गया समझा जायेगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण—मद (ग) के प्रयोजनार्थ, किसी वृक्ष के सम्बन्ध में पद 'औसत मूल्य' का तात्पर्य ऐसे वृक्ष से होने वाले बीस वर्ष के लाभ के अंकगणितीय औसत से है । "

संक्रमण कालीन उपबन्ध

31—(1) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1976 के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व यथा विद्यमान मूल अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (3) से (7) के अधीन सभी कार्यवाहियां जो ऐसे प्रारम्भ होने के दिनांक के ठीक पूर्व किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन हों, ऐसे दिनांक को उपशमित समझी जायेगी । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11, 1976

(2) यदि मूल अधिनियम के अधीन किसी खातेदार के संबंध में अतिरक्त भूमि अवधारित करने का आदेश दिनांक 17 जनवरी, 1975 के पूर्व दिया गया हो और नियत प्राधिकारी से उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत–सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 9 के अधीन अतिरिक्त भूमि का पुन: अवधारण करने की अपेक्षा की जाय तो उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 की धारा 19 की उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत और 10 अक्तूबर, 1975 के ठीक पूर्व विचाराधीन मूल अधिनियम की धारा 13 के अधीन प्रत्येक अपील या ऐसी अपील के सम्बन्ध में अन्य कार्यवाहियां उक्त दिनांक को उपशमित समझी जायेंगी । उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, 1975 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1973

(3) यदि 10 अक्टूबर, 1975 के पूर्व मूल अधिनियम के अधीन किसी खातेदार के सम्बन्ध में अतिरिक्त भूमि का अवधारण करने का आदेश दिया गया,हो तो चाहे ऐसे आदेश के विरुद्ध कोई अपील प्रस्तुत की गयी हो या नहीं और अतिरिक्त भूमि के अवधारण के मूल आदेश के विरुद्ध किसी अपील के होते हुए भी (चाहे वह विचाराधीन हो या निर्णीत हो), नियत प्राधिकारी (जैसा कि मूल अधिनियम में परिभाषित है) उक्त दिनांक से दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी समय, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अनुसार अतिरिक्त भूमि का पुन: अवधारण कर सकता है ।

(4) इस धारा की उपधारा (3) के अधीन या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत–सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 9 के अधीन अतिरिक्त भूमि का पुन: अवधारण करने के प्रत्येक आदेश के सम्बन्ध में मूल अधिनियम की धारा 13 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत–सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 9 में निर्दिष्ट आदेश के विरुद्ध अपील की दशा में, तीस दिन की अवधि की गणना ऐसे आदेश के दिनांक से या 10 अक्तूबर, 1975 से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, की जायेगी ।

(5) मूल अधिनियम की धारा 13-क के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तन सहित, इस धारा के अधीन या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत–सीमा आरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 9 के अधीन अतिरिक्त भूमि के प्रत्येक पुन: अवधारण पर लागू होंगे ।

(6) यदि कोई निर्धारण सूची 16 फरवरी, 1976 के पूर्व धारा 21 की उपधारा (4) के अधीन अन्तिम हो गयी हो, तो इस अधिनियम द्वारा, अनुसूची के साथ पठित मूल अधिनियम के अध्याय 3 में किये गये किसी संशोधन के होते हुए भी, उस पर पुन: विचार नहीं किया जायगा ।

निरसन और अपवाद

32—(1) उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत–सीमा आरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11, 1976

(2) ऐसे निरसन या 1976 के उपर्युक्त अध्यादेश द्वारा उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1975 के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेशों द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के तदनुरूप उपबंधों के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

श्री कमला प्रसाद वर्मा—

श्रीमन्, मैं कई बार खड़ा हुआ, आपने मुझे इस पर बोलने का अवसर नहीं दिया, इसलिये मैं आज के लिये सदन का त्याग करता हूं।

(श्री कमला प्रसाद वर्मा सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड 2 से 32, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री वीर बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास विधेयक, 1976†

भारी उद्योग राज्य मंत्री (श्री अजीजुर्रहमान)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह हमारा उत्तर प्रदेश राम और लक्ष्मण का देश है जिसके पीछे हजारों साल की तवारीख है और जिसका नाम अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बहुत बड़ा है। बदले हुए हिन्दुस्तान और बढ़ते हुए हिन्दुस्तान के अन्य प्रदेशों में इसके बारे में यह खयाल है कि उद्योग में यह बदकिस्मती से पिछड़ा हुआ है। मुझे बहुत खुशी होती है कि इस बिल के द्वारा इस सदन को मैं एक ऐसी सूचना दे रहा हूं, एक ऐसी खुशहाली की खबर दे रहा हूं जो यह जाहिर करता है कि उत्तर प्रदेश अब सनअत की तरक्की के रास्ते पर है। इस विधेयक के द्वारा जो कदम उठाया जा रहा है वह इस दिशा में बहुत बड़ा कदम है।

मान्यवर, इस वक्त देहली में जो उद्योगों का कान्सेन्ट्रेशन है, वहां ऐसी स्थिति पदा होती जा ही है कि अन्य उद्योग वहां से निकलने की जरूरत समझते हैं और हमको इस वक्त यह मौका हुआ कि हम इस पर विचार करें कि देहली के बिलकुल करीब या यमुना के इस किनारे एक ऐसी टाउनशिप कायम करें जिसमें वे सारी इकाइयां इधर को आ जायेंगी। मैं समझता हूं कि उनकी संख्या करीब 10–15 हजार के दरमियान होंगी। और अगर वे इधर आ जायेंगी तो हमारे प्रदेश में जो कारोबार उनका है उसमें 50 हजार आदमियों को रोजगार मिल सकेगा। जाहिर है कि इससे हर किस्म के सनअत की तरक्की के दरवाजे खुले रहेंगे और हमारे सनअत की काफी तरक्की होगी। तो इस कार्यवाही के लिये ताकि जल्द से

†30 मार्च, 1976 की कार्यवाही में छपा है।

[श्री अजीजुर्रहमान]

जल्द यह काम हो सके, हमें एक ऐसी एजेंसी की जरूरत हुई—जैसे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का काम है, मुख्तलिफ बस्तियों में, उनके इम्प्रूवमेंट के लिये हमारे सामने सवाल आया कि एक ऐसी एजेंसी कायम करें जो इंडस्ट्रीज ओरिएंटेड हो और वह इसका इन्तजाम करे और उन इकाइयों के लिये वहां हर तरह की सुविधा का प्रबन्ध किया जाय। मसलन, सड़कों का बनाना, बिजली का प्रबन्ध, सिवरेज तथा वाटर वर्क्स, इस तरह से एक इनका स्ट्रेक्चर हो जिससे वहां वे लोग आकर काम करना शुरू कर दें। इसीलिये मैं यह बिल पेश कर रहा हूं और इस सदन से दरख्वास्त करता हूं कि वह इस पर विचार करके इसे पारित करेगा तो यह एक बहुत बड़ा कदम होगा।

इसकी धारा 3 के अनुसार हम वह एजेंसी कायम कर रहे हैं जिसका नाम होगा औद्योगिक विकास प्राधिकारी। इसकी धारा 1 के मुताबिक ऐसा होगा कि उत्तर प्रदेश की मुख्तलिफ जगहों पर जब कोई ऐसी जरूरत पेश आये तो हम इसके द्वारा नोटिफिकेशन करेंगे और उस क्षेत्र में ऐसी अथारिटी कायम कर देंगे। इस वक्त इस अथारिटी की हमें फौरी जरूरत महसूस हुई कि न्यू ओस्ला में जो बुलन्दशहर के सिकन्दराबाद तहसील में है, वहां एक औद्योगिकी बस्ती कायम की जाय। और उसके कायम होने के बाद हमारा रेवेन्यू ज्यादा होगा, टैक्स भी बढ़ सकेगा और हर किस्म की सुविधायें इंडस्ट्रीज के लिये काफी हो जायेंगी। हम जो अथारिटी कायम कर रहे हैं, इस ऐक्ट की धारा 3 के अनुसार उसका बोर्ड 11 सदस्यों का होगा। जिसमें कि उद्योग सचिव इसके चेयरमैन होंगे और सार्वजनिक निर्माण विभाग, स्वायत्त शासन विभाग और वित्त विभाग के सेक्रेटरीज इसके सदस्य होंगे। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन के मैनेजिंग डाइरेक्टर भी इसके सदस्य होंगे और 5 सदस्य हम नामिनेट करेंगे सरकार की तरफ से। विधेयक के अनुसार एक चीफ इक्जिक्यूटिव आफीसर का ओहदा हम कायम कर रहे हैं जो इसका मेम्बर सेक्रेटरी होगा। इस अथारिटी का काम यह होगा कि यह लैंड हासिल करे। प्लाटिंग करे तथा जमीन को लीज पर दे और वहां पर जो लोग उद्योग लगाने आयेंगे उनको बेचे और वहां पर उनके लिये मुख्तलिफ सुविधायें कायम करे। इसके अलावा यह मुकर्रर करे कि कौन एरिया किस परपज के लिये ऐलाट रहेगा। बिल्डिंग के लिये होगा या किसी और चीज के लिये तो इन सब बातों के तय करने के लिये हम इसको रख रहे हैं। उसी पैटर्न पर जैसे कि हम इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की एजेंसियों को कायम करते हैं, उनके डिटेल इन तमाम धाराओं में सदन के सामने हैं, इस पर विचार करें यही मेरी दरख्वास्त है। यह काम जो इस बिल के द्वारा हम कर रहे हैं, ऐसा है जो हिन्दुस्तान की किसी स्टेट में इस पैटर्न पर काम नहीं हुआ है। और इस तरह से हमारे प्रदेश के मुख्तलिक कोनों में, क्षेत्रों में उद्योग कायम हो गये तो इससे बहुत फयादा होगा। इसी दरख्वास्त के साथ मैं सदन से दरख्वास्त करूंगा कि इस पर विचार करेंगे।

*श्री रेवती रमण सिंह (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास विधेयक, 1976 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जो अपना प्रतिवेदन 15 दिन में सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश हमारे हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है। लेकिन 26–27 वर्ष हो गये पहली बार यह बिल लाया जा रहा है जिसका कि हम स्वागत करते हैं। लेकिन मान्यवर, इसमें बहुत सी कमियां हैं, हम चाहते हैं कि मंत्री जी इसमें संशोधन कर लें और इसको प्रवर समिति में भेजें जिससे कि इस पर पूरी तरह से बहस हो तब इसको कार्यरूप में लाया जाय। 27 साल में हमारे पास के तमाम प्रदेश जैसे हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र में औद्योगिक विकास के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से ज्यादा विकास हुआ है। वैसे इस प्रदेश के बड़े-बड़े नेता हुए

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन जहां तक औद्योगिक विकास का सवाल है यह प्रदेश इस समय हिन्दुस्तान में पिछड़ेपन में चौथा या पांचवां स्थान रखाता है और जिस समय आजादी मिली थी उस समय उत्तर प्रदेश पूरे हिन्दुस्तान में सबसे ऊपर तीसरा या चौथा स्थान रखता था। जाहिर है कि 27 सालों में बावजूद तरक्की के औद्योगिक विकास में पिछ ा हुआ है। मन्त्री जी ने 27 सालों में यह-यह बिल पेश किया है जो तवज्जह इन्डस्ट्रियल मामलों की तरफ ध्यान देता है।

गाजियाबाद, इलाहाबाद में नैनी, झांसी और वाराणसी आदि जहां कई जगह औद्योगिक प्रतिष्ठान खोले गए हैं लेकिन उनका जो विकास हुआ ह वह एक संस्तुति ढंग से नहीं हुआ है और न इस बिल में ही उसका जिक्र किया गया है कि वह बुलन्दशहर में, ओखला में जो खोल रहे हैं वैसा ही बोर्ड और जगहों पर जल्द ही लागू होंगे। नैनी में या और जगहों पर जो ब ी-बड़ी इन्डस्ट्री लगी हैं जहां कालोनी और बाजार ठीक ढंग से नहीं बने हुए हैं। छोटे-छोटे मजदूरों को रहने के लिए जो बस्तियां बनायी गयी हैं उनमें एक-एक कमरे में 8-10 मजदूर रहते हैं जिनको गुजर करना मुश्किल होता है। खाने-पीने का सामान नहीं मिलता है। सीवर आदि तमाम चीजों की दिक्कत हैं। वहां इन्डस्ट्रिएलाइजेशन होता जा रहा है और उसके साथ ही साथ उनकी दिक्कतें बढ़ती जा रही है। यहां अन्य प्रदेशों के मुकाबले खेती पर लोग ज्यादा निर्भर हैं इसलिए जब तक तेजी से औद्योगिक विकास नहीं किया जाएगा जैसा कि पंजाब और महाराष्ट्र में हो रहा है तब तक आने वाले समय में हमारा जीवन स्तर ऊपर उठने के बजाए पीछे होता जाएगा।

इसलिए मैं चाहूंगा कि उसमें कुछ प्राविधान और कर दें। हरिजनों को भी कुछ सीटें रिजर्व कर दें। मेम्बरों में भी 2-1 मेम्बर हरिजन के होने चाहिए। पूरे उत्तर प्रदेश में जितना औद्योगिक विकास हो रहा है वह इतना धीमा है कि 1980 तक कहीं इलाहाबाद में खोलेंगे। इसलिए दूसरे प्रदेशों के उद्योगपति यहां आना नहीं चाहते हैं। गुप्ता जी के समय में जितने उद्योग धन्धे खुले उतने अभी तक यहां नहीं खुले हैं। कोई भी नई गवर्नमेन्ट की इन्डस्ट्री तो यहां आ जाती है लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लोग यहां पर आना नहीं चाहते हैं। जो सुविधाएं आप उनको देते हैं जिनका जिक्र आपने इस बिल में किया है उससे जाहिर है कि आपके प्रदेश में नई पूंजी नहीं लगने जा रही है या जो लगी है वह बहुत कम है। आज बोर्ड जो बना रहे हैं उसके ज्वाइन्ट सेक्रेटरी चेयरमैन हैं। तो चेयरमैन को विधान सभा से ही इतना समय नहीं मिल पाएगा कि उसके काम को वह देख सकें।

मेरा आपसे अनुरोध है कि उसका चेयरमैन किसी नान-आफिशियल फुल टाइम आदमी को बनाएं जो उसमें समय दे सके। आपका बोर्ड देखने से यह लगता है कि तमाम आफिस उसमें भर दिए गए हैं। चार-पांच आदमी उसके नान आफिशियल मेम्बर होंगे जो बाहर से नामजद करेंगे। बाकी सब विभागीय लोग उसको संचालित करेंगे। आप इस बोर्ड को ऐसा रूप दें जैसे कि नगर महापालिका में होती है और वैसे ही इसको अधिकार भी दें यह भी प्राविधान कर दें कि जो मकान बन चुके हैं उसके आने से पहले तो वह भी उसके अन्तर्गत आ जाएं जिससे उनमें सुधार हो सके। इसके अतिरिक्त मेरा यह भी निवेदन है कि जिस औद्योगिक क्षेत्र में डेवलपमेन्ट बोर्ड खुले तो उसके अगल-बगल का दो-चार मील का एरिया अपने तहत में ले लें जिससे कि वहां जो भी फ्युचर में डेवलपमेन्ट हो वह प्लान्ड वे में हो। इसको अगर आप जल्दबाजी में पास करा लेंगे तो इसमें बहुत सी खामियां रह जाएंगी। इसलिए इसको प्रवर समिति को भेज दें वहां इसके सारे पहलुओं पर विचार हो जाय।

श्री अजीजुर्रहमान--

मैं माननीय सदस्य का अनुगृहीत हूं कि उन्होंने अपने अच्छे सुझाव दिए। जैसा यह खुद कह रहे हैं कि यह हकीकत है कि हमारा प्रदेश उद्योग में पिछड़ा हुआ है और यह भी हकीकत ह कि इस मामले में हम ज्यादा इन्तजार करने वाले नहीं हैं। जो कुछ करना है वह तेजी से क ना है, मैंने जिस क्षेत्र का जिक्र किया सिकन्दराबाद तहसील का वह

[श्री अजीजुर्रहमान]

हम 40 गांव का नोटिफिकेशन कर चुके हैं और पूरे डिटेल हो चुके हैं । जैसा कि माननीय सदस्य का सुझाव है कि कुछ और वक्त दिया जाय और इसको सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय तो इसका मतलब होगा कि एक दो महीने का अर्सा और बढ़ जायगा जिसमें हमारा बहुत नुकसान होगा क्योंकि हम इस काम को बरसात के पहले निपटाना जरूरी समझते हैं।

जैसा कि हम अर्ज कर रहे थे स्थिति यह है कि दिल्ली की इकाइयां उठने वाली हैं और वे कहां जाने वाली हैं उस जगह का हम प्रबन्ध कर रहे हैं। हमारी दरख्वास्त है कि वह इस बात को सामने रखें और इसका पेशेनजर रखते हुए इस बात का इसरार न करें कि इसको सलेक्ट कमेटी में भेजा जाय। दूसरी बात यह है कि जो सुझाव पेश किए गए हैं उनके मुताबिक सबसे पहली बात तो यह है कि वे यकीन रखें कि इसकी धारायें और पैटर्न ऐसा है जिससे इस बात की जरूरत नहीं है कि हम उसमें तब्दीली करें। यह तो एक तजुर्बा है दुनियां का और ये सभी चीजें तो स्टैण्डर्डाइज्ड हो चुकी हैं और उसको जरूरत के वक्त इस्तेमाल किया जाता है जैसा कि मैंने इसका मशविदा पेश किया है। उन्होंने कहा कि बोर्ड में ऐसे आफिसर्स रखे गए हैं जो कि सेक्रेटरी लेबिल के हैं और वे क्या करेंगे क्योंकि वे तो खुद यहां कामों में लगे रहते हैं। उनको इसलिए रखा गया है कि इन्फा स्ट्रक्चर काम करने का ऐसा है कि बिजली और सड़कों का मामला है उसको इस लेवल में टैकिल किया जाय क्योंकि वे लोग खुद ही इसमें शामिल हैं और आसानी के साथ वे इस काम को कर सकेंगे और इसमें देर नहीं होगी। ऐसा भी नहीं है कि इसमें सारे आफिशल मेम्बर्स ही रखे गए हैं। इसमें 5 नान आफिशल मेम्बर भी हो सकते हैं जो कि नामिनेटेड होंगे। यह कहा गया कि हरिजनों का भी मेम्बर बनाना चाहिए। हरिजन मेम्बर होने या न होने का कोई सवाल नहीं है। गवर्नमेन्ट हरिजन मेम्बरों को भी नामिनेट कर सकती है। इसी के साथ यह दरख्वास्त है कि माननीय सदस्य अपने इस संशोधन को वापस ले लें।

श्री रेवती रमण सिंह--

मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास विधेयक, 1976 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द करने से सम्बन्धित संशोधन को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 से 19, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास विधेयक, 1976

राज्य में कतिपय क्षेत्रों के औद्योगिक और पौर क्षेत्र के रूप में विकास करने के लिए प्राधिकारी का गठन करने और उससे सम्बन्धित विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 कहा जाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

2—इस अधिनियम में — परिभाषाएं

(क) "सुविधा", के अन्तर्गत सड़क, जल-सम्भरण, सड़क पर रोशनी, विद्युत् सम्भरण सीवर व्यवस्था, जलोत्सारण, औद्यागिक उच्छिष्ट पदार्थ और नगर के कूड़ा करकट का संग्रह, शोधन और निस्तारण और ऐसा अन्य सामुदायिक सौकर्य, सेवा या सुविधा है जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुविधा के रूप में विनिर्दिष्ट करे ;

(ख) "प्राधिकारी" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकारी है ;

(ग) "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन नियुक्त अधिकारी से है ;

(घ) "औद्योगिक विकास क्षेत्र" का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसा क्षेत्र घोषित करे ;

(ङ) "अध्यासी" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है (जिसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, सम्मलित है) जिसके अध्यासन में औद्योगिक विकास क्षेत्र के भीतर कोई स्थल या भवन है और 'अध्यासी' के अन्तर्गत उसका उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी है ;

(च) "अन्तरिती" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है (जिसमें कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य निकाय चाहे निगमित हो या नही भी, सम्मिलित है) जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी भी रीति से भूमि या भवन अन्तरित किया जाय और 'अन्तरिती' के अन्तर्गत उसका उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी है ;

(छ) शब्द और पदावलि "भवन", "विकास", "भवन के परिनिर्माण" और "भूमि" के वही अर्थ होंगे या उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, 1975 में उनके लिए दिए गए हैं।

3—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों प्राधिकारी का के लिए, किसी औद्योगिक विकास क्षेत्र के लिए प्राधिकारी का गठन कर सकती है, गठन "जिसे (क्षेत्र का नाम) औद्योगिक विकास प्राधिकारी" कहा जाएगा।

(2) प्राधिकारी एक निगमित निकाय होगा।

(3) प्राधिकारी में निम्नलिखित होंगे :—

(क) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, उद्योग विभाग या उनका नामांकिती जो संयुक्त सचिव के पद के नीचे का न हो—पदेन	सदस्य-अध्यक्ष
(ख) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, सार्वजनिक निर्माण विभाग या उनका नामांकिती जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो—पदेन	सदस्य
(ग) सचिव उत्तर प्रदेश सरकार स्वायत्त शासन विभाग या उनका नामांकिती जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो—पदेन	सदस्य
(घ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग या उनका नामांकिती जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो—पदेन	सदस्य

(ङ) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम—पदेन .. .. सदस्य

(च) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा नामनिर्दिष्ट पांच सदस्य .. .. सदस्य

*(छ) मुख्य कार्यपालक अधिकारी .. सदस्य-सचिव

(4) प्राधिकारी का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचित करे।

(5) प्राधिकारी के बैठक के संचालन की प्रक्रिया ऐसी होगी, जैसी विहित की जाय।

(6) प्राधिकारी का कोई कार्य या कार्यवाही प्राधिकारी में किसी रिक्ति के होने से या उसके गठन में किसी त्रुटि के होने से अविधिमान्य न होंगी।

मुख्य कार्यपालिक अधिकारी

4—(1) प्राधिकारी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा और वह प्राधिकारी का एक पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

(2) मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्राधिकारी की निधि से ऐसा वेतन और भत्ता पाने का हकदार होगा और सेवा की ऐसी शर्तों द्वारा नियन्त्रित होगा जैसी राज्य सरकार के इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित की जाएं।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जैसा विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाय या प्राधिकारी द्वारा उसे प्रतिनिहित किया जाय।

प्राधिकारी के कर्मचारिवृन्द

5—(1) ऐसे नियन्त्रण और निर्बन्धन के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किए जायं, प्राधिकारी उतने अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकता है जितने उसके कृत्य के निष्पादन के लिए आवश्यक हों, और उनकी श्रेणी और पदाविधान अवधारित कर सकता है।

(2) उपर्युक्त के अधीन रहते हुए प्राधिकारी के अधिकारी और कर्मचारी प्राधिकारी की निधि से ऐसा वेतन और भत्ता पाने के हकदार होंगे और सेवा की ऐसी अन्य शर्तों द्वारा नियन्त्रित होंगे जिस पर प्राधिकारी के साथ सहमति हो।

प्राधिकारी के कृत्य

6—(1) प्राधिकारी का उद्देश्य औद्योगिक विकास क्षेत्रों का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना होगा।

(2) प्राधिकारी के उद्देश्य की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकारी निम्नलिखित कृत्यों का निष्पादन करेगा :—

(क) औद्योगिक विकास क्षेत्र में, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए करार द्वारा या भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन कार्यवाही के माध्यम से, भूमि अर्जित करना ;

(ख) औद्योगिक विकास क्षेत्र के विकास के लिए योजना तैयार करना;

(ग) योजना के अनुसार औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय प्रयोजनों के लिए स्थलों का सीमांकन और विकास करना;

(घ) औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय प्रयोजनों के लिए अनुरचना की व्यवस्था करना ;

(ङ) सुविधा की व्यवस्था करना;

(च) औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजनों के लिए प्लाट का विक्रय या पट्टा द्वारा या अन्य प्रकार से आवंटन और अन्तरण करना ;

(छ) भवनों के परिनिर्माण और उद्योगों की स्थापना को विनियमित करना ; और

(ज) उस प्रयोजन को अर्थात् ऐसे क्षेत्र में औद्योगिक या वाणिज्यिक या आवासीय प्रयोजन या किसी अन्य विनिर्दिष्ट प्रयोजन को निर्धारित करना जिसके लिए किसी विशिष्ट स्थल या प्लाट का उपयोग किया जायगा।

भूमि के अन्तरण के सम्बन्ध में प्राधिकारी की शक्ति

7—प्राधिकारी औद्योगिक विकास क्षेत्र में, प्राधिकारी को किसी भूमि या भवन को ऐसे निर्बन्धनों और शर्तों पर, जिन्हें वह इस अधिनियम के अधीन बनाए जाने वाले किसी नियम के अधीन रहते हुए, आरोपित करना उचित समझे, नीलाम, आबंटन या अन्य प्रकार से, बेच सकता है, पट्टे पर दे सकता है या अन्य प्रकार से अन्तरित कर सकता है।

भवन के परिनिर्माण के सम्बन्ध में निदेश निर्गत करने की शक्ति

8—(1) औद्योगिक विकास क्षेत्र के समुचित नियोजन और विकास के प्रयोजनों के लिए प्राधिकारी निम्नलिखित के सम्बन्ध में ऐसे निदेश निर्गत कर सकता है जिसे वह आवश्यक समझे —

(क) किसी भवन के उत्सेध या अग्र भाग का स्थापत्य स्वरूप ;

(ख) किसी स्थल के भवनों का संरेखण;

(ग) भवनों में और उनके आस पास रखे जाने वाले खुले स्थानों के बारे में और भवनों की ऊंचाई और उनके स्वरूप के बारे में निर्बन्धन और शर्तें ;

(घ) किसी स्थल पर परिनिर्मित किए जा सकने वाले आवासीय भवनों की संख्या ;

(ङ) दुकानों, कर्मशालाओं, गोदामों, कारखानों या भवनों के परिनिर्माण का विनियमन ;

(च) दीवाल, घेरा, बाड़ा या किसी अन्य रचना या स्थापत्य निर्माण की ऊंचाई और स्थिति का अनुरक्षण ;

(छ) सुविधा का अनुरक्षण ;

(ज) जिस प्रयोजन के लिए स्थल आवंटित किया गया है उससे भिन्न प्रयोजन के लिए उसका उपयोग करने पर निर्बन्धन ;

(झ)—(1) उच्छिष्ट जल की समुचित निकासी,

(2) औद्योगिक उच्छिष्ट पदार्थ के समुचित निस्तारण, और

(3) नगर के कूड़ा-करकट के समुचित निस्तारण की व्यवस्था किए जाने वाले साधन।

(2) प्रत्येक अन्तरिती उपधारा (1) के अधीन निर्गत निदेशों का पालन करेगा और यथाशक्यशीघ्र किसी भवन का परिनिर्माण करेगा या ऐसे अन्य कदम उठाएगा जो ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए आवश्यक हों।

विनियमों का उल्लघन करके भवनों के परिनिर्माण पर रोक

9—(1) कोई व्यक्ति, उपधारा (2) के अधीन बनाए गए किसी भवन सम्बन्धी विनियम का उल्लंघन करके औद्योगिक विकास क्षेत्र में किसी भवन का परिनिर्माण या अध्यासन नहीं करेगा।

(2) प्राधिकारी, अधिसूचना द्वारा और राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से भवनों के परिनिर्माण को विनियमित करने के लिए विनियम बना सकता है

और ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् :—

(क) किसी भवन की बाह्य और विभाजक दीवाल, छत, फर्श और अन्य भाग के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री और उनकी स्थिति या अवस्थिति या निर्माण की रीति ;

(ख) भवन की विन्यास योजना चाहे वह औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय हो ;

(ग) आवास या रसोईघर के प्रयोजनार्थ उपयोग के लिए आशयित किसी भवन की छत और फर्श की ऊंचाई और ढाल ;

(घ) वायु संचालन को सुनिश्चित करने और अग्नि से रोक-थाम के लिए किसी भवन या उसके भाग में वातायन या उसके पास छोड़ी जाने वाली जगह ;

(ङ) किसी भवन की मंजिलों की संख्या और उनकी ऊंचाई ;

(च) किसी भवन में प्रवेश और उससे निर्गम की व्यवस्था हेतु साधन ;

(छ) रहने के कमरे और सोने के कमरे के रूप में उपयोग के लिए आशयित कमरों की न्यूनतम लम्बाई-चौड़ाई और वातायन की व्यवस्था ;

(ज) भवनों के परिनिर्माण, समापन और अध्यासन के समुचित विनियमन को अग्रसर करने के लिए कोई अन्य विषय ;

(झ) प्रमाण-पत्र जो योजना, संशोधित योजना और समापन आख्या को प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक और आनुषंगिक हों।

स्थल या भवन का समुचित अनुरक्षण करने की अपेक्षा करने की शक्ति

10—यदि प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि किसी स्थल या भवन की दशा या उपयोग से औद्योगिक विकास क्षेत्र के किसी भाग के समुचित आयोजन पर या सुविधा पर या वहां सामान्य जनता के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है या पड़ने की सम्भावना है तो वह उस स्थल या भवन के अन्तरिती या अध्यासी पर नोटिस तामील कर सकता है जिसमें उससे यह अपेक्षा करेगा कि वह ऐसी कार्यवाही ऐसी अवधि के भीतर करे जैसी नोटिस में विनिर्दिष्ट हो और उसके पश्चात् उसका अनुरक्षण ऐसी रीति से करे जैसी उसमें विनिर्दिष्ट हो और यदि उसके पश्चात् ऐसा अन्तरिती अध्यासी ऐसी कार्यवाही करने या उसका अनुरक्षण करने में असफल रहता है तो प्राधिकारी स्वयं ऐसी कार्यवाही कर सकता है या या उसका अनुरक्षण कर सकता है और उस पर उपगत व्यय ऐसे अन्तरिती या अध्यासी से वसूल कर सकता है।

कर का उद्ग्रहण

11—(1) औद्योगिक विकास क्षेत्र में, किसी सुविधा की व्यवस्था करने अनुरक्षण करने, उसे जारी रखने, प्रयोजनों के लिए, प्राधिकारी राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे कर का उद्ग्रहण, जिसे वह किसी स्थल या भवन के सम्बन्ध में आवश्यक समझे, उसके अन्तरिती या अध्यासी से कर सकता है, परन्तु ऐसे कर का कुल भार ऐसे स्थल या भवन के वार्षिक मूल्य के पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में, पदावलि "वार्षिक मूल्य" का वही अर्थ होगा जो उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 174 में दिया है।

(2) यदि राज्य सरकार, लोक-हित में आवश्यक या समीचीन समझे तो वह सामान्य या विशेष आदेश द्वारा किसी ऐसे अन्तरिती या अध्यासीय उसके किसी श्रेणी को उपधारा (1) के अधीन उद्गृहीत कर से पूर्णतः या अंशतः मुक्त कर सकती है।

12—उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुनः अधिनियमित और परिष्कृत उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अध्याय 6 और धारा 30, 32, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53 और 58 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तन सहित, प्राधिकारी पर इस अनुकूलन के साथ लागू होंगे कि — राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11, 1973 के कतिपय उपबन्धों का लागू होना

(क) उपर्युक्त अधिनियम के प्रवृत किसी निर्देश को इस अधिनियम के प्रति निर्देश समझा जायगा ;

(ख) उपर्युक्त अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकरण के प्रति किसी निर्देश को इस अधिनियम के अधीन गठित प्राधिकारी के प्रति निर्देश समझा जायगा ; और

(ग) प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के प्रति किसी निर्देश को प्राधिकारी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रति निर्देश समझा जायगा।

13—जहां कोई अन्तरिती किसी प्रतिफल-धन या उसकी किस्त या प्राधिकारी द्वारा, किसी स्थल या भवन के अन्तरण के कारण देय किसी अन्य राशि या किसी पट्टा के सम्बन्ध में प्राधिकारी को देय किसी किराए का भुगतान करने में कोई व्यतिक्रम करता है या जहां कोई अन्तरिती या अध्यासी इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत किसी फीस या कर का भुगतान करने में कोई व्यतिक्रम करता है, वहां मुख्य कार्यपालक अधिकारी यह निदेश दे सकता है कि बकाया राशि के अतिरिक्त, उस राशि से अनधिक धनराशि यथाशक्ति, अन्तरिती या अध्यासी से शास्ति के रूप में वसूली की जायगी। शास्ति का आरोपण और बकाया की वसूली की रीति

14—(1) प्राधिकारी द्वारा किसी स्थल या भवन के अन्तरण के फलस्वरूप प्रतिफल धन या उसके किसी किस्त के अंशदान की स्थिति में ऐसे अन्तरण की किसी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में या इस अधिनियम के अधीन निर्मित किसी नियम या विनियम के उल्लंघन की स्थिति में मुख्य कार्यपालक अधिकारी इस प्रकार अन्तरित स्थल या भवन को पुनः ग्रहण कर सकता है और उसके सम्बन्ध में संदत्त सम्पूर्ण धन या उसके किसी भाग का, यदि कोई हो, समपहरण कर सकता है। अन्तरण की शर्तों के उल्लंघन के लिए समपहरण

(2) जहां मुख्य कार्यपालक अधिकारी उपधारा (1) के अधीन किसी स्थल या भवन के पुनर्ग्रहण का आदेश देता है, वहां कलेक्टर, उसके अधियाचन पर उसका कब्जा उसे दिला सकता है और इस प्रयोजन के लिए ऐसी शक्ति का प्रयोग, कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो।

15—कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियम या विनियमों या धारा 8 के अधीन निर्गत किसी निदेश के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है, सिद्ध-दोष होने पर जुर्माना से जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है, और सतत अपराध की स्थिति में अतिरिक्त जुर्माना से दण्डनीय होगा जो प्रथम अपराध के सिद्ध-दोष होने के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसमें ऐसा अपराध पूर्ववत् जारी रहे, एक सौ रुपए तक हो सकता है। शास्ति

16—मुख्य कार्यपालक अधिकारी किसी व्यक्ति को किसी भूमि या भवन में निम्नलिखित प्रयोजन के लिए सहायता सहित या रहित प्रवेश करने या उसे खोलने का प्राधिकार दे सकता है — प्रवेश आदि की शक्ति

(क) कोई जांच, निरीक्षण, माप या सर्वेक्षण करना या ऐसे भूमि या भवन का दागबेल ;

(ख) निर्माणाधीन कार्य का परीक्षण या सीवर या नाली के मार्ग का पता लगाना ;

(ग) इस बात का पता लगाना कि किसी भवन का परिनिर्माण या पुन : परिनिर्माण स्वीकृति के बिना या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन दी गयी स्वीकृति का उल्लंघन करके किया जा रहा है या किया गया है, और ऐसी नाप लेना और कोई ऐसा कार्य करना जो ऐसे प्रयोजन के लिए आवश्यक हो ;

(घ) कोई अन्य कार्य करना जो इस अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिए आवश्यक हो :

परन्तु —

(1) इस प्रकार का कोई प्रवेश सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बीच के सिवाय और अध्यासी को, या यदि कोई अध्यासी न हो तो भूमि या भवन के स्वामी की, युक्तियुक्त सूचना दिए बिना नहीं किया जायगा ;

(2) प्रत्येक दशा में, महिलाओं को, यदि कोई हों, भूमि या भवन के बाहर चले जाने का पर्याप्त अवसर दिया जायगा ;

(3) जिस भूमि या भवन में प्रवेश करना हो उसके अध्यासियों की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का सदा सम्यक् ध्यान रखा जायगा जहां तक कि उस प्रयोजन की आवश्यकताओं के अनुरूप हो जिसके लिए प्रवेश किया जाता है ।

अधिनियम का अधिभावी प्रभाव

17—किसी क्षेत्र को इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन औद्योगिक विकास क्षेत्र घोषित किए जाने पर, ऐसे क्षेत्र को, यदि वह उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास, अधिनियम, 1973 के अधीन महायोजना या परिक्षेत्रीय विकास योजना, या किसी अन्य उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन किसी अन्य विकास योजना में सम्मिलित हो, ऐसी घोषणा के दिनांक से किसी ऐसी योजना से अलग समझा जायगा ।

नियम बनाने की शक्ति

18—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

विनियम बनाने की शक्ति

19—(1) प्राधिकारी, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, प्राधिकारी के कार्यकलाप के प्रशासन के लिए विनियम बना सकती है जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों से असंगत न हो ।

(2) विशेषत: और पूर्ववर्ती, शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् :—

(क) प्राधिकारी की बैठक बुलाना और करना वह समय और स्थान जब और जहां ऐसी बैठक होगी, ऐसी बैठक में कार्य-संचालन, और उसमें गणपूर्ति के लिए सदस्यों की संख्या जो आवश्यक हो ;

(ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की शक्ति और कर्त्तव्य ;

(ग) भवन के परिनिर्माण की अनुज्ञा के लिए आवेदन-पत्र रजिस्टर का प्रपत्र ;

(घ) प्राधिकारी की सम्पत्तियों का प्रबन्ध;

(ङ) अपने कृत्यों के निर्वहन में उद्ग्रहण की जाने वाली फीस ;

(च) ऐसे अन्य विषय जिनकी विनियम में व्यवस्था की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 19 तक तथा प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अजीजुर्रहमान—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) (निरसन) विधेयक, 1976†

शिक्षा मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) (निरसन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय। 1974 में यू0 पी0 लेजिस्लेचर प्रोसीडिंग्स (प्रोटेक्शन आफ पब्लिकेशन) ऐक्ट पास किया गया था और यह पार्लियामेंटरी प्रोसीडिंग्स प्रोटेक्शन आफ पब्लिकेशन ऐक्ट, 1956 के आधार पर पास किया गया था। अब इसे बदल दिया गया है और लोक सभा में भी इसी तरह का एक ऐक्ट आ गया है। विधान सभा में वैसे टेरिटोरियल जूरिस्डिक्शन में अथवा फ्रीडम आफ स्पीच में कोई रुकावट नहीं है लेकिन यहां से जब हम बाहर जाते हैं तो जो चीजें यहां पर किसी तरह का नुकसान नहीं कर सकती, वहीं बातें बाहर हानिकारक साबित हो सकती हैं। इसलिए यह संशोधन विधेयक लाया गया है ताकि जो बातें यहां आवजेक्शनेबल मैटर में आती हैं, मुल्क की सुरक्षा के खिलाफ हो सकती हैं, व्यक्तिगत बातें हो सकती हैं जिनसे शान्ति व्यवस्था में किसी तरह का कोई खतरा हो सकता है उनके लिए प्रेस को इजाजत नहीं होगी कि पब्लिश कर सके। पार्लियामेंट में भी अगर आप देखेंगे तो वहां भी हाउस में जो स्पीच दी जाती हैं उसे कोई बाहर पब्लिश नहीं करा सकता। हो सकता है उससे किसी दूसरे को नुकसान पहुंच जाय। इस सम्बन्ध में लार्ड एबिंग्टन व लार्ड सिरवीज के केस में अदालत ने इस बात के लिए सजा दी कि उन्होंने हाउस में कुछ बातें किसी के विरुद्ध कहीं उनको बाहर जा कर पब्लिश किया जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचा। इन शब्दों के साथ मैं यह आशा करता हूं कि सदन इस संशोधन विधेयक पर विचार करेगा और फिर पास करेगा।

*श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)—

मैं अपना संशोधन इस प्रकार पेश करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) (निरसन) विधेयक, 1976 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जो अपना प्रतिवेदन 15 दिन में सदन में प्रस्तुत करे। इसे साधारण बिल कहा जा रहा है जबकि यह असाधारण बिल है, यह काला बिल भी है। सरकार जब इसको पहले लाई थी तो इसके पक्ष में बहुत सी बातें कही गयी थीं जैसे प्रेस को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है ताकि सारी बातें जनता के बीच में बाहर जा सकें। आज दुबारा यह सुविधायें, यह संरक्षण वापस लिए जा रहे हैं। बहुत दुख और खेद का विषय है कि एक-एक करके जितनी भी सुविधायें और अधिकार जनता के प्रतिनिधियों को और प्रेस वालों को प्राप्त हैं, वह सब वापस लिए जा रहे हैं। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात और कोई नहीं हो सकती है।

---

†30 मार्च, 1976 की कार्यवाही में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सत्य प्रकाश]

लोकतन्त्र के लिए इससे बड़ा कलंक और हो ही नहीं सकता है। आज जनता की मांग है कि जो कुछ भी हमारे प्रतिनिधि कहते हैं उसका प्रकाशन नहीं होता है। हमको उसके बारे में पता नहीं चलता है। इसलिए बार-बार इस बात की मांग की जा रही है कि लोक सभा में भी और विधान सभा में भी कि यह जो प्रकाशन की सुविधाये थीं उनको और बढ़ाया जाय, उनको घटाया न जाय।

आज लोकतन्त्र की प्रगति की बात की जा रही है लेकिन अभी हमारे सामने एक बिल आया है और कहा गया कि हम देश में औद्योगिक प्रगति करना चाहते हैं और उसके लिए लोगों में प्रचार किया जायेगा और बुलंदशहर में एक बड़ा भारी संस्थान कायम किया जा रहा है। लेकिन जो जनता के मौलिक अधिकार हैं, जो मौलिक समस्यायें हैं, जो उनकी प्रोबलम्स हैं जिनको हम यहां सदन में प्रस्तुत करते हैं वह प्रकाशित नहीं किये जाते हैं। जनता को कैसे पता लगेगा कि आज जो जनता की तीन मांगें हैं रोटी, कपड़ा और मकान उनको प्राप्त कराने के लिये हम लोग क्या करते हैं।

सरकार की बहुत सी बातों पर हमारा मतभेद होता है, सरकार से बहुत सी गलतियां होती हैं, उसके लिए प्रेस वाले आंकड़े इकट्ठा करते हैं, वह इन बातों को ढूंढ़ते हैं, उनके पास लाइब्रेरी होती है जहां पर वह अनेक बातो की प्रिजर्व रखते है और सरकार की तरफ से उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है। यहां पर उनकी प्रेस गैलरी दी गई है जो इस बात का द्योतक है। हमारी बातें सुनकर वह अखबार के माध्यम से जनता तक पहुंचाते हैं। लेकिन आज सरकार प्रेस को अपना हथियार बनाना चाहती है। लोकतन्त्र की हत्याकर प्रेस को हथियार बनाना चाहती है। प्रेस एक ऐसा निकाय है जो जनता को बतलाता है कि हम लोग जहां पर सरकार गलती करती है किस प्रकार विरोध पक्ष के लोग उसे ठीक कराते हैं।

आज कई जगह पर सरकार और प्राइम मिनिस्टर और हमारे मुख्य मन्त्री वगरह कहते हैं कि प्रेस को हमारा साथ देना चाहिये। आज सरकार जनता की सारी शक्ति को, सारे राजनैतिक अधिकार को अपने हाथ में लेना चाहती है। आज प्रेस को जो यहां पर संरक्षण प्राप्त था उसको समाप्त कर रही है फिर बड़े जोर से लोकतन्त्र की दुहाई देते हैं और कहते हैं कि हम समाजवादी हैं। मैं कहूंगा कि यह कोई दुहाई देने की बात नहीं है। आप अपनी पार्टी में बैठकर कुछ भी समझ लें लेकिन जब तक प्रेस को स्वतन्त्रता नहीं होगी तब तक देश में कोई लोकतन्त्र नहीं है। आज लोग कहते हैं दुनियां वाले भी कहते हैं कि हिन्दुस्तान में लोकतन्त्र समाप्त हो रहा है। मुख्य मन्त्री और प्रधान मन्त्री, जी को इस बात में तकलीफ होती है? लेकिन हम लोगों को जो आज तकलीफ हो रही है उसे आप नहीं समझते हैं। हम जो यहां पर बोलते हैं वह अखबारों में नहीं छपता है। दुनियां में दूसरे देशों में इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है बल्कि वहां पर टेलिविजन में प्रसारित किया जाता है। लेकिन हमारे यहां सेंसरशिप लगा दी गई है। कहा जाता है कि उसमें कुछ रिलैक्सेशन कर दिया गया है लेकिन 22 मार्च से मैं यहा आया हूं आज पहली अप्रैल हो गई है हम आज तक जो भी सदन में बोलते हैं वह अखबारों में बिलकुल प्रकाशित नहीं होता है। केवल वहीं बातें प्रकाशित होती हैं जिनको आप चाहते हैं। यह भेदभाव की सबसे बड़ी दीवार है।

दुनियां के कुछ देशों के बारे में हम कहते हैं कि आयरन करटेन लगा हुआ है अर्थात् लौह आवरण लगा हुआ है। वहां की कोई चीज, वहां की जनता और दुनियां नहीं जान सकती है। वहां क्या प्रगति हो रही है, यह तो बढ़ा चढ़ाकर दुनियां जान लेगी, लेकिन क्या वहां अत्याचार हो रहा है, वहां की जनता कैसी और कितनी गरीब है, कैसे कुचली जा रही है, कैसे उसके अधिकारों का हनन हो रहा है यह कोई भी नहीं जान पाएगा। न उस देश के लोग और न बाहरी दुनिया के लोग। इसी अत्याचार, अन्याय और शोषण को छिपाने के लिए आयरन करटेन लगाया गया है। यह इसीलिए कहा जा रहा है कि वहां पर प्रेस आजाद नहीं है, प्रेस स्वतन्त्र नहीं हैं, उस पर सेंसरशिप लागू है, उस पर गाइड लाइन लागू है, उसके लिए एक

फ्रेमवर्क बना दिया गया है, यह तो लोकतन्त्र का द्योतक नहीं है, यह तो प्रजातन्त्र का भाग नहीं है। आप कितना ही ढोल अपने रेडियो, टेलीविजन और समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं आदि के जरिए से पीटें, कितने ही उच्च स्वर में कहें, लेकिन कोई दुनिया का देश, कोई दुनिया का प्रेस, दुनियां का या इस देश का कोई जागरूक नागरिक इसको मानने को तैयार नहीं है। [* * * *] जहां बोलने की स्ततन्त्रता नहीं, छपने की स्वतन्त्रता नहीं, उसको सारी दुनियां देख और समझ रही है।

श्री अधिष्ठाता—

यह कहना ठीक नहीं है [* * *]

श्री सत्य प्रकाश—

यह मैं प्रेस के अन्तर्गत कह रहा हूं।

श्री मोहम्मद शकील अहमद (जिला लखनऊ)—

मैं, श्रीमन्, आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि क्या यहां बोलने पर पाबन्दी है, यह जो कह रहे हैं, वह पूरे विधान सभा का और लोकतन्त्र का अपमान करना है।

श्री अधिष्ठाता—

यह शब्द जो आपने कहे हैं, निकाल दिए जाएंगे।

श्री सत्य प्रकाश—

मान्यवर, प्रेस सरकार और जनता के बीच में अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। जब आप उसका ही संरक्षण समाप्त कर रहे हैं, तो यहां बच ही क्या जाता है। यह हम जानते हैं कि ये प्रेस वाले जनता का मारेल हाई करते हैं। सरकार की त्रुटियां बताते हैं और हम भी सरकार और शासन की त्रुटियां बताते हैं। सरकार की कोई अच्छी योजना है तो हम भी उसका समर्थन करके जनता को बताते हैं और यह प्रेस भी यही कार्य पूरी ईमानदारी से करते हैं।

एक सदस्य—

इस समय आप क्या बता रहे हैं ?

श्री सत्य प्रकाश—

हमारी जो बताने की शक्ति है, जो माध्यम हैं, उसको आप समाप्त कर रहे हैं, आप उस पर ताला लगाए हुए हैं, उसको आपको हटाना है। इसलिए मेरा कहना है कि प्रेस की स्वतन्त्रता किसी भी हस्तक्षेप द्वारा समाप्त नहीं होनी चाहिए, जो संरक्षण उसे प्राप्त था, वह समाप्त नहीं होना चाहिए, सन् 1956 में केन्द्रीय सरकार ने इसे महसूस किया कि यह संरक्षण आवश्यक है और प्रेस को अधिक से अधिक स्वतन्त्रता और संरक्षण दिया जाय और इसके लिए प्रयास किया गया। उसी आधार पर प्रदेश की सरकार ने भी अनुभव किया और उसने उसके बाद 1974 में हमारे यहां पब्लिकेशन्स आफ रिपोर्ट्स आफ लेजिस्लेचर्स प्रोसीडिंग्स, प्रीविलेज, बिल, 1974 यहां पारित किया था। उसे ही इस 1976 में अब समाप्त किया जा रहा है। यह मेरी समझ में नहीं आता है। जबकि चारों ओर इस बात की मांग हो रही है कि प्रेस स्वतन्त्र हो, वह हमारी अर्थात् विरोध पक्ष की बात निर्भय होकर कह सके। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रेस पर जो कठोर नियन्त्रण है, जो उसे दबाया जा रहा है एक तरफा प्रचार करने के लिए, उसको तेजी से वापस लिया जाए, और प्रेस को अधिकार दिया जाएं कि जो कुछ विधायक यानी जनप्रतिनिधि कहते हैं, उसको शीघ्र से शीघ्र जनता तक पहुंचाया जाए। श्रीमन्, प्रश्नों, प्रस्ताव और कटमोशन के द्वारा तथा नियमों के अन्तर्गत जो हम सवाल देते हैं, उसके द्वारा जनता की बात हम यहां रखते हैं। आज किसी सदस्य ने यह कहा कि नाम भी देना प्रतिबन्धित हो गया है। यह सबसे बड़ी प्रेस की स्वतन्त्रता का हनन है। यही कारण है कि जब उनकी बात

नोट —[***] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री सत्य प्रकाश]
बाहर नहीं पहुंचती है तो उनमें कोई उत्साह नहीं रह गया है। आज उनको इस बात की धमकी दी जा रही है कि अगर हमारी मरजी के खिलाफ कोई भी एक शब्द भी छप गया तो प्रेस पर भी ताला बन्द हो जाएगा और प्रेस के सारे कर्मचारियों को जेल में डाल दिया जायगा। मान्यवर, यहां पर यह अत्याचार हो रहा है।

श्री मोहम्मद शकील अहमद—
यह झूठ है।

श्री सत्य प्रकाश—
आप प्रेस वालों से पूछें कि कितने प्रेस आज कल लाकअप हैं और कितनों के खिलाफ मुकदमें चलाए जा रहे हैं। मान्यवर, आज प्रेस की स्वतन्त्रता समाप्त की जा रही है। आज उसके ऊपर जो तरह-तरह के संरक्षण हैं, उनको समाप्त किया जा रहा है। मान्यवर, यह समाप्त नहीं होना चाहिए और माननीय मन्त्री जी ने जो निरसन का विधेयक रखा है इसको वापस ले लें और इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें, तब अच्छा होगा।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—
मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) (निरसन) विधेयक, 1976 को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को सौंप दिया जाय जो एक सप्ताह में सदन को अपना प्रतिवेदन दे।

मान्यवर, अगर मन्त्री जी का कहना यह है कि देश के अन्दर जो लोग तोड़-फोड़ करना चाहते हैं उनको प्रचार की स्वतन्त्रता नहीं होनी चाहिए। मैं उनसे सहमत हूं। अगर मन्त्री जी का कहना यह है कि इस माननीय सदन के अन्दर जो आदमी यह कहें कि फौजों से बगावत के लिए उनको संरक्षण मिलना चाहिए, मैं इसका विरोध करता हूं कि संरक्षण नहीं मिलना चाहिए, जो बगावत का प्रचार करते हैं उनको भी संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। मान्यवर, आप के हाथ में इतनी ताकत है, आपके पास कानून मौजूद हैं कि आप ऐसी शक्ति को प्रचार से रोकें, आपके पास कानून मौजूद है कि ऐसे लोगों को प्रचार न करने दें। ऐसे लोगों को जेल में डाल दें। लेकिन जहां तक विधेयक का प्रश्न है, बहुत गम्भीर प्रश्न है और इसमें कुछ मौलिक चीजें आती हैं। मान्यवर, पार्लियामेंन्ट के प्रिविलेज का मामला एक लम्बा इतिहास रहा है। सोमराज्य के अन्दर लगातार संघर्ष रहा है और क्रान्ति के होते हुए, तब जाकर यह अधिकार संसद को प्राप्त था कि संसद के अन्दर जो कुछ कहा जायगा उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। अगर कुछ कहा जायगा तो उस पर प्रेस पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जायगा और शायद आज यह विदित होगा कि हमारी पार्लियामेंट के अन्दर फीरोज गांधी जी थे जिन्होंने लगातार इस बात का सघर्ष किया और तब जाकर 1954 में जिस बिल को आप वापस ले रहे हैं, 1954 में पार्लियामेंट के अन्दर पास किया गया। माननीय मन्त्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर कौन से कारण हैं कि फीरोज गांधी जी ने जिसको पास किया था, उसको आप खत्म करने जा रहे हैं? अगर इमरजेन्सी का कारण है, इमरजेन्सी के अन्दर बहुत शक्तियां हैं। उन शक्तियों का प्रयोग सरकार कर रही है लेकिन परमानेन्टली ऐसा विधेयक लाना प्रजातान्त्रिक नहीं है। यह किसके ऊपर हमला है? यह माननीय सदन से अधिकारों पर हमला है यही नहीं मान्यवर, आपके ऊपर भी हमला है। एक माननीय सदस्य चुनकर आते हैं और तमाम जनता की नजरें उस पर रहती हैं। वह विधान सभा की प्रोसिडिंग्स को पढ़ती है और यह जानना चाहती है कि जिस व्यक्ति को चुनकर उसने भेजा है, वह विधान सभा में या लोक सभा में क्या कर रहे हैं। जब हरिजनों पर हमला होता है, जब किसानों पर हमला होता है और जब छोटे वर्ग के लोगों पर हमला होता है तो जनता यह जानना चाहती है उसने किसका साथ दिया उस हरिजन का, उस गरीब मजदूर का या बड़ बड़े आदमी का।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ह: पार्टी की नीतियां अलग अलग होती हैं और उनसे सम्बन्धित बहुत सी बातें प्रेस में प्रकाशित होती हैं और जनता उनको पढ़ती है और जनता समझती है कि कौनसी पार्टी की नीति कसी है - जनता के अन्दर जब वे बातें जाएंगी तो वह अपने विचारों को कायम कर सकेगी। राजाओं के प्रिवीपर्स और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के सवाल समाचार पत्रों में छपे और देश की जनता ने उन पर विचार किया। अगर प्रोसीडिंग नहीं छपती है तो जनता को किसी बात की जानकारी नहीं होगी और जनता कैसे अपनी ाय कायम करेगी। आप प्रे को अधिका नहीं देंगे, ठीक है आप शासन में हैं लेकिन खुदा न खास्ता अगर यह लोग उस तरफ आ गए तो यह इनके हाथ में यह प्रबल डन्डा होगा और यही लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। कौन नहीं जानता है कि जब चौधरी साहब इधर बैठते थे तो इसी डन्डे का इस्तेमाल किया था और आज वह प्रेस की वकालत करते हैं। इस बिल से पार्लियामेंन्टरी पद्धति में एक नया मो" आएगा, जिसके लिए तमाम देशों की जनता ने बलिदान किया है, जेल गए हैं और लाठियां खायी हैं और आप इस अधिकार को समाप्त कर रहे हैं।

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि यह एक छोटा सा संशोधन है लेकिन जहर की गोली भी बहुत छोटी होती है। कहीं ऐसा न हो कि जहर की गोली बनकर यह रह जाए। मैं इसीलिए कहता हूं कि इसको प्रवर समिति में विचार करने के लिए भेजा जाए। इसमें देर करने की आवश्यकता नहीं है, केवल 7 रोज का इन्तजार किया जाए।

*श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोन्डा)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जो यह बिल सरकार की ओ से पेश किया गया है, उस पर जो प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव आया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं ब`-क; शब्दों में इस बिल का विरोध भी करता हूं।

मान्यवर, सन् 1974 में एक बिल आया था "उत्तर प्रदेश ाज्य वि ान मन्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक, 1974, और इस बिल को पेश करने वाले थे माननीय नारायणदत्त तिवारी जी। यह बिल उस समय पेश हुआ था जब कि पत्रकार बन्धुओं ने कुछ छाप दिया था और उन पर मुकदमा कायम हो गया था। तब वि ान सभा ने सोचा कि यह बात बहुत खराब होगी और उनको प्रिविलेज देने के लिए यह बिल लाया गया था जिसका समर्थन जनसंघ औ कम्युनिस्ट पार्टीज सभी ने किया था। उस समय माननीय नारायण दत्त तिवारी ने अपने भाषण में जो 20 जून, 1973 की कार्यवाही के पृष्ठ 926 पर छपा है, उसमें उन्होंने कहा था कि पत्रकारों को पूरी स्वा ीनता होनी चाहिए छापने में। वि ान सभा और पार्लियामेंट की कार्यवाहियों को छापने के लिए उन्हें पूरा अधिकार मिलना चाहिए। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सन् 1976 में इमरजेन्सी के बाद में कौनसी ऐसी बात आ गई कि जो यह अधिकार आप हमसे छीनना चाहते हैं? एक दलील यह दी जा रही है कि तो -फो की कार्यवाही करने वालों के भाषण ों को छापा नहीं जाएगा ताकि प्रदेश में अनुशासनहीनता न फैले और जो जनता म इस समय माहौल बना हुआ है, वह न बिग ।

अभी माननीय नेगी जी ने कहा कि इधर के लोग तो -फो करने वाले हैं। मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि तो -फो करने वाले कौन हैं? (आवाजें--जय प्रकाश जी)। जय प्रकाश जी भी हो सकते हैं लेकिन चीन को निमन्त्रण देकर ये लोग आक्रमण कराने वाले हैं। जिस समय चीन की ल ाई चल रही थी ये कहते थे कि मजदूरों की सेना आ गई साम्राज्यवादियों के देश को छु ाने के लिए, चीन की जनवादी सरकार आ रही है। श्री जय प्रकाश जी, जो आजादी की ल ाई में सबसे आगे रहे, और जिन्होंने आपके काले कारनामों के खिलाफ आवाज उठाई, आप उन्हें देशद्रोही कहते हैं। हमारे भाषण वैसे हों, आप मत छापिए, जिससे अनुशासनहीनता फैलती है, आप मत छापिए। लेकिन स्वर्गीय

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री त्रिवेणी सहाय]

फीरोज गांधी जिस भावना से इस बिल को लाए थे उसका तो कम से कम आदर करिए। यह बिल 23 मार्च को लोक सभा में पेश किया गया था। यह नानआफिशियल बिल था। फीरोज गांधी चले गये लेकिन प्रेस की आजादी के लिए, हिन्दुस्तान के लोगों को अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जो संघर्ष उन्होंने किया, उसको दुनिया याद करेगी। उनके विचार जरा सुनिए:—

"For the success of our parliamentary form of Government and democracy, and so that the will of the people shall prevail, it is necessary that our people should know what transpires in this House. This is not your House, or my House, it is the House of the people. About 500 of us represent the desires and aspirations of 36 crores of our people. It is on their behalf that we speak and function in this Chamber. These people have a right to know what their chosen representatives say and do. Anything that stands in the way must be removed." इसका भावार्थ यह है कि यह भवन हमारा नहीं है या किसी का नहीं है, जनता का है और जनता ने हमें यहां चुन कर भेजा है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए और इसके माध्यम से जनता जानेगी कि हम क्या करते हैं ? आज आप इसके ऊपर रोक लगाना चाहते हैं, क्यों ? 26 जून को आपातकालीन स्थिति की घोषणा होती है। उसके बाद वन प्वाइन्ट प्रोग्राम आपका था, कुर्सी मत जाने दो। और जब आपात्कालीन घोषणा हो गयी एकतरफा सब पर हमला हो गया। आपने कहा सेन्सरशिप लागू होगी और कोई भी कार्यवाही पार्लियामेंन्ट की या विधान सभा की नहीं छपेगी। क्यों ? अखबारों में अगर समाचार छप जाता है तो क्या कोई परेशानी होती ? लेकिन आपके दिल व दिमाग तो इन बन्धुओं ने बेकार कर दिया चीनवादी जो कम्युनिस्ट बैठे हुए हैं। इस समय इनके दिल व दिमाग में रूसी शराब पिला कर नशा पैदा कर दिया है। रूस में क्या है, वहां कोई राजनीतिक स्थिति के बारे में नाटक नहीं लिख सकता।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य विषय तक सीमित रहें।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)—

एक प्वाइन्ट आफ आर्डर है। वह यह कि यह बिल पेश किया गया है प्रेस की आजादी के बारे में जिसके लिए यहां पर एक दफा प्रोटेक्शन मिल चुका है इसी सरकार के जरिए से। यह उसके खिलाफ एक बिल पेश किया गया है। आप क्या समझते हैं कि इस बिल को दो, तीन लफ्ज कह कर हम कह दें कि सारा मामला खत्म हो गया ? आप कहते हैं कि विषय से बाहर बोल रहे हैं। यह बिल प्रेस की आजादी का है। तो अगर आज आजादी के सिलसिल में कुछ बोलेंगे नहीं तो किस नतीजे पर हम लोग पहुंचेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

आप बोलिये, मगर अभी और भी विधेयक पारित होने हैं। कार्य-मन्त्रणा समिति ने जो समय निश्चित किया है उसी समय के अन्दर। दो मिनट में माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त कर दें। (व्यवधान)

श्री त्रिवेणी सहाय—

जब खींचतान होने लगी तो आपने हमारा समय दो मिनट कर दिया। मैं यह कह रहा था कि रूस में प्रेस को आजादी नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

इन जैसे लोगों के गले में ही फन्दा रहता है, वहां।

श्री अधिष्ठाता—

आप रूस न जायें, कृपया अपनी बात कहें।

श्री त्रिवेणी सहाय—

आपकी पार्टी के नेता ने ही सन् 1956 में बड़े उत्साह से एक बिल पेश किया, 26 जून के बाद। अब आपको ऐसा लगा कि उसकी आवश्यकता नही है। यह वन वे ट्रैफिक कैसा? माननीय नरायणदत्त तिवारी अगर छींक भी दें तो अखबार में छप जाएगा, त्रिवेणी सहाय अगर मर भी जाएं तो अखबार में नहीं छपेगा। चौधरी साहब छूटे, छपा, मगर जो चीज आपके मतलब की होगी वह तो छपेगी, बाकी नहीं छपेगी। यह क्या है? फीरोज गांधी ने कहा था:

".....Now I would like to quot from a judgment of Lord Halsbury which he delivered in McDougall Vs. Wright.

'Such publication is very necessary to communicate to all that which they have a right to know. Then it is important that the country should know of the cause of any court of justice and there is also this consideration that justice is often assisted by the publication of reports of proceedings....."

श्रीमन्, आपने हमारा सब कुछ छीन लिया, जबान पर ताले डाल दिए हैं। आंख बच गयी है, उसको भी फोड़ना चाहते हैं। हम बोलें और उसका प्रकाशन भी न हो। अंग्रेजी शासन काल में माननीय लोकमान तिलक ने खुदीराम बोस के बारे में कुछ लिख दिया तो उनको 8 साल की सजा हुई। क्या आप भी उसी काले कानून के अनुसार चलना चाहते हैं? मैदान में हिम्मत के साथ आइये और विचारों की लड़ाई लड़िये। विचारों की लड़ाई होने दीजिए। लेकिन नहीं, हमारे मुंह के ऊपर ताला लगा दिया गया, प्रेस के मुह पर ताला लगा दिया गया और वन वे ट्रैफिक लागू कर दिया गया कि कांग्रेस की गाड़ी ही इधर से जा सकती है, जनसंघ की गाड़ी नहीं जा सकती।

ये कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो आपके गले में सांप की तरह से लटके हुए हैं उनको मैं बेनकाब कर रहा हूं। ये लोग हिन्दुस्तान की आजादी की ज में मट्ठा डाल कर हिन्दुस्तान को पीछे की ओर धकेल रहे हैं। इन्हीं का कुचक्र है जो यह विधेयक आया है। ये बन्दर की तरह से आपको गलत राय देते हैं। अपने मतलब के लिए ये आपसे प्यार करते हैं लेकिन जिस दिन भी मौका मिला, अपना मतलब न सधने पर वे आपको छो कर भाग ख होंगे। वह दिन भी आने वाला है। हमारा देश बराबर तटस्थ रहा है, वह रूस और अमेरिका की तरफ नहीं ताकता रहा है। जिस दिन आवश्यकता होगी विचारों की, आजादी की लड़ाई देश में लड़ी जाएगी। पहले भी देश में डाक्टर लोहिया, गांधी जी, पंडित जवाहर लाल नेहरू आदि नेताओं ने विचारों की आजादी के लिए संघर्ष किया था। आज आप उन विचारों की आजादी को सेंसर से दबाना चाहते हैं। जमाना बदल गया है और समय आ गया है कि हम जनतन्त्र की जड़ों को ढंग से लावें। विचारों की आजादी की लड़ाई होने दीजिए, जो जीतेगा वह जीतेगा, जो हारेगा वह हारेगा। विचारों की आजादी की लड़ाई तलवार से नहीं ल ी जाती, वह विचारों और वाणी से ल ी जाती है। तब आप फिर इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजें जहां विधिवत् इस पर विचार किया जाय। वन वे ट्रैफिक न लागू कीजिए। यह कहा गया कि यह बहुत मासूम बिल है, लेकिन वास्तव में यह मासूम बिल नहीं है, बल्कि इसके अन्दर अजगर छिपा हुआ है।

*श्री ईश्वरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

अधिष्ठाता महोदय, इसमें कोई शक नहीं कि यह बिल छोटा है लेकिन बहुत बड़ी अहमियत रखता है। जहां तक प्रेस की आजादी का सवाल है, मैं उससे सहमत हूं लेकिन जहां तक संवैधानिक स्थिति का सवाल है, उसमें मैं यह समझता हूं कि भारत सरकार के द्वारा यह प्रिवेंशन आफ पब्लिकेशन आफ आबजेक्शनेबिल मैटर ऐक्ट, 1976 पारित किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार के पास कोई चारा नहीं है कि वह इस विधेयक को न लाए। क्योंकि जो संवैधानिक स्थिति बनती है, जो ला आफ लैन्ड होता है उसके सामने किसी स्टेट में यह विधेयक रह नहीं सकता। भारत सरकार द्वारा जैसा कि इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों से स्पष्ट होता है, प्रिवेंशन आफ पब्लिकेशन आफ आबजेक्शनेबिल मैटर ऐक्ट, 1976 के पारित हो जाने के बाद, उत्तर प्रदेश की सरकार को इस विधेयक को लाने के सिवा और कोई चारा नहीं है। यह दूसरी बात है कि हम लोगों को इस सदन में बैठ कर इस बात का फैसला कर लेना चाहिए और मैं इस सुझाव से सहमत हूं कि हमें जरूर इस पर गहराई के साथ विचार करके, चाहे कोई शासक दल का हो, चाहे विरोधी पक्ष का हो, जो भी अपना विचार यहां व्यक्त करे, उसका प्रकाशन प्रेस में किस सीमा तक हो। मैं इस सम्बन्ध में स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आज तक पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस में या संसार के किसी भी देश मे ऐसा कोई विधेयक अ ज तक पास नहीं हुआ है या इस तरह का कोई प्रीविलेज नहीं दिया गया है कि प्रेस को इस सीमा तक प्रकाशित करना पड़ेगा। अब कोई आज तक ऐसा वि ेयक नहीं बना जिससे किसी भी सदस्य को प्रिविलेज मिला हो कि उसका भाषण इस सीमा तक छापना ही प ेगा। ऐसा ससार के किसी भी देश में कोई विधेयक नहीं है। इससे मारे विरोध पक्ष के भाई सहमत होंगे कि इस प्र ार का कोई विशेषाधिकार नहीं है, कोई विधेयक नहीं है, कोई नियमावली नहीं है जिसके द्वारा उनको अधिकार हो कि उनका भाषण इस सीमा तक जरूर छापा जाय। अभी हमारे त्रिवेणी सहाय जी और दूसरे विरोध पक्ष के भाई सत्य प्रकाश जी ने जो प्रश्न उठाए कि यह मारा अधिकार है कि हम जो भाषण यहां पर करें, उसको छपना चाहिए। तो इस सम्बन्ध में प्रेस कमीशन की जो रिपोर्ट है, उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। सिफारिश संख्या 1509 म कहा गया है। स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख किया गया है कि :—

> 'वाक स्वातन्त्र का विशेषाधिकार जिसको प्राप्त है वह केवल विधान मन ल में भाषण तक ही सीमित है और यदि इस भाषण में कुछ मानहानि का एक अंश है तो उन्हें प्रेस या सदस्य द्वारा कार्यवाही के अतिरिक्त प्रकाशित करने का विशेषाधिकार नहीं माना जायगा।'

मतलब यह है कि यह सही है कि हमारी नियमावली के अनुसार हमें इस सदन के अन्दर कोई भी भाषण देने का अधिकार है लेकिन यह प्रिविलेज हमारा यहीं भाषण करने तक सीमित रह जाता है। आज हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्य और इससे पहले माननीय नेता विरोधी दल ने इस बात पर ब जोर दिया था कि यह मारा अ िकार है कि हम जो बोलें अखबार में छपे तो मान्यवर, प्रेस कमीशन की सिफारिश से यह साफ जाहिर होता है कि हमारे जो विशेषाधिकार है, इस सम्बन्ध में, वह केवल इस सदन की सीमा तक ही निहित हैं। यह प्रेस पर लागू नहीं होता है। आज तक इस संसार के किसी भी सदन में इस तरह का विधेयक नहीं आया या नहीं बनाया गया कि जिससे अखबार वालों को इस बात के लिए बाध्य किया जाय कि वह किसी माननीय सदस्य के भाषण को पूरा छापेंगे या इस सीमा तक छापेंगे, इस तरह का कोई विधेयक नहीं है। फिर एक भारत सरकार का विशेष विधेयक आ गया है, भारत सरकार ने पारित किया था, 'पब्लिकेशन आफ आब्जेक्शनेबिल मैटर ऐक्ट, 1976 - इसकी सीमा या परिधि के अन्द ही हम कोई विधेयक यहां पर ला सकते हैं। इसलिए मान्यवर, इसको निरस्त करना बड़ा जरूरी था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक बात माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। हमारे संविधान के मुताबिक जो म पर ूरे तरीके से लागू है, न्यूज पेपर्स या प्रेस में छपने का जो मामला है, वह मारे सेविथ शेड्यूल के मुताबिक कांकरेंट लिस्ट में आता है । साथ ही साथ संविधान में ब स्पष्ट रूप से दिया गया है कि जिस वक्त किसी मुल्क में इमरजेन्सी डिक्लेयर हो जाएगी तो धारा 359 के अनुसार –

Suspension of the enforcement of the rights conferred by Part III during emergencies—

जो भी हमारे भाई प्रेस की स्वतन्त्रता की दुहाई दे रहे थे,उनको मालूम होना चाहिए कि हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है । 359 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि—

Where a Proclamation of Emergency is in operation, the President may by order declare that the right to move any court for the enforcement of such of the rights conferred by Part III as may be mentioned in the order and all proceedings pending in any court for the enforcement of the rights so mentioned shall remain suspended for the period during which the Proclamation is in force or for such shorter period as may be specified in the order.

यह जो धारा दी गयी है उसके अनुसार इसके पार्ट सस्पेंड हो जाएंगे, इमरजेन्सी डिक्लेयर होते ही। यह धारा 353 के उपधारा (a) में साफ दिया गया है :

"(a) notwithstanding anything in this Constitution, the executive power of the Union shall extend to the giving of directions to any State as to the manner in which the executive power thereof is to be exercised;"

मतलब यह है कि हमारा संविधान जब इस प्रकार का है या तो संविधान को बदलें। पार्ट 3 जो संविधान का है उसके अनुसार सारे अधिकार जो दिए गए हैं कि इमरजेन्सी डिक्लेयर होते ही पार्ट-3 फौरन हमारे राष्ट्रपति के डिस्क्रिएशन पर पहुंच जाता है। भारत सरकार ने आज उसके अनुसार इमरजेन्सी डिक्लेयर की है।

अधिष्ठाता महोदय, इमरजेन्सी डिक्लेयर होने के बाद पार्ट-3 में जो स्वतन्त्रता दी गयी है, उसके अनुसार बातचीत हम उस सीमा में कर सकते हैं जो सीमा, जो डाइरेक्शन्स भारत सरकार देगी। इसलिए इस आधार पर जैसा मैंने कहा और मेरा निजी विचार जहां तक है मैं इस चीज के कतई विरुद्ध हूं कि किसी भी अखबार में विरोधी दल की तकरीर का टोटल बायकाट किया जाय। मैं उसको नहीं मानता हूं। लेकिन मैंने जैसा कहा मजबूरी है कि सदन द्वारा वह सीमा निर्धारित नहीं की गयी है कि इस हद तक पेपर में छापना होगा या नहीं छापना होगा या ऐसे कोई अधिकार माननीय सदन के अध्यक्ष के नहीं है कि प्रेस वालों को इस प्रकार के कोई डाइरेक्शंस दे सकें। संवैधानिक स्थिति यह है कि प्रेस के बारे में हम इस सदन के मुताबिक, संविधान की धारा 353 की उपधारा (a) के अनुसार भारत सरकार के डाइरेक्शन को मानना होगा चाहे वह अखबार में छापने या प्रोसीडिंग्स में छापने के मुतालिक हो। किसी भी स्टेट सरकार के सामने यह नहीं रह जाता कि भारत सरकार के डाइरेक्शन्स के खिलाफ या उनको तो कर या संशोधन करके कोई अपना प्रिविलेज दे सके। आप व्यावहारिक दृष्टि से देखे कि यदि इस विधेयक द्वारा माननीय मन्त्री जी निरस्त न कराते तो क्या यह स्थिति चल सकती थी कि आपके सदन द्वारा विशेष विधेयक द्वारा यहां पर प्रेस में छापने के लिए व्यावहारिक बना रहता और भारत सरकार आब्जेक्शन न करती ?

[श्री ईश्वरी सिंह]

अब रह जाता है कि विरोधी साथियों का सवाल है कि क्या बात आब्जेक्शनेबिल है और क्या नहीं है ? अधिष्ठाता महोदय, पूरा सदन जानता है कि हमारे विरोधी दल के नेता और अन्य माननीय सदस्यों ने महामहिम राज्यपाल के अभिभ षण में जो भाषण दिया उनका किसी भी तरीके से संगतियुक्त नहीं होता है कि सिवाय गालीगलौज के या सिवाय प्रधान मन्त्री के बदनामी करने के कुछ नहीं है। आज भी संविधान में प्रेस की ला-कमीशन के मुताबिक और संविधान की नियमावली के मुताबिक क्या उनको गालीगलौज और निजी मामलों में आरोप लगाने की खबरें अखबार में छापने की स्वतन्त्रता दी जाए ? अधिष्ठाता महोदय, आपने सुना होगा नेता विरोधी दल ने इन्दिरा जी के लिये ऐसे-ऐसे शब्द प्रयोग किए कि उनको शर्म आनी चाहिए। मैं एक संवैधानिक बात उठाना चाहता हूं कि क्या हमारे संविधान का अधिकार है कि जो हमारे भारत वर्ष की प्रधान मन्त्री हैं, जो इस सदन की सदस्य नहीं हैं, संसद की सदस्य हैं, प्रधान मन्त्री, जो यहां जवाब के लिए नहीं हैं उनके ऊपर व्यक्तिगत रूप से आरोप लगाए जाएं। और उन्हें अपशब्द कहे जाएं क्या यह प्रिविलेज का सवाल नहीं उठ सकता है ? विरोधी दल के लोग प्रेस की फ्रीडम के नाम या बोलने की स्वतन्त्रता के नाम से सदन में गाली गलौज देकर सदन के मूल्यवान समय को नष्ट करें, प्रधान मन्त्री को बदनाम करने की कोशिश करें, उनका चरित्र हनन करने की कोशिश करें तो हमारी सरकार का फर्ज है, इस सदन का फर्ज है, ट्रेजरी बेन्चेज का फर्ज है कि उनको रोकन चाहिए। क्या विरोधी दल के साथी यह प्रिविलेज कम समझते हैं कि यहां नेता विरोधी दल और उनके साथी प्रधान मन्त्री के चरित्र हनन की बात कहते रहें, अपने अधिकार सीमा के बाहर बोलते रहें और हमने यह सब बर्दाश्त किया ? यही उनके लिए काफी प्रिविलेज है। इससे ज्यादा कहना कि सदन में जो कुछ कहा जाय वह प्रेस में छपे तो यह नहीं। जिन परिस्थितियों में यह विधेयक माननीय मन्त्री जी ने रखा है मैं समझता हूं कि यह अच्छा ही हुआ कि हम इस विधेयक को निरस्त कर रहे हैं वरना तो भारत सरकार द्वारा जो विधेयक पारित हो गया उसके कारण यह वैसे ही इन्फक्चुअस हो जाता। ला आफ द लैन्ड के सामने कोई भी विधेयक नहीं चल सकता। जहां तक प्रेस की स्वतन्त्रता का ताल्लुक है, मैं निवेदन कर चुका हूं और मेरा अपना निजी विचार है कि टोटल बायकाट नहीं होना चाहिए। लेकिन देखना यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने या किसी मन्त्री ने प्रेस को इस तरह की डाइरेक्शन दी कि विरोधी दल के नेता की या किसी सदस्य की तकरीर न छपे। जब तक इस बात का कोई प्रमाण न हो तब तक ऐसा आरोप लगाना व्यर्थ है।

श्री रेवती रमण सिंह (जिला इलाहाबाद)—

कौन देखेगा ?

श्री ईश्वरी सिंह—

मैं आपकी भावनाओं को जानता हूं। आप पर तो दुहरी मार पड़ रही है। जेल भी भुगतनी पड़ी। अधिष्ठाता महोदय, इमरजेन्सी क्यों लानी पड़ी ? इसीलिए कि गैर जिम्मेदार ढंग से संगठित होकर देश हित के विरुद्ध जहर फैलाना चाहते थे, देश की स्थायी सरकार को उखा ना चाहते थे और फौज और पलिस को भ काना चाहते थे। यहां पर माननीय नेता विरोधी दल ने खुले आम कहा फौज को, पुलिस को, सरकारी कर्मचारी को और यह भी दावा किया कि आइन्दा भी कहूंगा। अगर इस तरह की चीजों को रोकना है तो प्रेस पर पाबन्दी रखना होगा। यदि प्रेस वालों ने गाली गलौज को नहीं छापा, प्रधान मन्त्री के चरित्र हनन करने वाली बातों को नहीं छापा तो उसने अपनी बुद्धिमता का ही परिचय दिया। मैं यह नहीं मानता कि सरकार के या मुख्य मन्त्री के दबाव में आकर नहीं छापा। अन्त में मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री राममूर्ति—

अधिष्ठाता महोदय, मैं हमेशा से इस बात को कहता चला आया हूं कि इस सदन के अन्दर नियन्त्रित भाषा का प्रयोग किया जाय और ब ी आजिजी और ह्यूमिलिटी से अपनी बाढ़ को कहना चाहिए। इसके माने यह नहीं हैं कि पूरी तरह से अपनी बात को न कह जाय।

इसके माने यही हैं कि बेहूदा जबान का इस्तेमाल न करके किसी के दिल को न दुखायें। जिस बिल को शिक्षा मन्त्री जी ने पेश किया और जिसको बड़ा मासूम बताया यह मेरी नजर में पिछले 30 सालों में इतना मिसचीवियस, प्रतिक्रियावादी है जैसा इस सदन में कभी पेश नहीं किया गया। सन् 1974 में इधर के बैठने वाले जिस काम को ठीक समझते थे उसको वे कहते थे। मैं सन् 1974 के उस बिल के बारे में कह रहा हूं जिसमें सिर्फ इतना दिया था कि प्रेस के लिए इस बात की आजादी होगी कि जो बात वह चाहे इस सदन के बारे में, उसको वह छापे, लेकिन नेकनियती के साथ, उसका इन्टेन्शन बोनाफाइडी होना चाहिए, मेलाफाइडी नहीं। अगर नेकनियती के साथ छापा है और अगर किसी को नागवार गुजर रहा है तो इसमें प्रेस का कोई दोष नहीं है।

हमारे मुल्क में जनतन्त्र कायम हुआ। सन् 1974 और उसके पहले का आप इतिहास उठाकर देखें। सन् 1921 से जब महामा गांधी का मूवमें शुरू हुआ बल्कि उसके और पहले से देखें तो बराबर इस बात को कहा जा रहा है कि हमारे मुल्क के अन्दर पंचायती राज कायम किया जाय इसकी एक यह भी वजह थी कि हमारे मुल्क के अन्दर इंगलिश्तानी हुकूमत थी और इंग्लैन्ड में पंचायत राज था। हमारे यहां के लोग इंगलिश्तान गये और वहां की इन्स्टीट्यूशन्स में रहे, वहां की चीजें सीखीं और जो वहां की अच्छी चीजें थीं उनको चाहा कि हमारे मुल्क में भी वैसा हो। इसीलिए यहां का जो भी आदमी पढ़ा लिखा था उसने यह चाहा कि हमारे देश में प्रजातन्त्र कायम हो। देखने की बात यह है कि हम जो कुछ यहां कहेंगे वह उस प्रजातन्त्र की रक्षा के लिए कहेंगे या किसी के दिल को खुश करने या किसी को गाली देने के लिए कहेंगे। गलत बातें हमारे और आपके देखने की चीज हैं और फिजूल बातों से कोई नतीजा भी नहीं निकलता है। हमारे मुल्क में जब आजादी हुई, नया संविधान बना और उसके अन्दर एडल्ट सफरेज का प्राविधान किया गया। हर वह इन्सान जो इस मुल्क का रहने वाला है, जिसकी उम्र 21 साल हो गयी है, उसको अपना प्रतिनिधि चुनने का हक होगा। इसके मानें यह हैं कि उसको यह हक होगा कि सरकार के द्वारा जो काम होंगे उनको वह देख सकेगा कि उसके प्रतितिधि क्या काम कर रहे हैं—जनसाधारण की भलाई का काम कर रहे हैं या नहीं? हम सब लोग जब यहां बोलते हैं तो हममें से कोई अच्छी और कोई गलत बात कहता है। रामायण में लिखा है "ज्ञानी मूढ़ न कोय"। एक दफा मैं गेस्ट हाउस में बैठा हुआ था। सरदार पटेल आये। किसी ने कह दिया कि बड़ी बेवकूफी आपने की है। उन्होंने भी यही फिकरा रिपीट किया "ज्ञानी मूढ़ न कोय"। इन्सान एक वक्त बड़ा रिवोल्यूशनरी होता है लेकिन जब कोई कमजोरी होती है तो वही इन्सान प्रतिक्रियावादी भी हो जाता है।

पंचायत राज इस मुल्क में कायम किया गया। एडल्ट सफरेज किसलिए कायम किया गया? आइडिया उसके पीछे यह था कि हर आदमी को वोट देने के साथ साथ जागरूकता आये, बेदारी आये यह समझने की कि हमारे मुल्क में सरकार क्या कर रही है। अपनी भलाई सभी चाहते हैं और उस भलाई की मजबूती के लिए वे चुनाव में हिस्सा लेते हैं लेकिन इस मुल्क में करोड़ों इन्सान ऐसे हैं जो सन् 52 से लगातार चुनाव के अन्दर हिस्सा लेते हैं और वोटें डालते हैं और उसके बावजूद यह नहीं समझते कि वह वोट किसलिए डाल रहे हैं। कोई जाति बिरादरी, कोई मजहब का, कोई सम्प्रदायवाद का, कोई इक्सादी प्रोग्राम का नारा देता है। बेपढ़ा इन्सान वह शाम दो वक्त की रोटी के लिए मेहनत करता है।

(इस समय 3 बज कर 8 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन: पीठासीन हुए।)

वह नहीं समझता कि कौन इनमें से ठीक कह रहा है। उसके सामने मजबूरियां हैं और वह वही करता है जो उसके प्रधान कह देते हैं। आज स्वराज्य हुए 30 साल हो गये और मुल्क की जहालत को देखते हुए सिम्बल को इस्तेमाल किया जाता है। बेपढ़ा लिखा आदमी नाम नहीं जानता, सिम्बल पर निशान लगा देता है। यह इसलिए है कि पंचायत-

[श्री राममूर्ति]
राज मजबूत हो। हम जितनी बातें करते हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से एक बात को दिमाग में रख कर करते हैं कि हमारा प्रजातन्त्र मजबूत हो।

मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है अध्यक्ष महोदय, कि हमारे मुल्क में लोग किसी में यकीन करें। हमारे कम्युनिस्ट भाई हैं और उनमें भी दो भाग हैं एक मार्क्सवादी हैं। इसी तरह सोशलिस्ट हैं। लकिन मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं होती है अगर वह कम्यूनिज्म में यकीन करते हैं, तो ठीक है। जनतन्त्र में, पंचायतराज में अपनी अपनी बात कहने को सब को मौका मिलना चाहिए। पंचायत राज में किसी को बोलने की रुकावट नहीं, किसी को समझाने की रुकावट नहीं है। अगर हमारे मित्र वाराणसी को जायं हमारे गांव में और समझाएं और गांव वाले कहें कि ठीक ही तो कह रहे हैं, तो ठीक है उनकी बात मानी जानी चाहिए। उनकी पद्धति अलग है लेकिन वह इसमें विश्वास नहीं रखते हैं जिसमें हम करते हैं या आप करते हैं, उधर के बैठने वाले करते हैं। चन्द साल पहले हमारे यहां रूस के प्रधान मन्त्री मुझे ठीक से याद नहीं है कि ब्रेजनेव साहब थे या कोसिजिन साहब थे, उनकी पार्लियामेंन्ट में भी स्पीच हुई थी और उसके बाद पार्लियामेंन्ट के मेम्बरों ने यह ख्वाहिश जाहिर की थी कि उनसे अलग से बातचीत करें। तो सोशलिस्ट पार्टी के नेता, श्री मधुलिमए जो उनसे मिलने गए और कुछ बहस मुबाहसा किया पंचायती राज के बारे में। उन्होंने लिमये साहब से कहा कि तुम दो पार्टी किस लिए बनाए हो। लिमए साहब ने कहा कि साहब यह तो दुनियां में जहां डिमोक्रेसी है, वहां दो पार्टियां नहीं होंगी तो फिर एक दूसरे की भलाई बुराई को कैसे बतायेंगे ?

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, यह बिल पर बहस हो रही है या आम बजट पर, इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री राममूर्ति—

अध्यक्ष महोदय, मुझे तरस आता है इनके दिमागी कैफियत पर।

नासिहा मत कर नसीहत जी मेरा घबराए है,
वह मुझे लगता है दुश्मन जो मुझे समझाए हैं।

श्री मोहम्मद शकील अहमद—

मान्यवर, यह क्या यहां पर मुशायरा हो रहा है ?

श्री राममूर्ति—

मान्यवर, देखिए, यह पसन्द नहीं करते हैं कि इनकी गलती को कोई बतलाए।

श्री आनन्द स्वरूप (जिला जालौन)—

समय की पाबन्दी कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष—

नहीं की जाएगी। आप इस तरह से मजाक न करें। एक उचित ढंग होता है। उनका कोई नुकसान नहीं है, विधान सभा नहीं चलेगी तो, आपका ही नुकसान होगा। यह कोई मजाक बनाने की बात है ? आपको चातुर्य का परिचय देना चाहिए। हां, अगर ऐसी कोई बात कह दें, जिससे बोलनेवाला अवाक् रह जाए, तब तो हम समझते हैं कि बोलने वाले को लगे कि प्रखर बुद्धि है।

श्री आनन्द स्वरूप—

मेरी प्रार्थना है ....

श्री अध्यक्ष—

नहीं, मैं नहीं सुनता, आपकी प्रार्थना को। आप बैठें।

श्री राममूर्ति—

हमारे मित्र बुलन्दशहर के अपनी स्पीच में कह रहे थे अखबारों में छपने की बात दूसरी है, इस सदन के मेम्बरों को इस बात की पूरी आजादी है कि वह सदन के अन्दर जो चाहें बोलें। मैं तो कोई बेहूदगी की बात भी नहीं कह रहा हूं, उसपर भी लोगों को एतराज हो रहा है। तमाम दुनियां के अन्दर पार्लियामेंटरी डिमोक्रेसी आप देखें इनसाइक्लोपीडिया आफ डिमोक्रेसी में आप पायेंगे कि तीन सौ साल तक लगातार पार्लियामेंट के मेम्बरों ने इस बात की लड़ाई लड़ी, प्रेस ने लड़ाई लड़ी कि उनके लिए आजादी दी जाय, हर चीज को लिखने की।

मैंने पहले भी अर्ज किया, जो कानून 1974 में पास किया गया था उसमें आजादी मिली प्रेस को। पर आजादी तब मिली जब नेकनीयिती के साथ वे यहां की प्रोसीडिंग्स छापें। यदि वह अपनी नेकनीयती का परिचय ऐसा करने में नहीं देते हैं, तो उनको प्रोटेक्शन नहीं है। बोनाफाइडीज उनके दिमाग में होनी चाहिए। इसके विपरीत कोई काम किया जाता है तो वही खराबी का रास्ता बन जाता है। कोई नेकनीयिती से छापें तो कोई गलत नहीं है। अखबारों को उन्हीं पढ़े लिखे लोगों के लिए छापते हैं। यदि पढ़ने की लियाकत है तो इतनी भी लियाकत होगी कि वह भलाई बुराई भी देख लें। इसको समझने की कसौटी भी अलग-अलग लोगों के पास भिन्न-भिन्न है। कोई अफीम को खाना, शराब को पीना अच्छा समझता है, जबकि अफीम का खाना या शराब पीना अच्छा नहीं है, दूध और दही का खाना अच्छा है। लेकिन उसका भी अपना एक नजरिया है, वह अच्छा समझता है। ये अखबार पढ़ने वाले अपनी बुद्धि से सोच सकते ह कि कौन बात अच्छी है और कौन बुरी है, फिर भी जिसे दो साल पहले पास किया और कहा कि सब लोग नेकनीयती से काम करेंगे, आज हम इसके जरिए उस बिल को खत्म कर रहे हैं और वह आजादी उनसे छीन रहे हैं। यह हमारे सामने बड़ी मुश्किल पेश हो रही है और इसलिए मैं कल बोलना चाहता था, इस विषय पर, लेकिन श्रीमन्, आपकी राय नहीं हुई, कि इधर नेता नहीं है, तो में खामोश रहा। किन्तु इत्तिफाक से आज यह बिल आ गया, तो बोलना लाजिमी हो गया। न बोलूं तब भी मुश्किल है, जनता ने न्याय की बात कहने यहां भेजा है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस बिल को सरकार को वापस ले लेना चाहिए और उन्हें इस विचार से गुमराह नहीं होना चाहिए कि हम अपने देश में फेडरल प्रणाली खत्म कर रहे हैं। यूनेटरी शासन का कंसेप्शन किसी दृष्टि से ठीक हो सकता है, यदि देश के प्रदेशों की सरकारें अत्यन्त कमजोर हों, या ऐसी हों जो केन्द्रीय सरकार से हमेशा टकराव पैदा करती हों, या जहां यह खतरा हो कि मुल्क में विघटन हो रहा है; मुल्क कमजोर हो रहा है। तो हमारा एक फेडरल कांसेप्ट है, उसको मजबूती मिलनी चाहिए।

अमेरिका देश में 52–54 प्रदेश हैं, उनकी एक सेन्ट्रल गवर्नमट है, उन सबके अपने अलग कानून हैं और केन्द्र का अलग कानून है। यहां तक कि वहां एक ऐसी स्टेट है, जहां जुआ खेलने की भी इजाजत दे रखी गई है। इस पर केन्द्र कुछ भी नहीं कहता है और अमेरिका के जो जुआ खेलने के शौकीन लोग ह, वहां पहुंच जाते हैं और वहां खेलते हैं। फेडरल कांसेप्ट में यहां तक आजादी रही है। क्योंकि यदि कोई गलत काम है तो लोग चर्चा करेंगे और एक दूसरे से उसकी बुराई बतायेंगे लोगों पर उसका असर पड़ेगा। जो फेडरल कांसेप्ट है उसको कमजोर नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सेन्ट्रल ने कानून बना दिया है, तो हमारे लिए भी यह लाजिमी हो गया है कि हम भी अपने बने बनाए ऐक्ट को रिपील करें। इस किताब को आप देखें। इसमें लिखा है, वैसे तो यह बहुत लम्बा है, इसको पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, मैं नहीं चाहता कि सदन का इतना समय लिया जाय :–

"The cordial and cooperative relationship which today exists between Parliament and the Press represents the achievement of centuries of struggle between the champions of liberty and the forces of intolerance. The reporting of

[श्री राममूर्ति]

Parliamentary proceedings was for many years as a flagrant breach of parliamentary privilege, and (an interesting survival from a less enlightened era) is still technically so today. The freedom which the press enjoys today was not lightly won, and it was in comperatively recent times that unfettered journalism was accepted as a healthy and essential feature of a democratic society."

इसमें यह कहा गया है कि इंग्लैन्ड में प्रेस में और वहां के लोगों में बड़ा ही सुखद मेल है। और यह भी कहा गया है कि ये हालात एक दिन में पैदा नहीं हो गए। लगातार लड़ाई लड़ने से ऐसे हालात पैदा हुए। लोगों ने यह मुनासिब समझा, ठीक समझा कि प्रेस के लिए पूरी-पूरी आजादी हो।

मैं अध्यक्ष महोदय, एक बात और आपके समक्ष पेश करना चाहता हूं। अखबार जब आजादी के साथ कोई चीज लिखते हैं, हो सकता है वह किसी के लिए नागवारी का वायस बन जाय। कानून हमारे मुल्क में सब की रक्षा करता है, अगर कोई वासिन्दा इस देश का, किसी अखबार ने उसके खिलाफ डिफेमेटरी या गलत बात लिखता है, तो वह उस अखबार के खिलाफ डिफेमेशन का केस लड़ सकता है। यहां पर सदन के अन्दर एक बिलिट्स के आडीटर साहब बुलाए गए थे। मेरा कहना यह है कि अखबार के लिए पूरी-पूरी आजादी होनी चाहिए। अगर गलत बात अखबार वाले करेंगे, अगर पब्लिक ओपिनियन ऐसी क्रिएट करेंगे, तो उस अखबार की मुल्क के अन्दर इज्जत नहीं हुआ करती। अध्यक्ष महोदय —

"Shortly after the Restoration the activities of the Press were severaly curtailed. On June 25 1660, the House of Commons resolved 'that no person whatever do presume at his peril to print any votes of proceedings of the House without the special leave and order of this House."

1660 में इंग्लैन्ड में इस बात को पसंद नहीं किया गया कि अखबार जो चाहे छाप दें फिर भी उतना ही नहीं रहा, 1712 में पार्लियामेंट में 50-60 साल के अन्दर एक कानून पास किया गया और टैक्सेज लगा दिया गया कि लाओ इस तरह से रोका जाय। फिर इसके बाद देखिए। डेवलपमट दिखाया आहिस्ता आहिस्ता जो मैंने अर्ज किया दिसम्बर 10, 1947 तक पार्लियामेंट का क्लीयर इंडिकेशन रहा —

"In 1712 Parliament attempted to muzzle the Press by imposing a tax on newspapers. A paper printed on a half sheet was liable for a stamp tax of a halfpenny; if printed on a whole sheet the tax was a penny.

The debate which took place (on December 10, 1947) gave a clear indication of Parliament's anxiety to safeguard the legitimate rights of a free Press whilst taking the necessary steps to protect itself from the activities of unscrupulous journalists who form a very small minority in an honourable profession. It is a very different outlook from that which flourished in the days of Edward Cave and John Wilkes."

मान्यवर, यह सन् 1947 की बात है। पार्लियामेंट अल्टीमेटली इसी नतीजे पर पहुंची कि अखबारों को पूरी आजादी देनी चाहिये। 300 साल की लड़ाई लड़ने के बाद वह हालत पैदा

हो गयी जिसको मैंने अभी पढ़ कर सुनाया। मैं एक केस और बता देना चाहता हूं। जान एफ कैनेडी जो अमेरिका के प्रेसीडेन्ट थे, उन्होंने सरप्टसिसली और मुल्क को बगैर बताये हुये क्यूबा पर हमला करने की सोच ली। अमरीका इन्टरेस्ट लश हो रहा था। रसा ने मिजिल बेस क्यूबा में बना दी। अमेरीका का इन्टरेस्ट यही था कि मिजिल बेस वहां पर न रहे। जान कैनेडी ने खुफिया तरीके से एक ब्रिगेड क्यूबा में उतार दी और अल्टीमेटली वह हालात पैदा हो गयी, जिसके बाद रसा के प्रधान मंत्री खुश्चेव ने क्यूबा का पक्ष लिया और कहा कि क्यूबा के ऊपर अमरीका ज्यादती की बात नहीं कर सकता। तो कैनेडी ने कहा कि ल ाई होगी। सारे अमेरीका में हाहाकार मच गया और बहुत प्रोटेस्ट हुआ। सार मुल्क की जिन्दगी किसी एक आदमी के ऐक्शन से खतरें में प सकती है। अगर मुल्क को आगाह किया जाएगा कि खतरा है तो वह तैयार हो जाएगा और कोई एतराज भी नहीं करेगा।

इस हद तक प्रेस की आजादी इन डेमोक्रेटिक मुल्कों के अन्दर पहुंच गयी है और हम भी कोशिश में हैं कि अपने प्रजातन्त्र को आहिस्ता से मजबूत करें, लोगों को ताकतवर बनाए। यह सराहना का काम नहीं है कि ताकतवर कमजोर को उठा कर दे मारें, उनका कत्ल कर दे। सन् 1947 के बाद दो प्रधान मन्त्री हुए। एक तो बेचारें थो े ही समय रहे, नेहरू मुल्क के नेता थ, उनकी बराबर यह कोशिश रही कि इस मुल्क को मजबूत करे। प्रजातन्त्र की रक्षा के लिए प्रेस की आजादी बड़ी आवश्यक है। चूंकि इसका प्रजातन्त्र से घनिष्ट सम्बन्ध है इसीलिए इसका जिक्र करना पड़ा। वह इस तरह से है जैसे एक आदमी की जान निकाल दें और उसका ढांचा ख ा रखा जाए।

मान्यवर, प्रजातन्त्र के 4 खम्बों में से प्रेस एक है। कोई भी खम्बा अगर आप निकाल लेंगे तो वह इमारत गिर जायगी। हम यहां पर ब े हौसले से बैठा करते हैं और एक लहजे से भाषण देते हैं। यहां पर बठने वाले बहुत थो े से लोग हैं और कुछ दर्शक दीर्घाओं में बैठते हैं। हम अपनी स्पीचज इसलिए नहीं देते हैं कि उसे यहां के ही लोग सुन पायें बल्कि इसलिए भी देते हैं कि वे अखबारों के जरिए से बाहर जाएंगी। लोग इनसे अच्छे और बुरें नतीजे निकालेंगे। हम यहां पर इसलिए भी नहीं बोलते हैं कि आपके बीच में हमारी कोई नामवरी हो। इसमें शक नहीं है कि इस 30 साल की आजादी की जिन्दगी में यह जरूर हुआ है कि समृद्धि बढ़ी है, बहुतों की घट रही है लेकिन बाई एन्ड लार्ज जो हालत 30 वर्ष पूर्व थी, उसमें जरूर इजाफा हुआ है प्रत्येक क्षत्र में, तालीम में, खाने पीने में, कप ा पहनने में सड़को के बनने में, अस्पतालों में कालजों में, इन्जीनियस और डाक्टर्स में लेकिन एक बात मैं कहे बिना नहीं रह सकता हूं कि इन्सान जरूर कमजोर होता जा रहा है।

महात्मा गांधी ने इस बात की कोशिश की थी कि इन्सान मजबूत बनाया जाय। नैतिक चरित्र ऊंचा हो, नैतिक बुनियाद है, उसको मजबूत बनाया जाय। उन्होंने मैटिरियलिज्म की ओर ध्यान नहीं दिया था लेकिन नेहरू जी ने नैतिकता की ओर ध्यान न देकर मैटिरियलिज्म की ओर ध्यान दिया है। उसका नतीजा यह है कि हर चीज की इफरात होती जा रही है लेकिन लोगों की नैतिक शक्ति कमजोर हो गई है। बिल के अन्दर कहने की इच्छा उभरती है लेकिन कहने की हिम्मत नहीं है। गांधी जी ने इस मुल्क के लोगों को एक ही बात सिखाई थी। लोग बोल नहीं सकते थे। करोड़ों इन्सान डम्ब ड्रिविन कैटिल की तरह से थे, इन कमजोर इन्सानों के अन्दर अहिन्सा के जरिए से गां ी जी ताकत लाए और वही लोग अहिंसा के जरिए से इस मुल्क की आजादी के लिए ल े और आजाद भी करा लिया। आजादी इसलिए भी हुई क्योंकि हम ईमानदारी और सच्चाई से इन गिरे हुए लोगों की हालत को सुधारना भी चाहते थे। हमारे ऊपर इंगलैन्ड के जो हुकमरान थे, वे ब े सेन्टीमैन्टल थे और जो आजादी को समझते थे, उन्हें हमारी कुर्बानी का एहसास हुआ और हमें आजादी मिली। अगर हमारा मुल्क फासिस्टों या कम्युनिस्टों का गुलाम होता तो हमें कभी भी आजादी नहीं मिल सकती थी। हमारी आजादी के बाद न जाने कितने मुल्क आजाद हुए जो

[श्री राममूर्ति]

सदियों से पसमांदा थे, गुलामी से उनमें जज्बे हुर्रियत पैदा हुई और आज वे हमारे मुल्क की तरह से आजाद हुए।

यह अखबार, यह प्रेस, पंचायती राज का मजबूत खम्बा है। अगर सरकार इसको बन्द कर देंगी, गला घोंट देंगी, आप में ताकत है गला घोंट देने की, लेकिन इसकी प्रतिक्रिया भी लोगों के ऊपर बड़ी खराब होती जा रही है। 'सुन तो सही जहां में तेरा है फसाना क्या, कहती है तुझको खल्क खुदा गायबाना क्या।' यह हो सकता है कि कमजोर लोग दब जायें। लेकिन उनके दिल की जो सिमरिंग है, जलन है, वह दबते-दबते किसी रोज फट भी सकती है ज्वालामुखी की तरह। इसलिये हालात को इस हद तक नहीं ले जाना चाहिये। बड़े कमजोर मुल्क भी कभी कभी ऐसी बातें करते हैं, चायना है, आदमी बहुत हैं लेकिन उसकी वह टेक्निकल लियाकत नहीं है जो रूस के लोगों में है। लेकिन इतने बड़े मुल्क ने जिसने उनको तालीम दी उनके मुकाबले हर वक्त लड़ने को तैयार रहते हैं अगर वह देखते हैं कि उनके मुल्क की आजादी खतरे में पड़ रही है। जिन उसूलों के लिये वह लड़ रहे हैं अगर वह खतरे में हैं तो लड़ने की धमकी देने लगते हैं। वही कैफियत है हमारे मुल्क के अन्दर भी। अगर हम आहिस्ता-आहिस्ता लोगों को पंगु बना देंगे, जो समझदार लोग हैं, बोलने की अहमियत रखते हैं अगर उनके दिल के अन्दर कायरता आ गयी और वे कुछ बोल न सके तो होगा क्या? हमारे सामने तो बहुत उदाहरण हैं। महाभारत में सब लोग जानते हैं कि द्रोपदी का जब चीर हरण हुआ, तो वहां भीष्म पितामह बैठे हुये थे। वह भीष्म पितामह, जब उनकी भगवान परशुराम से लड़ाई हुई तो 27 दिन तक लड़ाई हुई और कोई हारा जीता नहीं।

श्री त्रिवेनी (जिला आजमगढ़)--

यहां भगवान की लड़ाई कहां हो रही है?

श्री राममूर्ति--

अध्यक्ष महोदय, नाम तो बड़ा अच्छा रखा है-त्रिवेणी, लेकिन एक दरिया गायब है सरस्वती। जब नाम के अनुरूप बातें करने लगते हैं ये तो मुझे बड़ा तरस आता है इनके ऊपर। तो ऐसे शक्तिशाली आदमी जिनकी टंकार से दुनियां हिलती थी; वह यह भी नहीं कह सके कि हमारे घर की यह बहू है, इसका चीर हरण क्यों हो रहा है? इसलिये कि वह किसी के मातहत थे। अध्यक्ष महोदय, मेरे बहुत से दोस्त उधर बैठे हुये हैं जिनके साथ मुझे रहने का मौका मिला है और कोई ज्यादा फासला मेरे इनके बीच थोड़े ही है, दो चार साल से ही तो यह सब कैफियत पैदा हुई है। मुखालिफत तो और लोगों से हुआ करती थी, ये तो सब एक तरह से खानदान के लोग हैं।

श्री त्रिवेनी--

हम तो मानते हैं कि एक ही खानदान के हैं।

श्री राममूर्ति--

लेकिन अफसोस की बात है कि आज हमारी बात इनको बड़ी बुरी लगती है क्योंकि हम इनके समक्ष सही बातें रखना चाहते हैं। और आप तो, अध्यक्ष महोदय, सोशलिस्ट पार्टी के नेता रहे। आपने तो और भी कैफियतें देखी हैं। तो मैं अपने दोस्तों से निहायत आजिजी के साथ दरख्वास्त करता हूं, मैं जानता नहीं कि इतने सब लोग करेज मस्टर कर पायेंगे या नहीं कि इक्ट्ठा हो कर अपनी पार्टी के अन्दर सलाह मश्विरा करें। पार्टी के अन्दर तो बोलने का हर एक को अख्तियार है। वहां तो अपने नेता तक को भी बदल सकते हैं। जिस तरह हमें इस बात का हक है कि हम सरकार को बदल दें, आपको भी हक इस बात का है कि आप अपने नेता को बदल दें। तो वहां तो कम से कम इस बात को सोचना चाहिये कि जिस पार्टी ने दो साल पहले एक कानून को अच्छा समझ कर एक अधिनियम बनाया, वही पार्टी एक रिट्रोग्रेसिव स्टेप ला रही है। और आज जो यह बिल सरकार लायी है उसके द्वारा जो आजादी प्रेस को मिली हुई थी छापने की, उसे वापस लिया जा रहा है। एक तो वैसे

ही प्रेस में लोग घबराये हुये थे, चुप थे अब बिलकुल ही चुप कर दिये गये। एक तो वैसे ही मर रहे थे, इसके आने से बिलकुल ही बेमौत मार दिये गये। मैंने अगर कोई गलत बात कह दी हो तो मैं उसके लिये माफी चाहता हूं, मगर यह बिल रालेट ऐक्ट का भाई है। मैं एक चीज और पढ़ कर समाप्त कर दूंगा।

"The term 'Freedom of Speech and Expression' includes the liberty to propagate not only one's views but also the right to print matters which have been borrowed from someone else or are printed under the direction of that person and also includes the liberty of publication and circulation".

इतनी तक आजादी है। यदि मैं दूसरे के ख्याल को लेता हूं तो उसको भी छपवाने की आजादी है। अगर सरकार कोई चीज छापने नहीं देंगी तो प्रजातंत्र दिन पर दिन कमजोर होता जायेगा। जितनी ज्यादा हम इन्सानों के ऊपर कानून की रुकावटे डालेंगे, उतना ही हम इन्सानों को कमजोर कर देंगे। घर के बच्चे को अगर डरा धमका कर रखा जायेगा तो उसका सारा इनीशियेटिव समाप्त हो जायेगा। यह हो सकता है वह उद्दन्डता में गलती करे, लेकिन गलती के बाद उसे स्वयं समझ आयेगी। आपने इस विधेयक को मासूम कह कर शब्द "मासूम" की मट्टी पलीत कर डाली। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मान लीजिये कोई सदस्य विधान सभा में दिये हुए अपने भाषण को छपवा कर अपने निर्वाचन क्षेत्र में बंटवाता है और उसने कोई शब्द आपत्तिजनक है तो क्या उस पर भी उसी तरह की पाबन्दी होगी, जिस तरह से कि समाचार पत्र पर है?

श्री राममूर्ति--

मान्यवर, मैंने एक बात कही। कोई भी सदस्य जो यहां बैठे हुए हैं, और अखबार वाले किसी चीज को छापें, तो इसमें एक खास लफ्ज है जिसका ध्यान रखें नेकनीयती के साथ, अगर बोनाफाइडी कोई चीज नहीं है तो कोर्ट में इसके ऊपर दावा दायर किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष--

मान लीजिये, कोई माननीय सदस्य जो यहां सदन में अपना भाषण देता है और उसको अपने निर्वाचन क्षेत्र में छपवा कर बंटवाये और उसमें कोई ऐसा शब्द हो जो आपत्तिजनक हो, तो क्या वह इससे मुक्त होगा?

श्री राममूर्ति--

मान्यवर, प्रेस प्रोटेक्शन बिल इस सदन में डेढ़ दो साल पहले आया और आजादी हमारे देश में 30 साल से है। हम सब को इस बात का अख्तियार था कि अपनी चीज अखबारों के जरिये या पर्चों के जरिये कहीं भी बांट सकते हैं, लिख सकते हैं जो आपत्तिजनक न हो। लेकिन इसको डिसाइड कौन करेगा, न्यायपालिका?

एक सदस्य--

इसी कानून में है।

श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)--

इसका दुरुपयोग आपकी तरफ से हुआ है। एक नेता जब मरे थे तो श्री राजनारायण ने कहा था और उसे अखबारों तक मैं छपवा दिया कि इनको इन्दिरा जी ने मरवा दिया है।

श्री राम मूर्ति--

अगर राजनारायण जी ने यह कह दिया कि किसी ने किसी को मरवा दिया या मरवाने का प्रयत्न किया, तो इसके अलावा मैं भी एक बात कहता हूं कि आज मुल्क में हजारों

[श्री राममूर्ति]

आदमी मरते जा रहे हैं रोज, फांसी हुआ करती है, तो उसके लिये रास्ता खुला हुआ हैं, उसके लिये रास्ता है अदालतों में। अदालतों के अन्दर तय होता है, निर्णय हुआ करता है कि कौन सी बात ठीक है और कौन सी बात गलत है। इसी सदन के अन्दर बिलिट्ज अखबार को गलत खबर छापने पर यहां बुलाया गया था। अगर कोई गलत काम करता है तो वह उसकी गिरफ्त में आ जाता है। एक बात जो आपने फरमायी वह किसी और पहलू की बात है। यह यहां फिट नहीं बैठती है। मान्यवर, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि यह विधेयक ऐसा है जिस पर और कई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। अपनी तुच्छ बुद्धि से जो कुछ भी मेरी समझ में आया नेकनीयती और दरख्वास्त से मैंने आपके सामने पेश किया कि आप सब मिल कर इस पर विचार करें। कोई जल्दी नहीं है कि आज ही पास हो जाय। दो चार दिन बाद भी पास हो तो वैसी कोई बात नहीं है। 9 से 25 अप्रैल तक असेम्बली नहीं हो रही है। दो चार दिन के अन्दर कोई कमेटी बुला लें और अगर मुनासिब समझें तो हम लोगों को भी मौका दें क्योंकि सरकार मेजारटी में है तो वह उसे पास तो करा ही लेगी, हम माइनारिटी में है, इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। अगर सब मिल कर आपस में बैठ कर बात कर लें तो इससे सब को मौका मिलेगा और इससे सबको सहूलियत हो जायेगी जिससे धैर्य और शान्ति के साथ हम सब फिर उसके ऊपर अमल कर सकेंगे।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, असल में यह जो विधेयक माननीय शिक्षा मंत्री जी ने पेश किया है, मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। इसलिये कि अब इमरजेन्सी लगी है, सेंसरशिप भी लगी है और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने प्रकाशन के संबंधमें अपने कायदे कानून भी बना दिये ह तो फिर 2 साल पहले जो विधेयक पेश किया गया उसके निरसन को मैं समझता हूं कि कोई आवश्यकता नहीं थी। आप देखें 26 जून से इमरजेन्सी लागू हुयी, उसके बाद से आज तक प्रेस में कोई चीज छपी नहीं है। जुलाई में सेशन बैठा था और अब भी सेशन हो रहा है। माननीय सदन में जो कार्यवाही हो रही है वह कोई खास प्रेस में नहीं छपी है। तो जैसा मैंने कहा कि इसकी कोई, खास आवश्यकता, इस विधेयक की नहीं थी। वह अपने आप खत्म हो जाता। सेंट्रल गवर्नमेन्ट का ऐक्ट हो गया, संविधान की कुछ धारायें उस पर लागू हो गयीं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी इसलिये माननीय मंत्री जी को इसको पेश नहीं करना चाहिये था।

अब एक दूसरी बात की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं। हमारे भाई ईश्वरी सिंह जी बोल रहे थ तो उन्होंने कहा कि अगर प्रेस में कुछ चीजें छपती हैं आपत्ति जनक नहीं हैं तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। तो मैं भी इसी राय का हूं कि जो चीज आपत्तिजनक न हो वह अगर प्रेस के लोग छापें तो कोई ऐसी बात एतराज की नहीं है। यह माननीय सदन इस प्रदेश को समस्याओं को प्रतिबिम्बित करता है। तो उसका भी अगर प्रकाशन नहीं होगा तो मैं समझता हूं कि यह अन्याय की बात होगी। जहां तक यह कहना कि सदन में बोलने की आजादी, यह तो आज भी है, बोलने की आजादी है। लेकिन प्रजातांत्रिक मूल्यों को अगर कायम करना चाहते हैं, बहुत से लोग इस राय के थे। माननीय पंडित जवाहर लाल नेहरू, महात्मा गांधी ऐसे महान लोगों की राय थी कि जो कुछ माननीय सदन में कार्यवाही हो उसका प्रतिबिम्ब प्रेस में हो, जनता भी समझे। अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि यह निर्णय कौन करेगा कि आपत्तिजनक है या नहीं? तो मेरा कहना है कि सेंसर लगा हुआ है, निणय करने के लिए जो हमारे अधिकारी बैठे हुये हैं, सरकार की तरफ से तो वह निर्णय करेंगे कि इसमें क्या छप सकता है। तो बात ऐसी है कि चाहे इधर के हों या उधर के बैठने वाले हों, दोनों तरफ का नहीं छप रहा है, इस राय से मैं सहमत नहीं हूं, कि जो कुछ विरोधी दल के लोग कहें वह छप जाय। राममूर्ति जी माफ कीजियेगा शायद आप भी सहमत नहीं होंगे, बहुत सी चीजों से मैं भी समहत नहीं होता। मुझ भी कुछ बड़ी-बड़ी हस्तियों के साथ में बैठने का मौका मिला है। मैं अपनी महत्ता की बात नहीं कहता हूं लकिन क्या

क्या मैं जान सकता हूं? श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञासे पूछना चाहता हूं कि सन् 1974 में जब महामहिम राज्यपाल महोदय श्री अकबर अली खां साहब, जब दोनों सदनों को सम्बोधित कर रहे थें तो उनक साथ जो व्यवहार यहां हुआ जो उनकी दुर्दशा हुयी– मैं तो दुर्दशा कहता हूं, क्या यहां जनतांत्रिक मूल्यों को कायम किया जा रहा था और जिस तरह की बातें यहां की गयीं, बाहर भी छपी हैं, छापी गयी हैं तो क्या उस पर प्रतिबंध लगाना उचित है? क्या वह उचित था?

दूसरी बात मैं पूछना चाहत हूं और यह आप लोगों की ही देन है। इसलिये तुलसीदास जी ने लिखा है— परम स्वतंत्र न सर पर कोई. भावे मनहिं करउ तुम सोई। स्वतंत्रता के यह माने लगा लिया। श्री त्रिवेणी सहाय जी ने चीन के युद्ध का हवाला दिया। उस समय आप भी सदस्य थे और मैं भी था। तो मैं और आप तथा सभी माननीय सदस्यों ने सुरक्षा कोष में एक-एक महीने की तनख्वाह दिया था। श्री त्रिवेणी जी आपकी दल की तरफ से बोल रहे थे कि हम लोग चीन को बुला रहे थे तो यह बाते तुच्छ हैं। जनतांत्रिक मूल्यों की दोहाई देकर आपने जनता द्वारा चुने हुये लोगों से जबरदस्ती इस्तीफा लिखवा रहे थे। क्या वह जनतांत्रिक मूल्यों की मजबूती की बातें हैं? जबलपुर में एक माननीय सदस्य को कालिख पोतकर गधे पर घुमाया गया। इसलिये मैं इधर (विरोध पक्ष) के लोगों पर आरोप लगता हूं कि विचारों में विभिन्नता होते हुये भी कहा जा रहा है। मैं मई म पूर्वी जर्मनी गया था और जुलाई में लौटा था। जब इमरजेन्सी लागू हुई थी और हाई कोर्ट का जो फैसला हुआ था उसको मैंने वहीं पढ़ा था। तो मैं दोनों सज्जनों माननीय राममूर्ति जी तथा नियाज हसन खां से एक बात पूछना चाहता हू कि किस विधान में यह बात लिखी हुई है कि यदि लोअर कोर्ट से मुकदमा हार जाय तो उसकी अपील करने का अधिकार नहीं है? अपील करने के बाद किसी कोर्ट को स्टे देने का अधिकार है कि नहीं? गांवों में मुकदमे चलते हैं जमीन के तो एक पक्ष हार जाता है और दूसरा जीतता है तो अपील में वह जाता है। स्टे मिल जाता है, दूसरा पक्ष उसे मानता है। यह साधारण बात है।

श्री राममूर्ति—

आप फक्ट्स को मरोड़े मत। किसी आदमी को एतराज नहीं था कि प्रधान मंत्री यदि हार गयी है तो अपील न करें। इतनी बात थी कि जितने दिनों अपील तय न हो जाय उतने दिनों के लिये इस्तीफा दे दें।

श्रम मंत्री (डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी)—

जब 20 दिन का स्टे उसी कोर्ट नें दिया तो उसको क्यों नहीं मानते हैं?

श्री राममूर्ति—

20 दिन का टाइम दें, यह कहा गया था कि एलेक्शन हो जाने दें...।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

इलेक्शन कराना तो पार्टी का काम था। पार्टी ने कहा कि यदि वह रहें तो इसमें किसी को क्या एतराज है?

श्री त्रिवेनी—

राम मूर्ति जी ने मोरारजी देशाई का स्टेटमेंट नहीं पढ़ा होगा।

श्री ऊदल—

मान्यवर, जो दुखदाई हिस्सा है कि प्रेस में छपने नहीं जा रहा है तो उसका मैं समर्थक हूं। जो आपत्तिजनक चीजें न हों वह प्रेस में जाय, स्क्रूटनी हो जाय, सेंसर के अधिकारी जो हैं वह देख लें। लेकिन मैं इस परिस्थिति के लिये जिम्मेदार आप ही लोगों को ठहराता हूं कि आपने जो बवण्डर मचा दिया और इस्तीफा मांगने पहुंचे कानून और संविधान के खिलाफ, तो यह परिस्थिति आयी। इन सारी परिस्थितियों को पैदा करने के लिये

[श्री ऊदल]

जिम्मेदार आप लोग हैं। यह जो लोक पक्ष बना है चार पांच से मिलकर तो यह देखना है, कब तक चलता है। आपने पढ़ा या नहीं उड़ीसा में आपके 4 एम0 पी0 और 8 एम0 एल0 ए0 इस्तीफा देकर चले गये।

श्री त्रिवेनी—

राममूर्ति जी भी आ रहे हैं।

श्री ऊदल—

लोक पक्ष भी बचने वाला नहीं है। यह गला घोट रहे हैं तो गला घोटने का प्रश्न नहीं है। एक बात कही गयी कि ब्रजनेव साहब आये थे तो लिमये साहब मिलने गये। उन्होंने कहा कि अलग पार्टी क्यों बनाये हुये हो? मान्यवर, सभी जानते हैं कि वह दुनिया के महान विभूतियों में से एक हैं। वह आपको इस तरह की सलाह दें वह हमको भी सलाह दे सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी क्यों बनाये हुए हो। हम तो ज्यादा नजदीक हैं। माननीय लिमये साहब इस देश की परिस्थिति के बारे में बात करने गये थे जिस पर उन्होंने कहा कि यह तो आपके देश का मामला है। इस तरह से चीज को तोड़ मरोड़ कर रखने से कोई नतीजा नहीं निकलता। यह जो लोक पक्ष बना है तो इसका क्या होगा यह भविष्य बतलायेगा। लेकिन इतना जरूर है कि जहां विचारों में भिन्नता होगी तो एकता टिक नहीं सकती। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कहना चाहता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि सेन्सरशिप लगा हुआ है। पब्लिकेशन के बारे में भारत सरकार ने कानून बना दिया है। इमरजेन्सी लागू है। लेकिन इस सम्बन्ध में एक पहलू पर मंत्री जी विचार करें, यह मेरा आग्रह है। पहलू यह है कि सेन्सर करके, स्क्रूटनी करके कि कितना अंश प्रकाशित हो सकता है। मेरी राय यह है कि जो आपत्तिजनक न हो सेन्सर की निगाह में, सरकार की निगाह में तो उतना अंश प्रकाशित होना चाहिये। यह माननीय सदन दस करोड़ जनता और पूरे प्रदेश को प्रतिबिम्बित करता है।

श्री राममूर्ति—

जब मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ तो मैंने पूछ लिया था कि क्या इस बिल के लिये कोई समय निर्धारित है। मेरे पास लिखकर आया है कि कत्तई समय निश्चित नहीं है। तीसरे यह भी है कि कल भी विधायी कार्य चलेगा।

श्री राज बृजराज सिंह (जिला खीरी)—

यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस पर हमको भी समय दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

जैसा कि अधिष्ठाता महोदय ने कहा और जैसा कि राम मूर्ति जी ने कहा मैं भी कहता हूं कि अगर कोई युक्तिसंगत बात नहीं होगी और कोई बिल के बाहर जायेगा तो उसको हम देखेंगे। मेरा यह ख्याल है कि वन वाली बात तो आज नहीं है। सहकारिता में जो संशोधन दिया है, वह तो आज ही मिला है और वह संशोधन बंट नहीं सका है। इसलिये उसको कल लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त मेरे सामने कोई काम नहीं है। इन बिलों को कल ले लेंगे।

सहकारिता मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)—

अगर मेरी बात सुन लेंगे, तो यह आसान हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

सामान्य चर्चा तक तो हो सकती है और बाकी को कल लेंगे। वन मंत्री ने कहा है कि कुछ संशोधन करेंगे, इसलिये उसको कल तक के लिये रहने दिया जाय।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

सहकारिता बिल को आज ले तो लीजिये ही।

श्री मुहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

कार्य–मंत्रणा समिति में हमने गवर्नमेन्ट को यह कन्सेशन तो दिया था कि हम ले लेंगे। हम तो फिर कहते हैं कि निर्धारित समय के अन्दर सभी बिल पारित हो जायेंगे। इसके अलावा भी जब उनके चीफ व्हिप मंत्री जी के अनुसार जब गला घोंट देंगे, तब क्या रह जायेगा ?

श्री अध्यक्ष—

आपका गला नहीं घोटा जायेगा और जो तय हुआ है, उसके अनुसार ही कार्य होगा।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, इसके लिये कुछ समय तो निर्धारित कर दें।

श्री अध्यक्ष—

विधेयक के बारे में मैं ऐसी कोई पाबन्दी नहीं रखना चाहता हूं और इसके ऊपर कोई पाबन्दी लगाना उचित भी नहीं भी है। जो कोई बोलना चाहते हैं वे बोलें और अगर जरूरत होगी तो थोड़ा समय बढ़ा देंगे।

*श्री हरीश कुमार गंगवार (जिला बरेली)—

मान्यवर, अगर प्रजातंत्र में शासकीय पार्टी का प्रचन्ड बहुमत हो जाय तो वह एक बहुत ही निम्न स्तर की निरंकुश और बर्बर बन जाती है। अंग्रेजी में यह कहा गया है। डेमोक्रेसी विद आउट मेजारिटी इज वर्स देन टिरेनी।

श्री त्रिवेनी—

बिहार में आपका बहुमत था तो हमने आपकी बर्बरता देखी थी।

श्री अध्यक्ष—

सन् 56 में सबसे पहले श्री फिरोज गांधी की तरफ से लोक सभा में यह आया था जो कांग्रेस पार्टी में थे। अब उसका निरसन हो रहा है। इसमें कोई खतरा आप न देखें। हो सकता है कुछ दिन बाद फिर दूसरी बात सोची जाय। इसलिये सैद्धान्तिक मत बनिये, व्यावहारिक बनिये।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

व्यवहारिक ही हम हैं। बहुत दिनों से सुन रहा था "सजा वह देते हैं हर खता पर, सजा मिली है इस खता पर कि मेरी कोई खता नहीं है।" संस्कृत भाषा में एक श्लोक इस प्रकार है :—

"फलोद्गमैः नम्रास्तरवः भवन्ति।"

फल आ जाता है तो वृक्ष की डाली नीचे आ जाती है और ऐसी ही बादलों में पानी ज्यादा भर जाता है तो बादल नीचे लटक जाता है। लेकिन यहां सरकार को जिसका प्रचन्ड बहुमत है, हिन्दुस्तानी तौर तरीके से नीचे झुक कर चलना चाहिये था बजाय इसके वह निरंकुशता की ओर बढ़ रही है। यही पर परेशानी और दुख होता है। यदि कोई पहलवान पहलवानी करता हो और वह दारा सिंह बन जाय और वह दुनियां के पहलवानों को चैलेंज करे तो बात समझ में आती है लेकिन उस समय यह बात परेशानी की बायस हो जाती है जब वह घर से निकल कर रास्ते में हर बच्चे को मारता पीटता चले। इसी तरह से यह सरकार अगर बोलना बन्द कर दे तो यह शक्ति का दुरुपयोग ही कहलायेगा। इसको मदान्ध कहा जायगा। हमारे विचारों पर, अपनी बात को अभिव्यक्त करने के साधनों पर सरकार रोक लगा रही है तो इसे क्या कहा जायगा ? लोक सभा में इसका दो तिहाई से ज्यादा बहुमत है और यहां भी जो थोड़ी बहुत कमी थी वह कम्युनिस्ट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरीश कुमार गंगवार]
सदस्यों के मिल जाने से दूर हो गयी है और तफरका डालकर काफी सदस्यों को तोड़कर आपने भी प्रचन्ड बहुमत बना लिया है तब मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसे कानून के बनाने की क्या जरूरत पड़ गयी ? अगर कोई बोले और वह बात आपको आपत्तिजनक लगती है, तो उसे आप छपने न दें तो आपत्तिजनक का मापदंड भी आपके ही हाथ में है। यह मापदन्ड किसी स्वतंत्र संस्था के हाथ होता तो कोई आपत्ति की बात नहीं थी। कानून इसके लिये पहले से ही बना हुआ है। भारतीय दंड संहिता में प्राविधान है अगर कोई विद्वेष फैलाता है तो 153 ए है। यदि कोई मान हानि करता है तो धारा 500 है।

इस प्रकार आप प्रेस को भी कन्ट्रोल करते है, जनता को भी कंट्रोल करते है जो एक गलत बात है। प्रजातंत्र में विचारों को फैलाने के लिये विचारों को प्रसारित करना होता है उसके लिये भाषण के जरिये, बैठकों के जरिये और आंदोलनों के जरिये कोई भी आदमी अपनी बात कह सकता है। इसमें मान्यवर, प्रेस जो है सबसे बड़ा माध्यम होता है जनता को जागृत करने के लिये। जनता के विचारों से प्रेस के द्वारा बड़ा प्रतिनिधित्व मिलता है, एजूकेशन मिलती है, गाईडेंस मिलती है। श्रीमन्, सेंसर के जरिये, कानून बनाकर आप इसको दबाना चाहते हैं। आपने कुलदीप नैय्यर वाला केस पढ़ा होगा। उसने कोई भाषण नहीं दिया था केवल एक लेख लिखा था। उसके लेखों को मैं भी पढ़ता रहता हूं तो ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई आपत्तिजनक बात नहीं थी। आपत्तिजनक तो हमारे मन का भ्रम है जिसे हम चाहें आपत्तिजनक कह दें।

श्री अध्यक्ष—

यह इसका विषय नहीं है, उस विधेयक से यह भिन्न है। यह जो संरक्षण प्राप्त है, जिसके बारे में केन्द्र का ऐक्ट बन गया है, जिसका निरसन हुआ है। वही यहां किया जा रहा है।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

मैं तो उसी तक सीमित कर रहा हूं चूंकि यहां पर लोगों ने बहुत कुछ उधर से कहा है।

श्री अध्यक्ष—

मान लीजिये बहुत आपत्तिजनक बात न हो और वह न छपे तो उससे कोई लोकतंत्र समाप्त थोड़े हो जाता है। आपको यहां बोलने की स्वतंत्रता है। कोई आपत्तिजनक बात हो और उसे प्रेसवाले शायद न छापें। सेंसर वाली बात तो अलग है।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

उसका निर्णय कौन करेगा ? हां, उसके लिये कोई अलग से कोई बाडी बन जाय तो वह बात अलग है।

श्री रेवतीरमण सिंह—

मान्यवर, वह राइट आपको दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, हम नहीं लेते।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

यहां की बात नहीं है, आप जिसको कहेंगे नहीं छपे, हम मान लेंगे। लेकिन आज स्थिति यह हो गई है कि हम कहीं जाकर नहीं कर सकते हैं. . . . .

श्री अध्यक्ष—

वही मैं कह रहा हूं कि बाहर भाषण देने की बात अलग है।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

हम यहां जो बात कहते हैं वह भी हम बाहर नहीं कह सकते हैं कि हमने विधान सभा में यह कहा।

श्री अध्यक्ष—

उसमें यदि आपत्तिजनक कोई अंश है, तो उसको नहीं कह सकते हैं। बाकी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मैंने अमुक करावान के विरुद्ध यह कहा, या अधिनियम के विरुद्ध यह कहा, उससे आपको कोई रोकता नहीं है।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

मान्यवर, वही बात हुई कि आपत्तिजनक का निर्णय तो यही करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

दण्ड जो देगा, वह कौन होगा ? वही देगा जो सक्षम है।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

आज कल अखबारों में जो रिपोर्टिंग होती है, वह यह होती है कि फलां मेम्बर भी.....बोले। क्या बोले, कुछ नहीं छपता।

श्री अध्यक्ष—

जब वह ऐक्ट पास हो रहा था तो उस वक्त बहुत से समाचार पत्र वाले मेरे पास आये, उन्होंने कहा कि हम बोनाफाइड, सदस्यता से प्रतिवेदित करते ह। इसे कौन तय करेगा ? तो उस वक्त भी यह बात आई थी। यह विषय तो अलग है। यहां पर जो आपत्तिजनक बात हो, वह न छपे, उस पर प्रतिबंध रहे, यही है सिर्फ इसमें।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

श्रीमन्, मैं यह जानता हूं कि वह कोई चीज न छपे जिससे इस सदन की मानहानि हो, मानहानि दिखाई देती हो या सदन की गरिमा घटे। इसको मैं मानता हूं। लेकिन श्रीमन्, जिन चीजों को हम कह रहे हैं, ठीक हैं और आपकी दृष्टि में भी ठीक है वे मेरे अखबारों में नहीं छपने दी जाती। एमरजेंसी के पूर्व सभी अखबार छापते थे, किन्तु अब नहीं छापते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि 'आपत्तिजनक' पर कोई जज बैठे या आप ही बैठ जायं, जो इस विषय पर अपनी पक्षपात रहित राय दे। हमारी जिद तो वह मानी जाए जब हम कहें कि हमारी स्पीच वर्बेटिम छपे, या जिस तरह से हम चाहते हैं, उस तरह से पूरी की पूरी छपे।

श्री अध्यक्ष—

आपने अब भी समझा नहीं है, अब आप दूसरों को मौका दें। राममूर्ति जी ने जो कहा वह उन्होंने प्रसंग के भीतर रहते हुए कहा। आप जो बाहर सेंसरशिप लगी हुई है, उस पर कह रहे हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

नहीं, श्रीमन्, जो हमारी विधान सभा की कार्यवाही बाहर जाती है, वह भी सेंसर होती है, तब ही छपती है। मैं इसको समझ रहा हूं कि यह यहां की कार्यवाही के बारे में है।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, आप अपने को यहीं तक सीमित रखें। जब बजट आदि पर बोलें तो अन्य चीज इस संबंध में कहें।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

इसमें आपको क्या आपत्ति है कि यहां की कार्यवाही छपवाई जाए ? आपका हर जगह बहुमत है आप जो चाहें कहे और कर सकते हैं और आप वैसा कर भी रहे हैं, किन्तु यदि विरोध पक्ष का कोई सदस्य अपनी बात कहता है, आपकी गलती पर संकेत करता है, सुझाव देता है तो उनको छपने से आप क्यों रोकते हैं ? माननीय सदस्यों को बहुत तकलीफ हो रही है, जब मैं यहां कुछ कहता हूं। एक सज्जन ने कहा कि चौधरी साहब ने बहुत अपशब्द

[श्री हरीश कुमार गंगवार]

इस्तेमाल किए प्रधान मंत्री के बारे में। मुझे भी उस दिन 4 घंटे सदन में बैठने और उन्हें सुनने का अवसर मिला, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने सदैव आदरणीया बहिन या प्रधान मंत्री जी कहा। उन्होंने एसा कोई शब्द नहीं कहा, जिससे कोई उनकी मानहानि दिखाई देती हो, प्रधान मंत्री की शान में कोई गलत या अपमानजनक बात नहीं कही। एसा मेरा विश्वास है, क्योंकि उस दिन पूरे समय मैं बैठा रहा।

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इसमें जो 'आपत्तिजनक' कहा है, उस पर जरूर कोई अथारिटी बनाई जाए। श्रीमन्, आप ही बनके बैठ जाएं। जिससे विधान सभा की कार्यवाहियां बिना हमारे अधिकारों का हनन हुए सुचारुरूप से प्रकाशित हो सक और जो आपके माध्यम से जो यहां कहा जाता है, वह जनता तक जनता की आवाज पहुंच सके। हमको चुनने वाली जनता भी समझ सके कि हमने क्या कहा है।

श्री मोहम्मद शकील अहमद—

मान्यवर, जो बिल सरकार की तरफ से यहां आया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे दूसरे साथी और उनके नेता भोअज्जिज बुजुर्ग साथी राममूर्ति जी ने उस पर खूब प्रकाश डाला है। मैं समझ नहीं पाया कि वे क्या चाहते हैं? आखिर वे क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? उनक भाषण में बार-बार फ्रीडम आफ स्पीच, फ्रीडम आफ प्रेस और फण्डामेंटल राइट्स के शब्द ही सुनाई देते रहे और बार-बार इसकी दोहाई दी गयी, बीच बीच में अमरिका के डिमाक्रेसी और ब्रिटिश पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस की दोहाई तथा उसके कुछ रिफरेंसेज लाये गये। अगर इसको मान भी लिया जाय कि जिस अमेरिका की आपने दोहाई दिया है और जिस अमेरिका से आप गाइड हो रहे हैं उस अमेरिका के अन्दर क्या रहा है?

श्री अध्यक्ष—

आप—आप न कहिए। आप विरोधी दल या माननीय नेता कहिए।

श्री मोहम्मद शकील अहमद—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विरोधी दल के नेता से बतलाना चाहता हूं कि अमेरिका के अन्दर एक कानून पास हुआ उसमें से एक बहुत ऐतिहासिक कानून पास हुआ, उसके अन्दर एक दाढ़ी बढ़े हुए व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उसकी चूंकि दाढ़ी बढ़ी हुई थी, इसलिये उसको गिरफ्तार किया गया और उसको सजा भी दे दी गयी और अमेरिका का जो हाईयस्ट कोर्ट था उसने उसको सपोर्ट किया और यह कहा कि जो हुकूमत के आदेश का पालन नहीं करेगा उसको छूट नहीं दी जा सकती है। उसके ऊपर जो हाईयस्ट फेडरल कोर्ट प्रीवी कौंसिल था उसने भी इसको माना। आपने ललित बाबू को शहीद किया है इसलिये यह बिल लाया गया है।

1947 में जब यह देश आजाद हुआ कितने अखबार निकले हैं। जो लोकल अखबार थे और फसाद हुए हैं उन फसादों के अन्दर क्या-क्या नहीं छपे, इस देश के अन्दर। आप समझते हैं कि आपको सब चीज की आजादी दे दी जायगी। इसके पीछे कोई लाजिक नहीं है, लाजिक सिफ एक है कि आप असेम्बली को माध्यम बनाये हैं इस बात के लिये कि जो आपका राजनैतिक प्रोग्राम है और जो आपने अपना लक्ष्य मुकर्रर किया है इस वक्त आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय पूछना चाहता हूं कि इस वक्त असेम्बली की बड़ी दोहई दी जा रही है कि असेम्बली के अन्दर यह होना चाहिये, यह होना चाहिये। जब अकबर अली साहब गवर्नर थे तो यहां पर जूते तक फेंके गये, उस वक्त कोई नहीं बोले, उस वक्त ये राममूर्ति जी बिलकुल खामोश बैठे रहें, देखते रहें। उस समय इनको नहीं याद आया फ्रीडम आफ स्पीच और फ्रीडम आफ प्रेस। बार-बार कहा जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि आजादी इन्सान को इसलिये है कि वह समाज की रचना कर पाये इसलिये नहीं है

कि वह समाज को बरबाद कर पाये। आप कह रहे हैं कि हमको असेम्बली में तकरीर करने की आजादी नही है। अरे भाई घंटों तकरीर करते हैं कौन आपको रोकता है? इसलिये मैं समझता हूं कि यह बिल इसी स्थिति में लाया गया है, इस बैकग्राउन्ड में लाया गया है, जिसमें 26 जून को प्रधान मंत्री जी को इमरजेंसी की घोषणा करनी पड़ी, जिसमें इस प्रदेश के अन्दर जो जो चीजें हुईं, जो-जो साजिशें हुईं कि किस प्रकार से यहां पर शांति भंग करने की कोशिश की गई। क्या क्या मन्सूबे हुए और वे मन्सूबे नहीं पूरे हुए। तो कई दल मिल कर एक दल, लोक पक्ष के नाम से बना रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री त्रिवेनी—

मान्यवर, अब साढ़े चार बज गये हैं।

श्री अध्यक्ष—

साढ़े चार बज गया।

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर मुझे थोड़ा सा समय दे दें।

श्री अध्यक्ष—

अगर कोई नयी बात कहनी है, तब बेशक कहें।

श्री रेवती रमण सिंह—

मैं केवल 5 मिनट लूंगा।

श्री अध्यक्ष—

मैं 5 मिनट नहीं 50 मिनट दूंगा, लेकिन आप नयी बात कहें। दुहरावें नहीं।

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, यह बिल जो लाया गया है मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। अगर यह बिल काला बिल कहा जाये तो अतिशयोक्ति न होगी। यह बहुत ही नाकिस बिल है। इसको अगर देखा जाये तो मालूम हो जायेगा कि यह प्रेस की आजादी समाप्त करने जा रहे हैं। प्रेस का गला घोट दिया गया है। विरोध पक्ष की कोई भी बात छपती नहीं है उनकी बातें जनता तक पहुंचती ही नहीं हैं। सदन में जो यह बिल लाया गया है उसका मोटिव ठीक नहीं है जो चीज विरोध पक्ष कहेगा उसको यह कह देंगे कि यह आपत्तिजनक है और वह छप नहीं सकेगा। मान्यवर, आपने देखा ही होगा कि चौधरी साहेब 4 घंटे तक बोले लेकिन अखबार में एक वाक्य मे कह दिया गया। यह उदाहरण है। यह बिल इसीलिए लाया गया है।

श्री त्रिवेनी—

मान्यवर, यह उन्हीं बातों को दुहरा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप उनको बोलने दीजिए या आप ही सदन को चलायें यह तो था और इसके बावजूद भी 2 लाइने छाप दीं, उससे और इससे कोई सम्बन्ध नहीं।

श्री रेवती रमण सिंह—

प्रेस सेन्सरशिप है तो बिल लाने की कौन सी जरूरत पड़ गयी? इसी बिल को माननीय नारायण दत्त जी ने प्रतिष्थापित किया था अब कौन सा वातावरण बन गया है जिससे इस बिल को लाने की जरूरत पड़ गयी। देखने म तो यह बिल बहुत ही छोटा है लेकिन इससे प्रेस के अधिकार समाप्त हो जायेंगे। आपत्तिजनक बात का फैसला कौन करेगा? इमरजेन्सी में इस बिल को लाये हैं जिससे जो बात यहां पर विरोधी पक्ष के लोग कहें वह छपे नहीं। हाउस में जो कहा जाये वह भी न छपे, प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है। पाकिस्तान, बंगलादेश और हिन्दुस्तान में कोई फर्क नहीं रह जायेगा।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी—

इन्दिरा गांधी में इतनी ताकत है कि इसे बंगलादेश और पाकिस्तान नहीं बनने देंगी ।

श्री रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, आपके माध्यम से मेरी प्रार्थना है कि इस बिल को जल्दी से पास न करके प्रवर समिति के विचारार्थ भेज दिया जाय जो विस्तृत रूप से इस पर विचार कर लें और फिर यह सदन के सामने रखा जाय। आपका सदन में भी बहुमत है और प्रवर समिति में भी। इसकी अहमियत को देखते हुए मेरी प्रार्थना है कि इसे जल्दबाजी में पास न किया जाय।

*श्री राज ब्रज राज सिंह—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस समय सदन में जो मसला पश है वह हमारे राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक जीवन से सम्बन्ध रखता है। हमारे देश में महात्मा गांधी, फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी हुई हैं यह बिल वर्ष 1956 में लोक सभा में आया था। 20 साल का समय बीत गया। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा था कि एक साल में बड़ा क्रान्तिकारी परिवर्तन हो गया है। लेकिन इसे 20 वर्ष हो गये हैं। इस पर 20 वर्ष पहले बहस हुई थी। श्री फिरोज गांधी ने इस पर अमेंडमेंट पेश किया था। इस बारे में लोकसभा में जो बहस हुई, उसे मैं पढ़ देता हूं।

श्री अध्यक्ष—

जो आप कह रहे हैं, वह ठीक है। पढ़ने की क्या आवश्यकता है ?

श्री राज ब्रज राज सिंह—

पार्लियामेन्ट की प्रोसीडिंग के पृष्ठ 7380 दिनांक 4 मई, 1956 पर दिया हुआ है कि :

Sri Feroz Gandhi—I beg to move as:

"That the bill, as amended, be passed."

Sri Deputy Speaker—The question is

"that the Bill, as amended, be passed"

The motion was adopted.

Sri Deputy Speaker—The question is—

"That the Bill protects the Publication of reports of proceedings of Parliament, State Legislatures and their Committees, as reported by the Select Committee, be taken into consideration."

This motion was also adopted.

मैं, मान्यवर, एक बहुत ही गम्भीर प्रश्न उठाना चाहता हूं। लोक सभा में जब यह एमेंडमेंट आया तो इस प्रकार की प्रक्रिया रही है कि इसे प्रवर समिति को सौंपा गया और उसके बाद यह सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। मेरी प्रार्थना है कि यहां भी जो संशोधन पेश हुए हैं. . . . .

श्री अध्यक्ष—

ऐक्ट का मलतब ही है कि सारी प्रक्रिया पूरी करते हुये वह अधिनियम बना। इसको बताने से क्या लाभ ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राज ब्रज राज सिंह--

मैं एक प्वाइंट आफ आर्डर बताना चहता हूं। ला आफ पार्लियामेंटरी प्रोसीडिंग्स इन इण्डिया। पार्लियामेन्ट के स्पीकर जिस तरह से संशोधन को स्वीकार कर सकते हैं तो उस प्रक्रिया के आधार पर, हम बहुमत में नहीं है, लेकिन जो हमारी बात सही है और जिसके लिये कांग्रेस के हमारे बहुत से भाई राजी हैं और हमारे कम्युनिस्ट भाइयों ने भी जिसका समर्थन किया है क्या बहुमत के अभाव में हम उसको ठुकरा सकते हैं? क्या यह प्रजातंत्र है? आपने जो प्रश्न उठाया था, मैं पूछना चाहता हूं कि हमारे सामने कौन सा तरीका है कि हम जो ठोस सुझाव देते हैं. . . . ..

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं कि वह क्या कह रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री राज ब्रज राज सिंह--

बहुत से लोग उधर से जो कहते हैं वह समझ में नहीं आता फिर भी आप उनको बोलने का मौका देते हैं। आपने एक शंका उठाई कि कौन सा ऐसा तरीका है कि हम जो जनता के प्रतिनिधि चुन कर आये हैं हमारी बात जनता तक पहुंच सके। पार्लियामेंटरी प्रोसीडिंग्स को अगर छपवायें और छपवा कर सर्कुलेट करें तो क्या यह अच्छा होगा?

श्री अध्यक्ष--

मैंने कोई सुझाव नहीं दिया है।

श्री राज ब्रज राज सिंह--

आपने प्रश्न उठाया था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है।

श्री राज ब्रज राज सिंह--

मैं 22 जून के प्रकाशन को पढ़ना चाहता हूं।

एक सदस्य--

मान्यवर, अखबार तो पढ़ा ही नहीं जाता है, विधान सभा में।

श्री अध्यक्ष --

अब अखबार क्या पढ़ेंगे आप? आज सवाल यह है कि अखबार किस पार्टी का है यह इस पर निर्भर करता है क्या बात कहता है। मेरी समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है। सब कागजात एक-एक कर के दिखा दें, बस खत्म कर दें।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है।

श्री त्रिवेणी सहाय--

इनके कहने का यह मतलब है. . . . . .

श्री अध्यक्ष --

यहां दुभाषिए की जरूरत नहीं है।

(व्यवधान)

श्री राज ब्रज राज सिंह--

अनुच्छेद 194 में पावर्स एंड प्रिविलेजेज दिये हुये हैं।

श्री अध्यक्ष—

वह अलग सवाल है, उसे आप क्या पढ़ने जा रहे हैं ?

श्री राज ब्रज राज सिंह—

आप सुन तो लीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

आप बठें । आपकी बात मैं नहीं समझ रहा हूं और मैं नहीं समझता कि सदन भी समझ रहा है ।

श्री राज ब्रज राज सिंह—

आपने 5 मिनट का समय दिया था ।

श्री अध्यक्ष—

समय इतना फालतू नहीं है । मैं समझूं भी तो कि आप क्या कह रहे हैं ?

श्री राज ब्रज राज सिंह—

आप समझने की कोशिश तो करें तब तो समझ में आय । अनुच्छेद 194 के (4) में दिया हुआ है :

"The provisions of Clauses (1), (2) and (3) shall apply in relation to persons who by virtue of this Constituition have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, a House of the Legislature of a State or any Committee there of as they apply in relation to members of that Legislature."

यह कांस्टीट्यूशन सस्पेंड तो नहीं हुआ है । हमारा यह संसदीय अधिकार है, इसको आप देखें । मान्यवर, सन् 1974 में इस विधान सभा की कार्यवाही को छापने की सुरक्षा प्रदान की गयी थी और आज दो साल बाद उस सुरक्षा को निरस्त करने का विधेयक यहां पेश किया जा रहा है । आज हम बतलाइये कि यह प्रजातंत्र है, या एकतंत्र है ? क्या यही जनतंत्र है ? क्या हम अपनी बात को कहने और उसको जनता तक पहुंचाने का अधिकार नहीं रखते ? यदि हम विपक्ष के लोग यहां बैठ कर अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा सकते तो फिर हमारा यहां बैठना और इसमें शरीक होना केवल समय को बर्बाद करना है । सदन में जो हम लोग विपक्ष में बैठे हैं वे जब कोई तर्कसंगत बात कहें और उनका प्रकाशन न हो तो यह उचित नहीं है । आप हमारी बातों को प्रकाशित कराने की कृपा करें और यदि ऐसा नहीं करते तो आपकी मर्जी है, आप बहुमत में हैं, आप जो चाहें, सो करें ।

एक सदस्य—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य की आवाज न हम लोगों की समझ में आ रही है और न आपकी समझ में ही आ रही होगी ।

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, मैं सारे माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से और काफी पढ़ लिख कर इसपर चर्चा की । यह ऐक्ट जो इस वक्त रिपील किया जा रहा है, 1974 में लाया गया था । उससे पहले यहां लेजिस्लेचर से पास नहीं था, सेंटर में 1956 में पास हुआ था । इसमें बहुत से फंडामटल प्रिंसिपुल्स पर रोशनी डाली गयी है और बहुत से सवाल उठाये गये हैं कि आजादी क्या है, और किस प्रकार देश का ढांचा चल रहा है और इस बिल के पास होने पर क्या खतरा हो जायेगा । यह भी कहा गया कि यह काला कानून है । सबसे पहला सवाल इस बात का है कि इस बिल को, और इन परिस्थितियों को तथा मौजूदा हालात को लाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है ? यह फसला करना होगा । यह फैसला करना होगा कि कहीं पर शान्ति भंग होती है, तो उस शान्ति भंग का उत्तर-

दायित्व किसके ऊपर है ? अगर कहीं कर्फ्यू लगाया जाता है तो कर्फ्यू लगाने की उत्तरदायी परिस्थितियों का उत्तरदायित्व किस पर है, यह देखा जाता है। जो दश और प्रदेश की हालत थी उस पर मैं रोशनी डाल कर सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता। देश के अंदर जो परिस्थितियां पैदा हो गयीं थीं वह समान्य नहीं कहीं जा सकती थीं। इसीलिये उन पर रोक लगायी गयी। श्रीमन्, आपको याद होगा, जिस समय बिहार में आंदोलन चल रहा था तो मुझे इत्तफाक से पटना जाने का मौका मिला। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां हर चीज नार्मल थी। पर जब मैं दूसरे दिन लखनऊ में आया तो पता चला पटना आन फायर, पटना जल रहा है। तो मेरी समझ में नहीं आया कि इतनी जल्दी यह हालात कैसे हो गये। तो इसी तरीके की खबरें अखबारों में निकाली जायेंगी, ऐसी चीजें की जायंगी तो देश की सुरक्षा के लिये ऐसी चीजें लाभदायक नहीं हो सकतीं,ऐसी चीजों को समाप्त करना होगा।

श्रीमन्, आब्जेक्शनेबुल मैटर की बात की गयी। कौन सी चीजें एतराज की हो सकती हैं ? तो जो चीजें देश की सुरक्षा के लिये ठीक नहीं हो सकतीं, जैसे बहुत से मजहबों के बीच में खाई, पैदा करना और ऐसी परिस्थितियां पैदा करना जिसके अन्दर स्ट्राइक हो, खाने पीने की चीजों की कमी पैदा की जाय, इस तरह की जो चोजें हैं वह देश के लिये, देश की सुरक्षा के लिये किसी तरह से ठीक नहीं कही जा सकतीं। ऐसे लोग जो ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहे थे उनको ऐसा करने से रोकने की जरूरत थी। श्रीमन्, आजादी है। आजादी बहुत अच्छी चीज है लेकिन आजादी का मतलब यह नहीं होता है कि हमारे ऊपर कोई पांबंदी ही न हो। हमें बोलने की आजादी है लेकिन इस तरह से बोलना कि दूसरे की आवाज सुनाई न दे, इसको आजादी नहीं कहा जासकता। आजादी के यह माने नहीं हैं। हमारे इस तरह आजादी के इस्तेमाल से दूसरे की आजादी और देश की आजादी खतरे में पड़े जाती है तो इस तरह की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसी तरह से इस सदन में ब्रिटिश पार्लियामेंट का जिक्र किया गया। फ्रीडम आफ स्पीच है, लेकिन इसके साथ-साथ पार्लियामेन्ट के बाहर कोई ऐसी बात नहीं कही जा सकती, उनको रेस्ट्रेंट (restraint) के साथ कहेंगे। मैंने इन्ट्रोड्यूज किया था ऐसे केसेज भी हुये हैं सदन के अन्दर कुछ बातें कहीं गयीं और उनको छपवा कर बंटवा दिया गया। कुछ केसेज में मुकदमा भी चला है और जुर्माना भी हुआ है। सदन के अन्दर बहुत सी बातें कहीं जातीं हैं लेकिन वह बातें अगर बाहर कह दी जायं तो उनसे खतरा भी पैदा हो सकता है। श्रीमन्, जैसा कहा गया कि यह काला कानून है तो कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई रोक लगायी जा रही है। मैं समझता हूं कि जिन चीजों से देश की शांति व्यवस्था को खतरा पहुंचता हो उन चीजों का प्रकाशन होना उचित नहीं है। तो श्रीमन्, मैं माननीय सदस्य से जिन्होंने अमेंडमेंट मूव किया है उनसे दरख्वास्त करूंगा कि इसको वापस ले लें। यह ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर इतनी चिंता की जाय। 1974 में यह कानून लगाया गया था। मौजूदा परिस्थितियों में इसको वापस लिया जा रहा है। जब ऐसी परिस्थितियां आयेंगी, शांति व्यवस्था ठीक होंगी, देश की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होगा, परिस्थितियां सामान्य होगी तो इसके ऊपर दोबारा ख्याल किया जा सकता है। इस बिल को लाने से कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे कोई आजादी खत्म की जा रही है। मैं फिर निवेदन करूंगा कि इसको वापस ले लें और इसे पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

वापस ले रहे हैं ?

श्री रेवती रमण सिंह—

वापस नहीं ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) (निरसन) विधेयक, 1976 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, जो अपना प्रतिवेदन 15 दिन में सदन में प्रस्तुत करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) (निरसन) विधेयक, 1976 को दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति को सौंप दिया जाय जो एक सप्ताह में सदन को अपना प्रतिवेदन दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) (निरसन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 2, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) (निरसन) विधेयक, 1976

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) अधिनियम, 1974 को निरस्त करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) (निरसन) अधिनियम, 1976 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32, 1974 का निरसन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) अधिनियम, 1974 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है:—

परन्तु ऐसे निरसन से,—

(क) उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी प्रकाशन के, जो ऐसे प्रारम्भ के पूर्व किया गया हो, या

(ख) उक्त अधिनियम की धारा 4 में निर्दिष्ट माध्यम से, ऐसे प्रारम्भ के पूर्व, प्रसारित कोई रिपोर्ट या सामग्री के,

सम्बन्ध में सिविल या दाण्डिक, किसी कार्यवाही पर (चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व विचाराधीन हो या ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् संस्थित या प्रारम्भ की जाय) कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और तद्नुसार ऐसी किसी कार्यवाही का निस्तारण उसी प्रकार किया जायगा, मानों उक्त अधिनियम का प्रवर्तन जारी हो और यह अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया हो।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) (निरसन) विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल की कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) (निरसन) विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

सहकारिता मंत्री।

श्री शांति प्रपन्न शर्मा—

मान्यवर, अब 5 मिनट रह गये हैं इसलिये कल लें।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है।

नियम 51 के अन्तर्गत कोई सूचना नहीं है।

अब हम उठते हैं और कल फिर 11 बजे पूर्वान्ह बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 54 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रि। सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
1 अप्रैल, 1976

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 29 का उत्तर पीछे पृष्ठ 805 पर।)

मैं राम चन्द्र सिंह यादव बयान करता हूं कि मेरा एक ट्यूब वेल बिलराम में है जिसका ट्रान्सफार्मर अक्तूबर, 1974 में चोरी चला गया था। इसके बाद उसको एल0 टी0 लाइन में बदल दिया गया इस कार्य में कुछ देरी अवश्य हुई है परन्तु मुझसे किसी विभागीय कर्मचारी ने कोई रिश्वत आदि नहीं मांगी। यह बयान मैंने अपनी इच्छा से दिया है।

ह0 राम चन्द्र सिंह,
बिलराम,
28-7-1975

यह बयान रामचन्द्र सिंह ने दिए हैं इसकी तसदीक करता हूं।

ह0 योगेन्द्र कुमार पे0 मे0
28-7-75।

Statement taken by me in the presence of Sri R. C. Sharma.

S.D.O. IV
Sd./ R. C. Sharma
28-7-75
S.D.O. IV

D/D C.P.S. Pundhin
28-7-75
Executive Engineer.

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 811 पर।)

इस स्कीम के अन्तर्गत निम्नलिखित लाइनें बनाई जानी थीं :—

i—(1) झींझक—कुन्डौली-मुन्डौली
(2) मुन्डेरा—रानीपुर, रसूलाबाद
(3) किशोरा—तेजपुर
(4) असालतगंज—बनी पारा महाराज
(5) असालतगंज—पूरनपुरवा
(6) असालतगंज—अजानपुर-इन्दौली

उपरोक्त लाइनों में निम्नलिखित लाइनें बन गई हैं :

(1) झींझक—कुन्दौली मुन्डौली
(2) मुन्डेरा—रानीपुर–रसूलाबाद
(3) किशोरा—तेजपुर
(4) असालतगंज—पूरनपुरवा
(5) असालतगंज—बनी पारा महाराज।

ii—इन लाइनों में निम्नलिखित गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है :

(1) मुन्डेरा, किरन सिंह, (2) चिखिरी, (3) शहपुर, (4) परिजनी, (5) बांध (6) रानीपुर रसूलाबाद, (7) अनन्तपुर ढोकट, (8) औरंगाबाद हिरनअन्सा, (9) औरंगाबाद डालचन्द, (10) औरंगाबाद मोलाहुलास, (11) मंगलपुर, (12) परौली, (13) सबलपुर, (14) सिकहिला, (15) कुन्डौली मुन्डोली, (16) औरंगाबाद झारा, (17) रामपुर टप्पावार, (18) जगदीशपुर, (19) पपारी पटरहोर, (20) लक्षमनपुर, (21) नारखास, (22) नारकुल, (23) सरहर मऊ, (24) तेजपुर, (25) जिस्तामऊ, (26) मलखानपुर, (27) अमरहिया, (28) भैंसाइया, (29) गहलू, (30) कठारा, (31) रमैया, (32) पूरनपुरवा, (33) सिठाई, (34) उसरी, (35) बिहरा, (36) असालगंज, (37) हिलेपुर, (38) बहादुरपुर, (39) पहाड़ीपुर, (40) अटियारायपुर, (41) कंजी खुर्द, (42) दहेली, (43) मलकापुरा, (44) सातनपुरवा, (45) मकरनपुर कनैरी, (46) मिथरोसपुर कैंजरी, (47) भीक देव, (48) कपरहज, (49) सिमरामऊ, (50) अपौना (51) भौनारा, (52) जाजमोइया, (53) उसकापुरवा।

उपरोक्त स्कीम के अन्तर्गत निम्नलिखित ग्रामों का विद्युतीकरण हो गया है :—

(1) असालत गंज, (2) कपरहट, (3) छतरसा, (4) भीकदेव, (5) जिनई पुरवा, (बनी पारा महराज), (6) जमनी निवादा (पुरवा रसूलाबाद), (7) दसहरा–सुजानपुर।

सम्पूर्ण स्कीम की रूप-रेखा निम्न प्रकार है :—

(1)	ग्रामों का विद्युतीकरण	94
(2)	कृषि हेतु विद्युत् कनेक्शन	544
(3)	निजी उपयोग हेतु विद्युत् कनेक्शन ..	194
(4)	विद्युत् बत्ती पंखा हेतु कनेक्शन	1,659
(5)	सड़कों पर प्रकाश हेतु बल्ब . ..	1,000
(6)	11,000 बोल्ट की मुख्य लाइनों का विस्तार	75.30 कि0 मी0
(7)	11,000 के0 वी0 स्पर लाइनों का विस्तार	90.54 कि0 मी0
(8)	3 फेस एल0 टी0 लाइनों का विस्तार	211.70 कि0 मी0
	1 फेस एल0 टी0 लाइनों का विस्तार	17.90 कि0 मी0

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 811 पर।)

उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग—3

संख्या 7505 (एच0आई0)/36-3-105(एच0आई0)-74

लखनऊ, 29 दिसम्बर, 1975

अधिसूचना

विविध

चूंकि 28 अक्तूबर, 1975 को लखनऊ में हुए राज्य श्रम त्रिदलीय सम्मेलन (चीनी उद्योग) में राज्य के वैकुअम पान चीनी कारखानों में सेवायोजित मजदूरों के आनुतोषिक के प्रश्न पर भी विचार विमर्श किया गया था,

और, चूंकि, उद्योग तथा मजदूरों के प्रतिनिधियों ने इस प्रश्न पर एक समझौता कर लिया,

और, चूंकि, राज्य सरकार की राय में सार्वजनिक सुविधाओं को सुनिश्चित करने और जन व्यवस्था तथा जन-जीवन के लिए आवश्यक सम्भरण तथा सेवाओं को बनाए रखने और सेवायोजन के अनुरक्षण के लिए उस समझौते को लागू करना आवश्यक है,

अतएव, अब, संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, सन् 1947 ई0 (संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट सं0 28, 1947) की धारा 3 खण्ड (ख) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित आदेश देते ह और उक्त ऐक्ट की धारा 19 के अभिदेश में यह निदेश देते हैं कि इस आदेश की सूचना सरकारी गजट में प्रकाशित करके दी जाएगी।

आदेश

1—पेमेन्ट आफ ग्रेच्युटी ऐक्ट, 1972 की धारा 2(सी) के प्राविधानों के अधीन रहते हुए वैकुअम पान चीनी कारखानों के मजदूरों को सेवा निवृत्त होते समय आनुतोषिक का भुगतान निम्नलिखित दर से किया जायगा :—

(क) स्थायी मजदूर जिन्होंने अपने पूरे सेवा काल में स्थायी मजदूर के रूप में कार्य किया है।	अन्त में प्राप्त वेतन पर आधारित प्रत्येक संपूरित वर्ष की सेवा तथा उसके किसी भाग के लिये जो 6 माह से अधिक हो, 15 दिन का संहत वेतन।
(ख) ऐसे स्थायी मजदूर जिन्होंने शुरू के सेवाकाल में सामयिक मजदूर के रूप में कार्य किया हो और बाद में स्थायी हो गए हों :—	
(1) स्थायी मजदूर के रूप में कार्यकाल का —	अन्त में प्राप्त वेतन पर आधारित प्रत्येक संपूरित वर्ष की सेवा तथा उसके किसी भाग के लिए जो 6 माह से अधिक हो, 15 दिन का संहत वेतन।

(2) सामयिक मजदूर के रूप में कार्य काल का—पूरे सामयिक मजदूर के रूप में कार्यकाल के आधे समय का 15 दिन का संहत वेतन के आधार पर तथा शेष आधे समय का 7 दिन का संहत वेतन के आधार पर।

(ग) सामयिक मजदूर — अन्त में प्राप्त वेतन पर आधारित प्रत्येक सीजन का 7 दिन का सहत वेतन।

2—पेमेन्ट आफ ग्रेच्युटी ऐक्ट, 1975 की धारा 3 की उपधारा (5) के प्राविधान लागू रहेंगे।

3—अधिसूचना सं0 5959(एच0आई0)/36-3-101(एच0आई0)-74, दिनांक 31 अक्तूबर, 1974 में दिए गए आदेश उक्त परा 1 व 2 में दिए गए आदेशों के अनुसार परिष्कृत समझे जायेंगे और एतद्द्वारा उस प्रकार परिष्कृत किए जाते हैं।

4—यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से प्रवृत्त होगा और इसके अन्तर्गत आने वाले विषयों के सम्बन्ध में वैकुअम पान चीनी कारखानों तथा उनमें सेवायोजित मजदूरों पर चार वर्ष की अवधि के लिए बन्धनकारी होगा।

आज्ञा से,
गिरिजा प्रसाद पाण्डे,
आयुक्त एवं सचिव।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 813 पर।)

सूची

क्रम-संख्या	योजना का नाम	आरम्भ होने का वर्ष	लाभान्वित ग्राम	लाभान्वित जन-संख्या
1	2	3	4	5
1	बिल्हौर ..	1967	बिल्हौर ..	12,600
2	बिठूर ..	1967	बिठूर ..	3,400
3	अमरौधा ..	1969	अमरौधा ..	6,500
4	अकबरपुर ..	1973	अकबरपुर .	15,000
5	रूरा ..	1974	रूरा ..	10,000
6	झींझक ..	1975	झींझक ..	7,000
7	घाटमपुर ..	1971	घाटमपुर ..	7,000
8	गौसगंज ..	1971	गौसगंज ..	7,500

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिए पीछे पृष्ठ 813 पर)

उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिये बाध्य करना) विधेयक, 1976

(जसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

कतिपय विभागीय जांच में साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर होने और दतस्तावेज पेश करने के लिये बाध्य करना) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।]

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 17 सितम्बर, 1975 से प्रवृत्त समझा जायगा।

विभागीय जांच, जिन पर अधिनियम लागू होगा

2—इस अधिनियम के उपबन्ध उस व्यक्ति के सम्बन्ध में की गयी प्रत्येक विभागीय जांच पर लागू होंगे :—

(क) जो व्यक्ति राज्य की किसी असैनिक सेवा के सदस्य हैं या राज्य के अधीन किसी असैनिक पद को धारण करते हैं;

(ख) जो व्यक्ति निम्नलिखित की सेवा में हैं या उनके अधीन कोई पद धारण किए हुए हैं :—

(1) कोई स्थानीय प्राधिकारी ;

अधिनियम संख्या 1, 1956

(2) राज्य सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण का कोई बोर्ड या निगम (जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अर्थान्तर्गत कोई कम्पनी न हो) ;

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 के अर्थान्तर्गत कोई सरकारी कम्पनी, जिसमें राज्य सरकार समादत्त अंश-पूंजी के पचास प्रतिशत से अन्यून को धारण किए हैं या ऐसी सरकारी कम्पनी की समनुषंगी कोई कम्पनी ;

अधिनियम संख्या 21, 1860

(4) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी, जिसके शासी निकाय में, सोसाइटी के नियमों या विनियमों के अधीन, पूर्णतया लोक अधिकारी या राज्य सरकार के नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति, या दोनों हैं ;

(ग) जो व्यक्ति खण्ड (क) या खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी सेवा के सदस्य या किसी पद के धारण करने वाले न रह गए हों, उनके उस समय के कार्य या लोप के सम्बन्ध में जब कि वे ऐसी सेवा के सदस्य या ऐसे पदों के धारण करने वाले थे।

परिभाषायें

3—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए—

(क) "विभागीय जांच" का तात्पर्य धारा 2 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोपों की जांच से है, जो :—

(i) राज्य विधान मन्डल द्वारा बनाई गई किसी विधि या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम ; या

(ii) संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन बनाए गए, या अनुच्छेद 313 के अधीन जारी रखे गए किसी नियम;

के अधीन और अनुसार की जायं ;

(ख) "जांचकर्ता प्राधिकारी" का तात्पर्य किसी ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी से है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या नियम के द्वारा या अधीन विभागीय जांच करने के लिए सशक्त हैं, और उसके अन्तर्गत वह अधिकारी या प्राधिकारी भी है, जिसको सक्षम प्राधिकारी ने ऐसी जांच करने की शक्ति प्रतिनिहित कर दी है ;

(ग) "आरोप" के अन्तर्गत कोई ऐसा अभिकथन भी है जिसके सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध, जब वह सेवा में हो या जब वह कोई पद धारण करता हो, अनुशासनिक कार्यवाही करना प्रस्तावित हो या जहां वह सेवा में न रह गया हो या पद न धारण कर रहा हो, वहां कोई दुराचरण या उपेक्षा भी है, जिसके कारण पेन्शन को या उसके किसी भाग को रोकने या वापस लेने के लिए या सेवायोजक की किसी आर्थिक हानि को पेन्शन से वसूल करने के लिये उसके विरुद्ध कार्यवाही करना प्रस्तावित हो ।

प्राधिकृत जांचकर्ता प्राधिकारी की साक्षियों को हाजिर कराने और दस्तावेज प्रस्तुत कराने की शक्ति

4—(1) प्रत्येक जांचकर्ता प्राधिकारी को निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में वही शक्ति होगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद पर विचार करते समय किसी सिविल न्यायालय में निहित है, अर्थात् :— अधिनियम संख्या 5, 1908

(क) किसी साक्षी को समन करना और उसे हाजिर होने के लिए बाध्य करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज या अन्य सामग्री को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना जो साक्ष्य के रूप में पेश किए जाने योग्य हो ;

(ग) किसी विशेषाधिकार की अभ्यर्थना के अधीन (जिसके सम्बन्ध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 123 और 124, आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगी किन्तु उसकी धारा 162 लागू न होगी), किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अभियाचना करना । अधिनियम संख्या 1, 1872

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकृत जांचकर्ता प्राधिकारी रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, स्टेट बैंक आफ इण्डिया (सब्सिडियरी बैंक) ऐक्ट, 1959 की धारा 2 के खण्ड (के) में यथापरिभाषित किसी समनुषंगी बैंक, या बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 के अधीन गठित किसी समरूपी नए बैंक को :— ऐक्ट संख्या 38, 1959 अधिनियम संख्या 5, 1970

(क) कोई लेखा बही या अन्य दस्तावेज को, जिसे रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, स्टेट बैंक आफ इण्डिया, समनुषंगी बैंक या समरूपी नया बैंक गोपनीय प्रकार का होने का दावा करें, पेश करने, या

(ख) ऐसी किसी बही या दस्तावेज को विभागीय जांच की कार्यवाहियों के अभिलेख का अंग बनाने ; या

(ग) ऐसी किसी बही या दस्तावेज को, यदि पेश किया जाय, अपने समक्ष किसी पक्षकार को या किसी अन्य व्यक्ति को निरीक्षण कराने ; के लिए बाध्य नहीं करेगा।

(3) किसी साक्षी की हाजिरी या किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा जारी की गई कोई आदेशिका या तो सीधे (डाक द्वारा या सन्देशवाहक द्वारा) या उस जिला न्यायाधीश के माध्यम से तामील और निष्पादित की जा सकती है, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर वह साक्षी या अन्य व्यक्ति जिस पर आदेशिका तामील या निष्पादित की जानी है, स्वेच्छा से निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता हैं।

(4) जहां कोई आदेशिका, उपधारा (3) के अनुसार जिला न्यायाधीश के माध्यम से तामील या निष्पादित की जाय वहां वह, उसकी अवज्ञा के लिए कोई कार्यवाही करने के प्रयोजनार्थ, जिला न्यायधीश के न्यायालय द्वारा जारी की गई आदेशिका समझी जायगी।

अधिनियम संख्या 5, 1908

(5) जहां कोई आदेशिका उत्तर प्रदेश डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स (एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्युनल) रूल्स, 1947 के अधीन गठित किसी अधिकरण द्वारा जारी की जाय, और उसको जिला न्यायाधीश के माध्यम से प्रेषित किए बिना तामील और निष्पादित किया जाय, वहां ऐसी किसी आदेशिका की अवज्ञा के लिए कोई कार्यवाही करने के प्रयोजनार्थ अधिकरण को वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की प्रथम अनुसूची में आदेश 16 के नियम 10 से 18 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं।

अधिनियम संख्या 2, 1974

(6) इस अधिनियम के अधीन विभागीय जांच करने वाला प्रत्येक जांचकर्ता प्राधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346 के प्रयोजनार्थ सिविल न्यायालय समझा जायगा।

क्षेत्रीय सीमायें जिन में धारा 4 विनिर्दिष्ट शक्ति का प्रयोग कियने जा सकेगा

5—धारा 4 में विनिर्दिष्ट शक्ति का प्रयोग करने के प्रयोजनार्थ, प्रत्येक प्राधिकृत जांचकर्ता प्राधिकारी की क्षेत्रीय अधिकारिता इस अधिनियम के विस्तार-पर्यन्त क्षेत्रीय सीमाओं तक विस्तृत होगी।

नियम बनाने की शक्ति

6—राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1953

7—(1) उत्तर प्रदेश अनुशासनीय कार्यवाही (साक्षियों को बुलाने तथा लेख्यों को प्रस्तुत करने का) अधिनियम, 1953, दिनांक 17 सितम्बर, 1975 से निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1, 1976

(2) उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(3) ऐसे निरसन या 1976 के उपर्युक्त अध्यादेश द्वारा उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना) अध्यादेश, 1975 के निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समान उपबन्ध के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायगी, मानों यह अधिनियम सभी सारभूत दिनांकों पर प्रवृत था।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश अनुशासनीय कार्यवाही (साक्षियों को बुलाने तथा लेख्यों को प्रस्तुत कराने का) अधिनियम, 1953 के अधीन किसी सरकारी सेवक के आचरण के सम्बन्ध में विभागीय जांच के संचालन के लिए सरकार या सरकार के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किसी जांच करने वाले अधिकारी को साक्षियों को बुलाने और लेख्यों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने की शक्ति थी। परन्तु यह अधिनियम स्थानीय निकाय, परिनियत निकाय और सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य निकायों के कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच करने के सम्बन्ध में लागू नहीं होता। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम से अवकाश प्राप्त कर्मचारियों के विरुद्ध संचालित जांच में पेन्शन को रोकना या वापस लेना या आर्थिक हानि को पेन्शन से वसूल करना नियन्त्रित नहीं होता। अतएव, 1953 के अधिनियम को किसी अधिक व्यापक विधि द्वारा प्रतिस्थापित करना आवश्यक समझा गया था।

चूंकि राज्य विधान मन्डल सत्र में नहीं था इसलिए उक्त प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए 17 सितम्बर, 1975 को उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना) अध्यादेश, 1975 राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया था।

इस बीच 30 नवम्बर, 1975 को राष्ट्रपति शासन आरोपित किया गया था और 5 जनवरी, 1976 को संसद का सत्र प्रारम्भ होने के कारण उक्त अध्यादेश 16 फरवरी, 1976 को प्रवृत्त न रह जाता। अतएव, उसे 16 फरवरी, 1976 को प्रख्यापित उत्तर प्रदेश विभागीय जांच (साक्षियों को हाजिर होने और दस्तावेज पेश करने के लिए बाध्य करना) अध्यादेश, 1976 द्वारा निरसित तथा प्रतिस्थापित किया गया जिसमें औपचारिक प्रकार के कुछ छोटे-मोटे संशोधन किए गए थे।

तदनुसार यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश संख्या 1, 1976 को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

नारायण दत्त तिवारी,
मुख्य मन्त्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिए पीछे पृष्ठ 814 पर)

उत्तर प्रदेश मादक पान (आपत्तिजनक विज्ञापन) विधेयक, 1976

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

चल चित्र प्रदर्शन द्वारा और सार्वजनिक स्थानों में दीवालों, भवनों तथा विज्ञापन-पटों पर मादक पान के विज्ञापन को प्रतिषिद्ध करने तथा उससे सम्बद्ध बिषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मादक पान (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1976 कहा जाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 1 नवम्बर, 1975 से प्रवृत्त समझा जायगा।

परिभाषाएं

2—इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "विज्ञापन" के अन्तर्गत कोई मुद्रित, साइक्लोस्टाइल, टाइप किया हुआ, हाथ से लिखा हुआ या रंग से तैयार किया हुआ पदार्थ या रेखांकन या चित्रांकन है और ऐसे पदार्थ, रेखांकन या चित्रांकन का किसी सार्वजनिक स्थान में किसी दीवाल, भवन या विज्ञापन पट पर वितरण या प्रदर्शन अथवा चलचित्र प्रदर्शन, निआन साइन या अन्य प्रकार से प्रकाश या ध्वनि उत्पन्न या प्रसारित करके प्रख्यापन भी है ;

(ख) "आबकारी निरीक्षक" या अन्य "आबकारी अधिकारी" का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 10 के अधीन नियुक्त आबकारी निरीक्षक या अन्य आबकारी अधिकारी से है ; संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4; 1910

(ग) "मादक पान" के अन्तर्गत औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 मे यथा परिभाषित औषधि नहीं है । अधिनियम संख्या 23; 1940

मादक पान सम्बन्धी विज्ञापनों का प्रतिषेध

3—कोई भी व्यक्ति किसी मादक पान के उपयोग के लिये निवेदन या उसे विक्रय के लिए प्रस्तुत करने वाला कोई विज्ञापन न तो प्रकाशित करेगा और न प्रकाशित करायेगा।

स्पष्टीकरण—किसी ऐसे भू-गृहादि में, जहां मादक पान बनाया या बेचा जाता हो या बेचने के लिए प्रस्तुत किया जाता हो, किसी ऐसे साइन बोर्ड को, जिस पर केवल यह इंगित हो कि उस भू-गृहादि में ऐसा मादक पान बनाया या बेचा जाता है या बेचने के लिए प्रस्तुत किया जाता है, और ऐसे भू-गृहादि में रखे गए या अनुरक्षित ऐसी मादक पान के सूचीपत्र या मूल्य सूची को उक्त विज्ञापन का प्रकाशन नहीं माना जाएगा।

उपधारणा

4—जहां धारा 3 का उल्लंघन करके मादक पान सम्बन्धी कोई विज्ञापन प्रकाशित किया गया हो, वहां यह उपधारणा की जाएगी कि जब तक इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय, जिस व्यक्ति की ओर से उसका प्रकाशन अभिप्रेत है; उस व्यक्ति ने उस विज्ञापन को प्रकाशित किया या कराया है।

5—(1) इस निमित्त बनाये गये किसी नियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई भी आबकारी अधिकारी, जो आबकारी निरीक्षक के पद से नीचे का न हो,—

सारवान वस्तुओं का जिसमें प्रकाशित विज्ञापन हो, निरीक्षण और अभिग्रहण करने की शक्ति

(क) किसी ऐसे स्थान में, जहां उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है, ऐसी सहायता के साथ यदि कोई हो, जिन्हें वह आवश्यक समझे, किसी समय जो युक्तियुक्त हो, प्रवेश कर सकता है और तलाशी ले सकता है ;

(ख) किसी विज्ञापन के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किसी वस्तु को जिसके बारें में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि उससे इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन होता है, अभिगृहीत और निरुद्ध कर सकता है;

(ग) खण्ड (क) में उल्लिखित किसी स्थान में पाए गए किसी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या कोई अन्य सारवान वस्तु की, यदि उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि उससे इस अधिनियम के अधीन दन्डनीय कोई अपराध किए जाने का साक्ष्य मिल सकता है, परीक्षा कर सकता है और उसे अभिगृहीत कर सकता है।

(2) जहां कोई अधिकारी उपधारा (1) के अधीन कोई सम्पत्ति अभिगृहीत करता है, वहा ऐसे अभिग्रहण की सूचना तुरन्त मजिस्ट्रेट को दी जाएगी, और उसकी अभिरक्षा और निस्तारण के सम्बन्ध में दन्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 34 के उपबन्ध, उसमें निर्दिष्ट सम्पत्ति पर जिस प्रकार लागू होते हैं, उसी प्रकार लागू होंगे।

अधिनियम संख्या 2, 1974

शास्ति

6—धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति को सिद्धदोष होने पर कारावास का, जो छः मास तक का हो सकता है, अथवा जुर्माना का, अथवा दोनों दन्ड दिया जायगा।

कम्पनियों द्वारा अपराध

7—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो वह कम्पनी और अपराध करने के समय उस कम्पनी के कार्य-संचालन का प्रभारी और उसके लिए कम्पनी के प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के लिए अपराधी माना जाएगा और तदनुसार कार्यवाही किए जाने और दन्ड दिए जाने का भागी होगा :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबन्धित किसी दण्ड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिये सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जब कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह साबित हो जाय कि वह अपराध उस कम्पनी के किसी प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की सम्मत्ति या मौनानुमति से किया गया है, या उसकी उपेक्षा के कारण हुआ है तो कम्पनी का वह प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के लिए अपराधी माना जाएगा और तदनुसार कार्यवाही किए जाने और दन्ड दिए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है, और उसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है ; तथा

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में, "निदेशक" का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

अपराधों का अन्वेषण

8—(1) कोई आबकारी अधिकारी, जो आबकारी निरीक्षक के पद से नीचे का न हो, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण कर सकता है जो उस क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत किया गया हो, जिसमें वह अधिकारिता का प्रयोग करता है, और ऐसे अन्वेषण के बारे में उसकी शक्ति वही होगी, जो पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी की दन्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 12 के उपबन्धों के अधीन संज्ञेय मामले में होती है और वह विशेषतया किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना उक्त अन्वेषण कर सकता है। अधिनियम संख्या 2, 1974

(2) अन्य बातों में, गिरफ्तारी, तलाशी, तलाशी वारन्ट, गिरफ्तार व्यक्तियों की पेशी और अपराधों के अन्वेषण से सम्बन्धित उक्त संहिता के उपबन्ध, यथासम्भव, इस अधिनियम के अधीन उनके सम्बन्ध में की गई सभी कार्यवाहियों पर लागू होंगे।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए परित्राण

9—इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिये आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

अपराधों का शमन करने की शक्ति

10—(1) जिला मजिस्ट्रेट किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विरुद्ध इस बात का युक्तियुक्त सन्देह हो कि उसने इस अधिनियम के अधीन दन्डनीय कोई अपराध किया है, ऐसे अपराध के लिए, जिसके बारे में यह सन्देह हो कि उस व्यक्ति ने किया है शमन स्वरूप ऐसी धनराशि, जिसे वह उचित समझे, ले सकता है।

(2) जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी धनराशि का भुगतान करने पर संदिग्ध व्यक्ति, यदि अभिरक्षा में हो, उन्मोचित कर दिया जायगा और उसके विरुद्ध कोई अन्य कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(3) इस धारा के उपबन्ध वहां भी लागू होंगे जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अभियोजन या किसी अपराध के लिए दोष-सिद्धि के विरुद्ध कोई अपील विचाराधीन हो, और ऐसे मामले में इस धारा के अधीन ऐसे अपराध के शमन के फलस्वरूप वह अभियुक्त, जिसके प्रति अपराध का शमन किया जाय, दोष मुक्त हो जाएगा।

नियम बनाने की शक्ति

11—राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

निरसन और अपवाद

12—(1) उत्तर प्रदेश मादक पान (आपत्तिजनक विज्ञापन) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6, 1976

(2) ऐसे निरसन या 1976 के उपर्युक्त अध्यादेश द्वारा उत्तर प्रदेश मादक पान (आपत्तिजनक विज्ञापन) अध्यादेश, 1975 के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेशों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायगी, मानों यह अधिनियम सभी सारभूत, समय पर प्रवृत्त था। उ0 प्र0 अध्यादेश संख्या 33, 19

उद्देश्य और कारण

मदिरापान के दोष से, विशेषत : पिछड़े तथा निर्धन वर्ग के लोगों में उसके प्रचार और उनकी आर्थिक स्थिति पर उसके कुप्रभाव से हम भली भांति परिचित हैं। संविधान के अनुच्छेद 47 में यह व्यवस्था है कि राज्य सरकार मादक पेयों तथा औषधियों के उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगी। पूर्ण नशाबन्दी की दिशा में एक अग्रतर प्रयास के रूप में राज्य सरकार ने किसी मादक पान के उपयोग के लिए निवेदन या उसे विक्रय के लिए प्रस्तुत करने वाले समस्त विज्ञापनों को तुरन्त रोक देने का निश्चय किया ।

2—चूंकि राज्य विधान मन्डल सत्र में नहीं था इसलिए उपर्युक्त प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए 25 अक्तूबर, 1975 को उत्तर प्रदेश मादक पान (आपत्तिजनक विज्ञापन) अध्यादेश, 1975 राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया था।

3—इस बीच 30 नवम्बर, 1975 को राज्य में राष्ट्रपति शासन आरोपित किया गया था और 5 जनवरी, 1976 को संसद का सत्र प्रारम्भ होने के कारण उक्त अध्यादेश, 16 फरवरी, 1976 को प्रवृत्त न रह जाता। अतएव, उसे उत्तर प्रदेश मादक पान (आपत्तिजनक विज्ञापन) अध्यादेश, 1976 द्वारा, 16 फरवरी, 1976 को निरसित तथा प्रतिस्थापित किया गया।

4—यह विधेयक उक्त अध्यादेश संख्या 6, 1976 को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

स्वामी प्रसाद सिंह,
आबकारी मन्त्री।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'छ'

(देखिए पीछे पृष्ठ 814 पर)

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) (पुनः अधिनियमन और वैधीकरण) विधेयक, 1976

उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अधिनियम, 1972 को पुनः अधिनियमित और विधिमान्य करने के लिए

विधेयक

चूंकि लोकहित में यह समीचीन है कि देशी शराब के सम्बन्ध में लाइसेन्स दिये जाने की विद्यमान प्रणाली को विदेशी शराब के सम्बन्ध में लाइसेन्स देने के लिए आवश्यक परिष्कारों सहित अंगीकार करने की व्यवस्था की जाय;

और चूंकि उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अध्यादेश, 1972 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 13, 1972) को, जिसे उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1972) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शिवपत राय और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में दिए गए निर्णय में जो, 1972 इलाहाबाद ला जर्नल रिपोर्ट्स 1,000 में संप्रकाशित है, राज्य विधान मण्डल की सक्षमता के बाहर निर्णीत किया था;

और चूंकि बाद में नसिरवर और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में जो आल इण्डिया रिपोर्टर, 1975, सुप्रीम कोर्ट, 360 में संप्रकाशित है, उच्चतम न्यायालय ने इस बात की पुष्टि की है कि राज्य विधान मन्डल की विदेशी शराब रखने और बेचने का अधिकार या विशेषाधिकार देने के लिए सार्वजनिक नीलाम करने के लिए उपबन्ध बनाने की शक्ति है ;

और चूंकि उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, 1972) को निरसित और पुन : अधिनियमित करना आवश्यक हो गया है ;

अतएव, भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) (पुन : अधिनियमन और वैधीकरण) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30; 1972 का पुन : अधिनियमन

2—उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अधिनियम, 1972 एतद्द्वारा, दिनांक 16 अगस्त, 1972 से निरसित और इस परिष्कार के साथ पुन : अधिनियमित किया जाता है कि संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 24-क में, जैसी कि वह 1972 के उक्त अधिनियम द्वारा बढ़ायी गयी है, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्,—

"(1) धारा 31 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, आबकारी आयुक्त, किसी व्यक्ति को, किसी क्षेत्र में —

(क) थोक या फुटकर विक्रेता को, थोक बिक्री द्वारा, या

(ख) दुकानों पर (केवल भू-गृहादि के बाहर उपभोग के लिए) फुटकर बिक्री द्वारा,

विदेशी शराब बेचने के एकान्तिक विशेषाधिकार के लिए लाइसेन्स या लाइसेन्सों को स्वीकृत कर सकता है।"

3—मूल अधिनियम की धारा 40 में— धारा 40 का संशोधन

(क) उपधारा (1) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड जोड़ दिया जाएगा, अर्थात् —

"प्रतिबन्ध यह है कि यह समझा जायगा कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, द्वारा बनायी गई उत्तर प्रदेश सरचार्ज शुल्क प्रणाली के अन्तर्गत अनुज्ञापन नियमावली, 1962, जैसा कि वह समय-समय पर आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा संशोधित की गयी ह, जब तक कि राज्य सरकार इस धारा के अधीन उसका परिवर्तन, निरसन या संशोधन न करे, उसी प्रकार विधिमान्य और प्रभावी है और सर्वदा रही है, मानों उक्त नियमावली राज्य सरकार के द्वारा इस धारा के अधीन विधिवत्, बनायी गयी हो; ";

(ख) उपधारा (2) में, खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् —

"(ग) अपील या पुनरीक्षण प्रस्तुत करने के लिए रीति और ऐसे अपील और पुनरीक्षण के निस्तारण की प्रक्रिया विहित करना ; "।

बैधीकरण

4—किसी न्यायालय के किसी प्रतिकूल निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अधिनियम, 1972 के किसी उपबन्ध के अधीन किया गया या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्य और की गयी या की जाने के लिए तात्पर्यित कोई कार्यवाही विधिमान्य समझी जायगी और सदैव से विधिमान्य होगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

उ0प्र0 अध्यादेश संख्या 15, 1976

निरसन और अपवाद

5—(1) उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) (पुनः अधिनियमन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, यह समझा जायगा कि उपर्युक्त अध्यादेश के अधीन जो कार्य किया गया है या कार्यवाही की गयी है, वह इस अधिनियम के तदनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया है या की गयी है, मानों यह अधिनियम 28 फरवरी, 1976 को प्रवृत्त हो गया था।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अध्यादेश, 1972 को, जिसे उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन) अधिनियम, 1972 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य विधान मण्डल की सक्षमता के बाहर निर्णीत किया था। किन्तु, उच्चतम न्यायालय ने, बाद में, एक अन्य मामले में इस बात की पुष्टि की कि राज्य विधान मन्डल को विदेशी शराब रखने और बेचने का अधिकार या विशेषाधिकार देने के लिए सार्वजनिक नीलाम करने के लिए उपबन्ध बनाने की शक्ति है।

2—चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था, अतः इस प्रयोजन के लिए राज्यपाल ने 28 फरवरी, 1976 को उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) (पुनः अधिनियमन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1976 प्रख्यापित किया।

3—उत्तर प्रदेश सरचार्ज शुल्क प्रणाली के अन्तर्गत अनुज्ञापन नियमावली, 1968 को और इसके अधीन की गयी कार्यवाही को विधिमान्य करने के लिए संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 की धारा 40 को भी संशोधित करना आवश्यक समझा गया है।

4—तदनुसार उपर्युक्त अध्यादेश का स्थान ग्रहण करने, और उपर्युक्त पैरा 3 में उल्लिखित प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए यह विधयक पुरःस्थापित किया जाता है।

स्वामी प्रसाद सिंह,
आबकारी मन्त्री।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ज'

(देखिए पीछे पृष्ठ 815 पर।)

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1976

संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 का अग्रेतर संशोधन और उसके अधीन आरोपित कतिपय करों का विधिमान्य करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा। — संक्षिप्त नाम

2—संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान अधिनियम 1939 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, प्रस्तावना में शब्द "मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल की फुटकर बिक्री" के स्थान पर शब्द "मोटर, स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल की बिक्री या क्रय" रख दिये जायंगे और दिनांक 23 अप्रैल, 1974 से रखे गये समझे जायेंगे। — संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 1, 1939 की प्रस्तावना का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जायगी और दिनांक 23 अप्रैल, 1974 से रखी गयी समझी जायगी, अर्थात् — — धारा 3 का संशोधन

"(1) दिनांक 2 मई, 1974 से—

(क) राज्य में मोटर स्प्रिट या डीजल आयल की प्रथम बिक्री पर, मोटर स्प्रिट की स्थिति में 25 पैसे प्रति लीटर और डीजल आयल की स्थिति में 10 पैसे प्रति लीटर की दर से कर आरोपित किया जायगा, और ऐसे कर का भुगतान ऐसी बिक्री करने वाले व्यापारी द्वारा, नियत रीति से किया जायगा,

(ख) राज्य में अलकोहल के प्रथम क्रय पर प्रथम दस लाख लीटर के लिये 40 पैसे प्रति लीटर की दर से और शेष के लिए 20 पैसे प्रति लीटर की दर से कर आरोपित किया जायगा जो क्रेता द्वारा देय होगा, और जिसका संग्रह और भुगतान नियत रीति से राज्य सरकार को किया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि किसी व्यापारी द्वारा मोटर स्प्रिट या डीजल आयल की कोई बिक्री, जो राज्य में उसकी प्रथम बिक्री दिनांक 2 मई, 1974 को या उसके पश्चात् हो, इस बात के होते हुये भी कि वह उक्त दिनांक के पूर्व राज्य के भीतर बिक्री के किसी अन्य संव्यवहार का विषय रही हो, इस उपधारा के प्रयोजनार्थ राज्य में उसकी प्रथम बिक्री समझी जायगी।"

उद्देश्य और कारण

प्रशासकीय दृष्टि से यह समयोचित है कि अलकोहल को संयुक्त प्रान्त मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान अधिनियम, 1939 के क्षेत्रान्तर्गत लाया गया था और राज्य में अलकोहल की प्रथम बिक्री पर 40 पैसे प्रति लीटर की दर से उस पर बिक्री-कर आरोपित करने का उपबन्ध बनाया गया था। उच्च न्यायालय ने अलकोहल की बिक्री पर कर आरोपण को अधिकारातीत घोषित कर दिया। इस कारण राजस्व की कोई हानि न हो, इसे बचाने की दृष्टि से यह प्रस्ताव है कि राज्य में अलकोहल के प्रथम क्रय पर प्रथम दस लाख लीटर के लिए 40 पैसे प्रति लीटर की दर से और दस लाख लीटर से अधिक किसी मात्रा पर 20 पैसे प्रति लीटर की दर से कर आरोपित किया जाय।

2--उपर्युक्त प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

स्वामी प्रसाद सिंह,
आबकारी मन्त्री।

विधान सभा सदस्य पुस्तकालय

नत्थी 'झ'

(देखिए पीछे पृष्ठ 815 पर।)

उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्था (प्रबन्ध हाथ में लेना) विधेयक, 1976

विधि विरुद्ध संगठनों या उनके सदस्यों या समर्थकों द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चलाई जाने वाली शिक्षा संस्थाओं के प्रबन्ध को, लोकहित में, अपने हाथ में लेने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

चूंकि केन्द्रीय सरकार के आदेश संख्या एस0 ओ0-306(ई), दिनांक 3 जुलाई, 1975 द्वारा केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है कि कतिपय संगठनों पर जिसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नामक संगठन भी सम्मिलित है, डिफेन्स ऐण्ड इन्टरनल सिक्यूरिटी आफ इन्डिया रूल्स, 1971 का नियम 33 लागू होगा;

और चूंकि यह विदित है कि उक्त संगठन अर्थात् राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ या उसका सदस्य या समर्थक अनुसूची में विनिर्दिष्ट शिक्षा संस्थायें, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चला रहे हैं ;

और चूंकि उक्त संगठन और उससे सम्बन्धित व्यक्तियों, स्थानों और निधियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के फलस्वरूप उक्त संस्थाओं के प्रबन्ध में व्यवधान पड़ गया था और इस बात की आशंका थी कि उक्त शिक्षा संस्थाओं के लगातार चलते रहने में व्यवधान पड़ने की सम्भावना है;

और चूंकि उक्त शिक्षा संस्थाओं में उचित रूप से शिक्षा दिये जाने को बनाये रखने और उक्त संस्था की विचाराधारा से उन्हें दूषित न होने देने की दृष्टि से राज्य सरकार ने अपने अधिकारियों के माध्यम से, जुलाई, 1975 के पश्चात् विभिन्न दिनांकों को, उक्त शिक्षा संस्थाओं का प्रबन्ध अपने हाथ से ले लिया ;

और चूंकि उक्त शिक्षा संस्थाओं में, इस प्रकार उनके प्रबन्ध को हाथ में लिए जाने के पूर्व, दी जाने वाली औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा उनमें पढ़ने वाले बच्चों को गुमराह करने वाली और उनके सम्वेदनशील मस्तिष्क में साम्प्रदायिकता की भावना पैदा करने वाली थी, और इस बात की आशंका है कि यदि ऐसी शिक्षा को जारी रखने की अनुज्ञा दी जाती है तो वह भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच ऐक्य बनाए रखने के प्रतिकूल हो सकती है और उनमें भावनात्मक एकीकरण की प्रक्रिया मन्द हो जायगी;

और चूंकि इस बात की आशंका है कि अन्य संगठन जिन पर डिफेन्स ऐण्ड इन्टरनल सिक्यूरिटी आफ इण्डिया रूल्स, 1971 का उक्त नियम, 33 लागू होता है, या उनके सदस्य या समर्थक भी ऐसी शिक्षा संस्थायें चलाते हुए पाए जायें, जिनमें दी जाने वाली औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा उनमें पढ़ने वाले बच्चों को उसी प्रकार गुमराह करे और उनके सम्वेदनशील मस्तिष्क में धर्म निरपेक्षता के और विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच भावनात्मक एकीकरण के राष्ट्रीय उद्देश्यों के प्रतिकूल भावना पैदा करें।

और चूंकि तद्नुसार यह लोक-हित में है कि अस्थायी अवधि के लिए उपर्युक्त शिक्षा संस्थाओं का प्रबन्ध हाथ में ले लिया जाय ;

अत: भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्था (प्रबन्ध हाथ में लेना) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 28 फरवरी, 1976 से प्रवृत्त समझा जायगा।

परिभाषाएं

2—इस अधिनियम में :—

(क) "नियत दिनांक" का तात्पर्य—

(एक) अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी शिक्षा संस्था के सम्बन्ध में, प्रारम्भ में, इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से है;

(दो) किसी ऐसी शिक्षा संस्था के सम्बन्ध में जिसे बाद में धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, गजट में ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से है;

(ख) "अनुसूचित संस्था" का तात्पर्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट शिक्षा संस्था से है, जो ऐसी संस्था है जिसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से,—

(एक) राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नामक संगठन या उसके सदस्यों या समर्थकों द्वारा, चाहे शिशु शिक्षा प्रबन्ध समिति, उत्तर प्रदेश नामक सोसाइटी के माध्यम से या किसी अन्य सोसाइटी या निकाय के माध्यम से, या

(दो) किसी अन्य संगठन द्वारा जिस पर तत्समय डिफेन्स एन्ड इन्टरनल सिक्यूरिटी आफ इण्डिया रूल्स, 1971 का नियम 33 लागू होता है, या उसके सदस्यों या समर्थकों द्वारा,

चलाया जा रहा था या भविष्य में पाया जाय कि चलाया जा रहा है।

अनुसूचित संस्थाओं का प्रबन्ध राज्य सरकार में निहित होगा

3—(1) नियत दिनांक की ओर से सभी अनुसूचित संस्थाओं का प्रबन्ध उस दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए राज्य सरकार में निहित होगा ;

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उपर्युक्त अवधि को एक बार में एक वर्ष या कम समय के लिए बढ़ा सकती है, किन्तु इस प्रकार बढ़ाई गयी कुल अवधि का योग दो वर्षों से अधिक नहीं होगा।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अनुसूची में कोई अन्य शिक्षा संस्था सम्मिलित कर सकती है जिसके सम्बन्ध में उसका यह समाधान हो जाय, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा या किसी अन्य संगठन द्वारा जिस पर उस समय डिफेन्स ऐन्ड इन्टरनल सिक्यूरिटी आफ इण्डिया रूल्स, 1971 का नियम 33 लागू होता हो, या उनके सदस्यों या समर्थकों द्वारा चलाया जाता है और गजट में ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर अनुसूची की तदनुसार संशोधित समझा जायगा।

(3) ऐसी अनुसूचित संस्थाओं की स्थिति में जिनका प्रबन्ध डिफेन्स एन्ड इन्टरनल सिक्यूरिटी आफ इण्डिया रूल्स, 1971 के अधीन निर्गत या निर्गत के रूप में तात्पर्यित किसी आदेश के अनुसरण में इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक या किसी अन्य अधिकारी द्वारा हाथ में ले लिया गया हो, यह समझा जायगा कि उसे उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन लिया गया है और ऐसी अनुसूचित संस्थाओं का प्रबन्ध इस धारा के अधीन राज्य सरकार में निहित समझा जायगा मानो यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

परन्तु 28 फरवरी, 1976 के पूर्व राज्य सरकार में संस्थाओं का प्रबन्ध जिस अवधि में इस प्रकार निहित था, वह अवधि ऐसे दिनांक से एक वर्ष की अवधि और उपधारा (1) में उल्लिखित वृद्धि की अधिकतम अवधि के अतिरिक्त होगी।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात्, सम्बद्ध संस्था का प्रबन्ध उस सोसाइटी या अन्य निकाय को प्रत्यावर्तित हो जायेगा जिससे संस्था का प्रबन्ध लिया गया था :

परन्तु राज्य सरकार ऐसी संस्था का प्रबन्ध ऐसे निकाय को देने के पूर्व अपेक्षा कर सकती है कि ऐसे निकाय के सदस्य ऐसी कार्यवाही, जैसी विनिर्दिष्ट की जाय, जिसके अन्तर्गत, यदि आवश्यक हो, उसके शासी निकाय का पुनर्गठन भी है, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से करेंगे कि ऐसे प्रत्यावर्तन के पश्चात् शिक्षा संस्था में जो शिक्षा दी जायगी वह धर्म निरपेक्षता के राष्ट्रीय उद्देश्यों और विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों के बीच भावनात्मक एकीकरण के अनुरूप होगी।

(5) शंकाओं के निवारण के लिए एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है कि किसी प्रकार का कोई प्रतिकर या कोई अन्य राशि ऐसी सोसाइटी या अन्य निकाय को, जिसकी कोई अनुसूचित संस्था हो, उसके ऐसे प्रबन्ध के सम्बन्ध में जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उपर्युक्त अस्थायी अवधि के लिए राज्य सरकार के पास रहे, देय नहीं होगी।

जिला विद्यालय निरीक्षक या किसी अन्य अधिकारी को अनुसूचित संस्था का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के लिए प्राधिकृत करने की राज्य सरकार की शक्ति

4—(1) राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, जिला विद्यालय निरीक्षक या किसी अन्य अधिकारी या (जिसे यहां आगे "प्राधिकृत अधिकारी" कहा गया है) किसी अनुसूचित संस्था का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने के लिए प्राधिकृत कर सकती है और इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी राज्य सरकार के अधीक्षण और निदेश में ऐसी संस्था का प्रबन्ध करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश निर्गत किए जाने पर, अनुसूचित संस्था के प्रबन्ध का प्रभार प्राधिकृत अधिकारी में निहित होगा, और ऐसे आदेश के निर्गत होने के ठीक पूर्व ऐसी अनुसूचित संस्था का प्रबन्ध के प्रभारी समस्त व्यक्ति ऐसे प्रबन्ध के प्रभारी नहीं रहेंगे और वे अपनी अभिरक्षा में ऐसी संस्था से सम्बद्ध समस्त आस्तियां, लेखा-बही, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज प्राधिकृत अधिकारी को देने और उसके सम्बन्ध में उसके द्वारा निर्गत किसी अन्य निदेश का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे :

परन्तु यदि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व किसी अनुसूचित संस्था का प्रबन्ध पहले से ही जिला विद्यालय निरीक्षक या किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी के पास हो तो यह समझा जायगा कि वह इस धारा के अधीन ऐसे अधिकारी में इस प्रकार निहित हो गयी है मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था और ऐसा अधिकारी इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत था।

(3) विशेषतः और उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रबन्ध की शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकृत अधिकारी को अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करने और उनकी सेवा समाप्त करने की शक्ति, और अनुसूचित संस्था से अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के विषय में अनुशासनिक शक्ति भी होगी, जिसमें उनको पदच्युत या निलम्बित करने की शक्ति, अनुसूचित संस्था से आसन्न या विन्यासित सम्पत्तियों का प्रबन्ध करने की शक्ति, अनुसूचित संस्था से गैक लेखा को चलाने की शक्ति, और अनुसूचित संस्था के छात्रों से फीस वसूल करने की शक्ति भी सम्मिलित है।

शास्तियां

5—यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् :—

(क) प्राधिकृत अधिकारी को ऐसे प्रबन्ध के सम्बन्ध में जिसके लिए ऐसा अधिकारी प्राधिकृत किया गया है, अनुसूचित संस्था के सम्बन्द्ध अपनी अभिरक्षा की कोई अरित, लेखा-बही, रजिस्टर या कोई अन्य दस्तावेज देने में असफल रहता है, या

(ख) ऐसी अनुसूचित संस्था की किसी सम्पत्ति को रखे रहे या उसे हटाता या नष्ट करता है, या

(ग) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्गत किसी निदेश का अनुपालन नहीं करता है,

तो वह ऐसी अवधि के लिए जो तीन वर्ष तक हो सकती है, कारावास से या जुर्माने से जो दो हजार रुपए तक हो सकता है, या दोनों से दन्डनीय होगा।

अध्यापकों की नियुक्ति समाप्त करना

6—(1) किसी अन्य अवधि या किसी संविदा या अन्य लिखत में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि किसी अनुसूचित संस्था के किसी अध्यापक का सेवा में पूर्ववत बना रहना इस अधिनियम के प्रयोजनों के प्रतिकूल है, तो वह, किसी समय, कोई कारण दिए बिना, नोटिस द्वारा उसकी सेवा समाप्त कर सकती है।

(2) ऐसी नोटिस की अवधि तीन मास या उस अध्यापक पर लागू सेवा की शर्तों में, यदि कोई हो, विनिर्दिष्ट अवधि, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु किसी ऐसे अध्यापक की सेवा ऐसे नोटिस के बिना या अपेक्षाकृत अल्प नोटिस पर समाप्त की जा सकती है और ऐसी समाप्ति पर अध्यापक, यथास्थिति, नोटिस की अवधि के लिए या नोटिस तीन महीने से जितनी कम हो, उतनी अवधि के लिए अपने वेतन और भत्ते की, यदि कोई हो, उस दर पर, जिस पर उसे ऐसी समाप्ति के ठीक पूर्व पा रहा था, राशि के बराबर धनराशि की मांग अनुसूचित संस्था से करने का हकदार होगा।

(3) राज्य सरकार आदेश द्वारा निदेश दे सकती है कि उपधारा (1) द्वारा उसे प्रदत्त शक्ति का, ऐसी परिस्थितियों में, और ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हों, जैसी निदेश में विनिर्दिष्ट की जायं, प्रयोग या निर्वहन इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किया जायगा।

(3) किसी अनुसूचित संस्था के अध्यापक या अन्य कर्मचारी की सेवा की समाप्ति का कोई आदेश जो अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व किसी प्राधिकृत अधिकारी द्वारा दिया गया या दिया गया तात्पर्यित हो, उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा सम्यक्रूप से दिया गया समझा जायगा मानों वह उपधारा (2) के अधीन दिए गए आदेश द्वारा इस निमित्त सम्यक्रूप से प्राधिकृत था, और उसे विधिमान्य समझा जायगा, भले ही उपधारा (1) या उपधारा (2) में उपबन्धित नोटिस न दी गयी हो और भले ही कोई अन्य औपचारिक त्रुटि हो :

परन्तु प्रत्येक ऐसा अध्यापक या अन्य कर्मचारी जिसकी सेवा इस प्रकार समाप्त की जाय अनुसूचित संस्था से उपधारा (2) में उल्लिखित धनराशि की मांग करने का हकदार होगा।

सद्भावना से की गयी कार्यवाही संरक्षण

7—(1) किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी कार्य के लिए जो इस अधिनियम या उसके अधीन निर्गत किसी आदेश या निदेश के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(2) राज्य सरकार के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य से जो इस अधिनियम के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो या किया जाना आशयित हो या किया गया समझा जाय, उत्पन्न या सम्भावित किसी क्षतिपूर्ति के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

उ0 प्र0 अध्यादेश सं0 14; 1976

निरसन तथा अपवाद

8—(1) उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्था (प्रबन्ध हाथ में लेना) अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के तदनरूप उपबन्धों के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायगी, मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

अनुसूची

आगरा मण्डल

1—आगरा . . 1—सरस्वती विद्या मन्दिर, इन्टर कालेज, आगरा।
2—सरस्वती शिशु मन्दिर, सुभाष पार्क, रकाबगंज, आगरा।
3—सरस्वती विद्या मन्दिर, अशोक नगर, लोहा मन्डी, आगरा।
4—सरस्वती विद्या मन्दिर, कृष्ण गौशाला, शाहगंज, आगरा।
5—सरस्वती विद्या मन्दिर, फिरोजाबाद, आगरा।
6—सरस्वती मान्टेसरी स्कूल, विजय नगर कालोनी, आगरा।

2—अलीगढ़ . . 1—सरस्वती शिशु मन्दिर, धुरिया बाग, अलीगढ़।
2—सरस्वती शिशु मन्दिर, सिकन्दराराव, अलीगढ़।

3—एटा . . 1—राव महेन्द्र पाल सिंह सरस्वती शिशु मन्दिर, बिलरामगेट, कासगंज, एटा।
2—सरस्वती शिशु मन्दिर, गंजडुंडवारा, एटा।
3—सरस्वती शिशु मन्दिर, मरहरा गेट, एटा।

4—मैनपुरी . . 1—सरस्वती विद्या मन्दिर, स्टेशन रोड, मनपुरी।
2—शिशु मन्दिर पूर्व माध्यमिक विद्यालय, मैनपुरी।
3—सरस्वती शिशु मन्दिर, शिकोहाबाद, मैनपुरी।
4—सरस्वती शिशु मन्दिर, बेबर, मैनपुरी।

5—मथुरा . . 1—शिशु मन्दिर, किशन गंगा लाल दरवाजा, मथुरा।
2—सरस्वती शिशु मन्दिर, चोर घाट, वृन्दावन, मथुरा।
3—सरस्वती शिशु मन्दिर, बलदेव, मथुरा।

मेरठ मण्डल

1—मेरठ . . 1—सरस्वती शिशु मन्दिर, पूर्वी महाबीर, मेरठ।
2—सरस्वती शिशु मन्दिर, कोठी गेट, हापुड़।
3—सरस्वती शिशु मन्दिर, नेहरू नगर, गाजियाबाद।

2—मुजफ्फरनगर . . 1—सरस्वती शिशु मन्दिर, मुजफ्फरनगर।
2—सरस्वती शिशु मन्दिर, खतौली।
3—सरस्वती शिशु मन्दिर, शामली।
4—सरस्वती शिशु मन्दिर, कस्बा, जानसठ।

3—बुलन्दशहर .. 1—सरस्वती शिशु मन्दिर, सिविल लाइन्स, बुलन्दशहर।
2—सरस्वती शिशु मन्दिर, स्टेशन रोड, दादरी।
3—सरस्वती शिशु मन्दिर, सिकन्दराबाद।
4—सरस्वती शिशु मन्दिर, गुलावठी।
5—विवेकानन्द बाल मन्दिर, औरंगाबाद।
6—विवेकानन्द विद्यापीठ, दनकौर, बुलन्दशहर।
7—सरस्वती बाल मन्दिर, राबूपुरा।
8—देवनागरी इन्टर कालेज, गुलावठी, बुलन्दशहर।

4—सहारनपुर .. 1—कमला देवी बजौरिया सरस्वती शिशु मन्दिर एवं सरस्वती पूर्व माध्यमिक विद्या मन्दिर, नगरपालिका कालोनी, सहारनपुर।
2—विवेकानन्द विद्या मन्दिर, कृष्णपुरा, सहारनपुर।
3—रामकृष्ण परमहंस विद्यालय, रायबाला, सहारनपुर।

इलाहाबाद मण्डल

1—इलाहाबाद .. 1—गोमती स्मारक सरस्वती शिशु मन्दिर, 314, सुभाष नगर, ममफोर्डगंज, प्रयाग-2।
2—सरस्वती शिशु मन्दिर, आनन्दा, क्लाइब रोड, इलाहाबाद।
3—सरस्वती शिशु निकेतन, 23, कटघर, प्रयाग।

2—इटावा .. 1—सरस्वती शिशु मन्दिर, पक्का तालाब, इटावा।
2—सरस्वती शिशु मन्दिर, कस्बा दिबियापुर, इटावा।

3—फर्रुखाबाद .. 1—सरस्वती शिशु मन्दिर, फर्रुखाबाद।
2—सरस्वती शिशु मन्दिर, कायमगंज, फर्रुखाबाद।
3—सरस्वती शिशु मन्दिर, कन्नौज।
4—सरस्वती शिशु मन्दिर, तिरवा।
5—सरस्वती शिशु मन्दिर, छिबरा मऊ।
6—विद्या मन्दिर जूनियर हाई स्कूल, कायमगंज।

4—फतेहपुर .. 1—सरस्वती शिशु मन्दिर, खागा, फतेहपुर।
2—सरस्वती शिशु मन्दिर, चौक, फतेहपुर।

5—कानपुर .. 1—महाराजा देवी सरस्वस्ती शिशु मन्दिर, खलासी लाइन, कानपुर।
2—सनातन धर्म सरस्वती शिशु मन्दिर, कौशलपुरी, कानपुर।
3—सरस्वती शिशु मन्दिर, गोविन्दनगर, कानपुर।
4—सरस्वती शिशु मन्दिर, केशवनगर, कानपुर।
5—सरस्वती शिशु मन्दिर, जे0 के0 पुरी, जाजमऊ, कानपुर।
6—सरस्वती शिशु मन्दिर, एच0 बी0 टी0 आई0 कालोनी, कानपुर।
7—सरस्वती शिशु मन्दिर, रेल बाजार, कानपुर।
8—सरस्वती शिशु मन्दिर, झिझक, कानपुर।
9—सरस्वती शिशु मन्दिर, पुखरायां, कानपुर।
10—दीन दयाल उपाध्याय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कानपुर।
11—राम लाला हायर सेकेन्डरी स्कूल, रावतपुर, कानपुर।
12—श्री मुनि हिन्दू हायर सेकेन्डरी स्कूल, गोविन्दनगर, कानपुर।

61

61

लखनऊ मण्डल

1—लखनऊ ..
1—सरस्वती शिशु मन्दिर, निरालानगर, लखनऊ।
2—सरस्वती शिशु मन्दिर, माडल हाउस, लखनऊ।
3—सरस्वती शिशु मन्दिर, मलिहाबाद, लखनऊ।
4—शिशु मन्दिर संस्था, गोसाईगंज, लखनऊ।

2—खीरी ..
1—सरस्वती शिशु मन्दिर, खीरी।
2—धर्म सभा इन्टर कालेज, लखीमपुर खीरी।
3—संस्कृत पाठशाला, लखीमपुर खीरी।

3—सीतापुर ..
1—सरस्वती शिशु मन्दिर, विवेकानन्दपुरी, सीतापुर।
2—सरस्वती शिशु मन्दिर, महोली, सीतापुर।

4—हरदोई ..
1—पटेल बतासो राजरानी इन्टर कालेज, तेरवा-गौसगंज, हरदोई।
2—भारतीय इन्टर कालेज, पाली, हरदोई।

झांसी मण्डल

1—झांसी ..
1—सरस्वती शिशु मन्दिर, झांसी।
2—सरस्वती शिशु मन्दिर, मउरानीपुर, झांसी।

2—बांदा ..
1—सरस्वती शिशु मन्दिर, बांदा।
2—राजेन्द्र सरस्वती शिशु मन्दिर, करबी, बांदा।
3—सरस्वती शिशु मन्दिर, मानिकपुर, बांदा।
4—रामनाथ राम किशन सरस्वती शिशु मन्दिर, करबी, बांदा।

3—हमीरपुर ..
1—सरस्वती शिशु मन्दिर, हमीरपुर।
2—सरस्वती शिशु मन्दिर, राठ, हमीरपुर।
3—शिशु शिक्षा सदन, महोबा, हमीरपुर।
4—शिशु शिक्षा निकेतन, कुरारा, हमीरपुर।
5—बाबा राजाराम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, झलोखर, हमीरपुर।

4—जालौन ..
1—सरस्वती शिशु मन्दिर, कोंच, जालौन।
2—सरस्वती शिशु मन्दिर, जालौन।
3—सरस्वती शिशु मन्दिर, उरई, जालौन।
4—शालिग्राम पाठक इन्टर कालेज, कोंच, जालौन।

5—ललितपुर ..
1—सरस्वती शिशु मन्दिर, ललितपुर।

कुमायूं मण्डल

1—नैनीताल ..
1—सरस्वती शिशु मन्दिर, हल्द्वानी, नैनीताल।
2—सरस्वती शिशु मन्दिर, टनकपुर, नैनीताल।
3—सरस्वती शिशु मन्दिर, रामनगर, नैनीताल।
4—सरस्वती शिशु मन्दिर, खेटीमा, नैनीताल।
5—सरस्वती शिशु मन्दिर, काशीपुर, नैनीताल।
6—सरस्वती शिशु मन्दिर सितारगंज, नैनीताल।
7—सरस्वती शिशु मन्दिर, किच्छा, नैनीताल।
8—सरस्वती शिशु मन्दिर, रुद्रपुर, नैनीताल।
9—सरस्वती शिशु मन्दिर, बाजपुर, नैनीताल।

97

[नैनीताल] .. 10—सरस्वती शिशु मन्दिर, गदरपुर, नैनीताल।
11—जूनियर हाई स्कूल, हल्द्वानी, नैनीताल।
12—जनता इन्टर कालेज, रुद्रपुर, नैनीताल।

2—अल्मोड़ा .. 1—सरस्वती शिशु मन्दिर, अल्मोड़ा।
2—सरस्वती शिशु मन्दिर, बागेश्वर।
3—विवेकानन्द बाल मन्दिर, अल्मोड़ा।
4—विवेकानन्द बाल मन्दिर, बागेश्वर।
5—कृषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, विजयपुर, पटिया, अल्मोड़ा।

3—पिथौरागढ़ .. 1—सरस्वती शिशु मन्दिर, पिथौरागढ़।
2—सरस्वती शिशु मन्दिर, लोहाघाट, पिथौरागढ़।
3—सरस्वती शिशु मन्दिर, डीडीहाट, पिथौरागढ़।
4—शिशु मन्दिर, धारचूला, पिथौरागढ़।
5—विवेकानन्द विद्या मन्दिर, पिथौरागढ़।

गढ़वाल मण्डल

1—देहरादून .. 1—सरस्वती शिशु मन्दिर स्कूल, देहरादून।
2—सरस्वती शिशु मन्दिर, ऋषिकेश, देहरादून।

2—चमोली .. 1—सरस्वती शिशु मन्दिर, जोशीमठ, चमोली।

3—गढ़वाल .. 1—शिशु सदन, कोटद्वारा, गढ़वाल।
2—शिशु सदन, श्रीनगर, गढ़वाल।

4—टेहरी-गढ़वाल .. 1—सरस्वती शिशु मन्दिर, टिहरी।

5—उत्तरकाशी .. 1—सरस्वती शिशु मन्दिर, उत्तरकाशी।

वाराणसी मण्डल

1—वाराणसी .. 1—भारतीय शिशु मन्दिर, सिद्धगिरि बाग, वाराणसी।
2—आदर्श शिक्षा मन्दिर, भदैनी, वाराणसी।
3—निवेदित शिक्षा सदन, सिद्धगिरि बाग, वाराणसी।
4—भारतीय शिशु मन्दिर, शिवपुर, वाराणसी।
5—भारतीय शिशु मन्दिर, भदोही, वाराणसी।
6—बाल निकेतन, पूर्वी बाजार, मुगलसराय, वाराणसी।
7—भारतीय शिशु मन्दिर, राम नगर, वाराणसी।
8—भारतीय शिक्षा निकेतन, लंका, वाराणसी।
9—भारतीय शिशु मन्दिर, इंगलिशिया लेन, वाराणसी।
10—भारतीय विद्या मन्दिर, मुडुवाडिह, वाराणसी।
11—समरथ बाल विद्यालय, गोवर्धन सरांय, वाराणसी।
12—भारतीय शिशु मन्दिर, सय्यद राजा, वाराणसी।
13—भारतीय शिक्षा मन्दिर, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, इंगलिशिया लेन, वाराणसी।

2—बलिया .. 1—सरस्वती शिशु मन्दिर, मोहल्ला जगदीशपुर, बलिया।
2—सरस्वती शिशु मन्दिर, सिकन्दरपुर, टाउन बलिया।
3—सरस्वती शिशु मन्दिर, बेल्थरा रोड, बलिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

133

3—गाजीपुर . .
1—सरस्वती शिशु मन्दिर, संगतकला, रायगंज, गाजीपुर।
2—सरस्वती शिशु मन्दिर, जंगीपुर, गाजीपुर।
3—सरस्वती शिशु मन्दिर, रविन्दपुरी, गौराबाजार, गाजीपुर।
4—सरस्वती शिशु मन्दिर, जमनिया, गाजीपुर।
5—कामख्या बाल विद्या मन्दिर, गहमर, गाजीपुर।
6—आदर्श शिशु मन्दिर, मुहमदाबाद, यूसुफपुर (शहीदनगर), गाजीपुर।
7—सर्वेश्वरी शिशु मन्दिर, सैदपुर, गाजीपुर।
8—आदर्श बाल विद्या निकेतन, दिलदारनगर, गाजीपुर।

4—जौनपुर . .
1—सरोज बाल निकेतन, केराकत, जौनपुर।
2—सरस्वती, शिशु मन्दिर, शाहगंज, जौनपुर।
3—विवेकानन्द शिशु मन्दिर, मछियाहूं, जौनपुर।
4—सरस्वती शिशु मन्दिर, मछलीशहर, जौनपुर।
5—पंडित दीन दयाल उपाध्याय सरस्वती शिशु मन्दिर, मुंगरा बादशाहपुर, जौनपुर।
6—सरस्वती शिशु मन्दिर, जौनपुर।
7—शिशु मन्दिर, रामपुर, जिला जौनपुर।
7—भारतीय विद्या मन्दिर, मोहल्ला खासनपुर, जौनपुर।

5—मिर्जापुर . .
1—सरस्वती शिशु मन्दिर, गणेशगंज, मिर्जापुर।
2—भारतीय शिशु मन्दिर नारघाट, मिर्जापुर।
3—शिशु शिक्षा निकेतन, ओबरा, मिर्जापुर।
4—भारतीय विद्यालय, घोरावर, मिर्जापुर।
5—माधो विद्यालय इन्टर कालेज, पुरुषोत्तमपुर, मिर्जापुर।
6—विन्ध्य विद्यापीठ, विन्ध्याचल, मिर्जापुर।

रुहेलखण्ड मण्डल

1—बरेली . .
1—सरस्वती शिशु मन्दिर, पीलीभीत रोड, बरेली।
2—विवेकानन्द सरस्वती शिशु मन्दिर, कस्बा आंवला, बरेली।
3—सरस्वती विद्या मन्दिर, फरीदपुर, बरेली।
4—सरस्वती विद्या मन्दिर, बरेली।
5—श्रीकृष्ण जूनियर हाई स्कूल, नवाबगंज, बरेली।

2—बिजनौर . .
1—सरस्वती शिशु मन्दिर, अफजलगढ़, बिजनौर
2—सरस्वती शिशु मन्दिर, चांदपुर, बिजनौर।
3—सरस्वती शिशु मन्दिर, नूरपुर, बिजनौर।
4—सरस्वती शिशु मन्दिर, धामपुर, बिजनौर।

3—बदायूं . .
1—श्री राम सरस्वती शिशु मन्दिर, बदायूं।
2—दयानन्द सरस्वती शिशु मन्दिर, सहसवान, बदायूं।
3—सरस्वती शिशु मन्दिर, उझानी, बदायूं।
4—अशरफी देवी सरस्वती शिशु मन्दिर, बिसौली, बदायूं।
5—सरस्वती शिशु मन्दिर, इसलामनगर, बदायूं।

4—पीलीभीत . .
1—सरस्वती शिशु मन्दिर, पीलीभीत।
2—सरस्वती शिशु मन्दिर, पूरनपुर, पीलीभीत।
3—सरस्वती शिशु मन्दिर, बीसलपुर, पीभीभीत।

172

172

4—सरस्वती शिशु मन्दिर, बिलसन्डा, पीलीभीत।
5—सनातन धर्म बांके बिहारी रामा इन्टर कालेज, पीलीभीत।

5—रामपुर .. 1—सरस्वती शिशु मन्दिर, रामपुर।

6—शाहजहांपुर .. 1—सरस्वती शिशु मन्दिर, शाहजहांपुर।
2—सरस्वती शिशु मन्दिर, तिलहर, शाहजहांपुर।
3—सरस्वती शिशु मन्दिर, जलालाबाद, शाहजहांपुर।
4—सरस्वती शिशु मन्दिर, खुदागंज, शाहजहांपुर।
5—लालाहरी राम विद्यालय, खुदागंज, शाहजहांपुर।

7—मुरादाबाद .. 1—सरस्वती शिशु मन्दिर, चन्दौसी, मुरादाबाद।

गोरखपुर मण्डल

1—गोरखपुर .. 1—सरस्वती शिशु मन्दिर, गोरखपुर।
2—सरस्वती शिशु मन्दिर, नौतनवां, गोरखपुर।
3—सरस्वती शिशु मन्दिर, सिसवा, गोरखपुर।
4—श्रीमती सुदामा देवी सरस्वती शिशु मन्दिर, बड़हलगंज, गोरखपुर।
5—गोपाल शिशु मन्दिर, गोला, गोरखपुर।
6—गोपाल शिशु मन्दिर, नरेन्द्र बाजार, चौरीचौरा, गोरखपुर।
7—गोपाल शिशु मन्दिर, सहजनवां, गोरखपुर।

2—आजमगढ़ .. 1—सरस्वती शिशु मन्दिर, आजमगढ़।
2—सरस्वती शिशु मन्दिर, मऊ, आजमगढ़।
3—सरस्वती शिशु मन्दिर, कोपागंज, आजगगढ़।
4—सरस्वती शिशु मन्दिर, घोसी, आजमगढ़।
5—सरस्वती शिशु मन्दिर, मधुबन, आजमगढ़।
6—सरस्वती शिशु मन्दिर, दोहरीघाट, आजमगढ़।
7—सरस्वती शिशु मन्दिर, सरायमीर, आजमगढ़।
8—सरस्वती शिशु मन्दिर, लालगंज, आजमगढ़।
9—सरस्वती शिशु मन्दिर, फूलपुर, आजमगढ़।
10—बाल शिशु सदन, बरवा, आजमगढ़।

3—बस्ती .. 1—सरस्वती शिशु मन्दिर, नौगढ़, बस्ती।
2—सरस्वती शिशु मन्दिर, बांसी, बस्ती।
3—सरस्वती शिशु मन्दिर, रौता चौराहा, बस्ती।
4—सरस्वती शिशु मन्दिर, राजाबाजार, बस्ती।

4—देवरिया .. 1—सरस्वती शिशु मन्दिर, तमकुही रोड, देवरिया।
2—सरस्वती शिशु मन्दिर, पड़रौना, देवरिया।
3—सरस्वती शिशु मन्दिर, रामकोला, देवरिया।
4—सरस्वती शिशु मन्दिर, खड्डा, देवरिया।
5—सरस्वती शिशु मन्दिर, भटनी, देवरिया।
6—सरस्वती शिशु मन्दिर, छितौनी, देवरिया।
7—सरस्वती शिशु मन्दिर, लक्ष्मीगंज, देवरिया।
8—सरस्वती शिशु मन्दिर, तमकुही राज, देवरिया।
9—सरस्वती शिशु मन्दिर, बरहज, देवरिया।
10—सरस्वती शिशु मन्दिर, इन्दुपुर, देवरिया।
11—सरस्वती शिशु मन्दिर, बोदरवार, देवरिया।
12—सरस्वती शिशु मन्दिर, लार, देवरिया
13—सरस्वती शिशु मन्दिर, देवरिया।

फैजाबाद मण्डल

1—फैजाबाद ..	1—सरस्वती शिशु मन्दिर, हैदरगंज, फैजाबाद।
	2—सरस्वती शिशु मन्दिर, गोसाई गंज, फैजाबाद।
	3—सरस्वती शिशु मन्दिर, अकबरपुर, फैजाबाद।
	4—सरस्वती शिशु मन्दिर, टांडा, फैजाबाद।
	5—सरस्वती शिशु मन्दिर, रामनगर कालोनी, फैजाबाद।
	6—श्री दयानन्द सरस्वती शिशु मन्दिर, जलालपुर, फैजाबाद।
	7—अनिल सरस्वती विद्या मन्दिर, वजीरगंज, फैजाबाद।
2—बहराइच ..	1—सरस्वती शिशु मन्दिर, बहराइच।
	2—सरस्वती शिशु मन्दिर, नानपारा, बहराइच।
	3—सरस्वती शिशु मन्दिर, भिनगा, बहराइच।
	4—सरस्वती शिशु मन्दिर, पयागपुर, बहराइच।
	5—सरस्वती शिशु मन्दिर, जरवल, बहराइच।
	6—सरस्वती शिशु मन्दिर, शिवपुर, बहराइच।
3—बाराबंकी ..	1—सरस्वती शिशु मन्दिर, बाराबंकी।
	2—सरस्वती शिशु मन्दिर, फतेहपुर, बाराबकी।
	3—सरस्वती शिशु मन्दिर, राम सनेहीघाट, सुमेरगंज, बाराबंकी
	4—महावीर बाल विद्या मन्दिर जूनियर हाई स्कूल, दरियाबाद, बाराबंकी।
	5—नन्द किशोर बाल विद्या मन्दिर, रुदौली, बाराबंकी।
	6—नन्द किशोर बालिका विद्यालय, रुदौली, बाराबंकी।
4—गोंडा ..	1—सरस्वती शिशु मन्दिर, गोन्डा।
	2—सरस्वती शिशु मन्दिर, मनकापुर रोड गोण्डा।
	3—बाबा गरीबदास सरस्वती शिशु मन्दिर, उतरौला, गोंडा।
	4—सरस्वती शिशु मन्दिर, कर्नलगंज, गोन्डा।
	5—सरस्वती शिशु मन्दिर, बलरामपुर, गोन्डा।
	6—सरस्वती शिशु मन्दिर, तुलसीपुर, गोन्डा।
	7—सरस्वती शिशु मन्दिर, नवाबगंज, गोन्डा।
5—प्रतापगढ़ ..	1—सरस्वती शिशु मन्दिर, प्रतापगढ़।
	2—सरस्वती शिशु मन्दिर, पट्टी, प्रतापगढ़।
6—सुल्तानपुर ..	1—सरस्वती शिशु मन्दिर, सुल्तानपुर।
	2—सरस्वती शिशु मन्दिर, मुसाफिरखाना, सुल्तानपुर।

245

उद्देश्य और कारण

केन्द्रीय सरकार ने अपने आदेश संख्या एस0 ओ0 306(ई), दिनांक 3 जुलाई, 1975 द्वारा यह निदेश दिया कि कतिपय संगठनों पर जिसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ नामक संगठन भी सम्मिलित है, डिफेन्स ऐण्ड इन्टरनल सिक्योरिटी आफ इण्डिया रूल, 1971 का नियम 33 लागू होगा। उक्त संगठन या उसके सदस्य या समर्थक अनेक शिक्षा संस्थायें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चला रहे थे। उक्त संगठन और उससे सम्बन्धित व्यक्तियों, स्थानों और निधियों के विरुद्ध कायवाही किए जाने के फलस्वरूप उक्त संस्थाओं के प्रबन्ध में व्यवधान पड़ गया था और इस बात की आशंका थी कि उक्त शिक्षा संस्थाओं के लगातार चलते रहने में व्यवधान पड़ेगा। अत: राज्य सरकार ने जुलाई, 1975 के पश्चात् विभिन्न दिनांकों को उक्त संस्थाओं का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया।

2—इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया था कि उक्त शिक्षा संस्थाओं में, इस प्रकार उनके प्रबन्ध को हाथ में लिये जाने के पूर्व, दी जाने वाली औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा, उनमें पढ़ने वाले बच्चों को गुमराह करने वाली और उनके संवेदनशील मस्तिष्क में साम्प्रदायिकता की भावना पैदा करने वाली है, और इस बात की आशंका थी कि यदि ऐसी शिक्षा को जारी रहने दिया जाता तो वह भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच ऐक्य बनाये रखने के प्रतिकूल होती और उनमें भावात्मक एकीकरण की प्रक्रिया मन्द हो जाती।

3—अतएव, लोक-हित में यह आवश्यक समझा गया कि राज्य सरकार अस्थायी अवधि के लिए उपर्युक्त शिक्षा संस्थाओं का प्रबन्ध अपने हाथ में ले ले। यह भी आवश्यक समझा गया कि ऐसी समर्थकारी शक्ति ली जाय जिससे कि भविष्य में उन शिक्षा संस्थाओं के सम्बन्ध में इसी प्रकार की कार्यवाही की जा सके, जो अन्य संगठनों द्वारा जिनपर नियम 33 लागू होता है या उनके सदस्यों या समर्थकों द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चलाये जाते हुये पाए जाएं।

4—चूंकि राज्य विधान मन्डल सत्र में नहीं था, इसलिए राज्यपाल ने उपर्युक्त प्रयोजन को कार्यान्वित करने और उससे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिए 28 फरवरी, 1976 को उत्तर प्रदेश शिक्षा संस्था (प्रबन्ध हाथ में लेना) अध्यादेश, 1976 प्रख्यापित किया।

5—यह विधेयक उक्त अध्यादेश का स्थान ग्रहण करने के लिए कतिपय औपचारिक परिष्कारों के साथ पुर:स्थापित किया जाता है।

अम्मार रिजवी,
शिक्षा मन्त्री।

0,एस0यू0पी0—एल0 39 वि0सभा (78)—1976—8451